कुरुक्षेत्र

सम्पादकीय

राष्ट्रीय एकता से ही उपलब्धियों की रक्षा

जब किसी राष्ट्र में आपसी फूट, द्वेषभाव और भेदभाव की प्रवृत्ति पनपने लगे और लोग राष्ट्रीय एकता के महामन्त्र को भूल कर अपने-अपने तुच्छ स्वार्थ साधन में लग जाएं तो समझ लो कि उस राष्ट्र के बुरे दिन आ गए। हमारे राष्ट्र में भी भूतकाल में ऐसा ही होता रहा है। जब-जब हमने एकता के महामन्त्र की अवहेलना की तो विदेशी हमलावरों ने सर उठाया और हम उनके आगे नत मस्तक होकर गिर पड़े। पर जब कभी हमारे ऐक्य और संगठन की दृढ़ अवस्था में हमलावरों ने हम पर चोट करने का दुस्साहस किया तो उनको बुरी तरह मुंहकी खानी पड़ी। चन्द्रगुप्त मौर्य ने यूनानियों के आक्रमणों को न सिर्फ विफल ही किया, बल्कि उनके साम्राज्य का बहुत बड़ा हिस्सा अपने कब्जे में ले लिया था। सिल्यूकस की बेटी को अपनी अर्धांगिनी बना लिया था। इसी तरह जब सारे संसार में हूणों की तूती बोल रही थी और जिनकी मार से यूरोप का बहुत बड़ा भाग तिल-मिला और कराह उठा था, उस समय गुप्त सम्राट की सेनाओं के आगे उन्हें हथियार डाल देने पड़े और उन्हें अपनी जान बचा कर देश से भाग जाना पड़ा।

आज हम सदियों की गुलामी झेलने के बाद आजादी के वायुमण्डल में सांसें ले रहे हैं पर खेद है कि आज भी हमारे इस नव स्वतन्त्रता प्राप्त देश में ऐसी विघातक प्रवृत्तियों की कमी नहीं जो अपने निकृष्ट स्वाथ की पूर्ति के लिए भेदभाव तथा साम्प्रदायिकता की प्रवृत्तियों को भड़काती और बढ़ावा देती हैं। हमारे राष्ट्रपति श्री फखरूद्दीन अली अहमद ने सभी देशवासियों से अपील की है कि सभी मिल कर देश की प्रगति के लिए काम करें और राष्ट्र को शक्तिशाली बनायें। पर क्या कोई भी राष्ट्र बिना एकता के शक्तिशाली बन सकता है? उन्होंने नई दिल्ली में 'फूलवालों की सैर' के समापन समारोह में भाषण करते हुए राष्ट्रीय एकता के जिन तत्वों की ओर देश के सभी धर्मों और वर्गों के लोगों का ध्यान आकृष्ट किया है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारा भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। यह विभिन्न संस्कृतियों, जातियों तथा बोलियों वाला देश है पर इन विभिन्नताओं के बीच एकता की ऐसी कड़ियां विद्यमान हैं जो समस्त राष्ट्र को एकता के सूत्र में पिरोये हुए हैं।

अखिल भारतीय राष्ट्रीय एकता सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए गृह मन्त्री श्री ब्रह्मानन्द रेड्डी ने भी कहा है कि एकता की भावना को और अधिक व्यापक और दृढ़ बनाने के लिए राजनैतिक मञ्च से उसी प्रकार कार्य करना होगा जिस प्रकार आर्थिक मञ्च से बीस सूत्री कार्यक्रम की सफलता के लिए कार्य किया जा रहा है। आपातस्थिति से लोगों में अनुशासन की भावना पनपी है। सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में भी सुधार आया है। यदि हमने विघटनकारी तत्वों को पनपने दिया और राष्ट्रीय एकता तथा अखण्डता को दृढ़ बनाने के प्रयासों में ढील दी तो हमारी आपातस्थितिजन्य उपलब्धियां धरी की धरी रह जाएंगी। स्वतन्त्रता की रक्षा के लिए हमें विघटनकारी तत्वों की अच्छी तरह खबर लेनी होगी। हमारे सभी सम्प्रदायों, जातियों, धर्मों तथा वर्गों का कर्त्तव्य है कि वे अपने संकीर्ण भेदभावों से ऊपर उठ कर राष्ट्र की एकता का ध्यान अपने मनों में रक्खें। तभी देश विकास की दिशा में आगे बढ़ सकता है और सबल तथा सशक्त बन सकता है।

महेन्द्रपाल सिंह

घोषणा

कुरुक्षेत्र में प्रकाशित सामग्री के बारे में पाठक कृपया अपने विचार भेजें। प्रकाशन के लिए जिन बिचारों को चुना 'जाएगा' उन पर पारिश्रमिक भी दिया जाएगा।

सम्पादक

'कुरुक्षेत्र' के लिए मौलिक लेख, कहानी, एकांकी, कविता, संस्मरण, हास्य-व्यंग्य चित्र, फोटो आदि भेजिए। भाषा सरल हो और रचना का आकार 'कुरुक्षेत्र' के दो ढाई पृष्ठ से अधिक न हो।

●

अस्वीकृत रचनाओं की वापसी के लिए टिकट लगा व पता लिखा लिफाफा साथ आना आवश्यक है।

●

'कुरुक्षेत्र' की एजेन्सी लेने, ग्राहक बनने या पता बदलने या अंक न मिलने की शिकायत बिजनेस मैनेजर, प्रकाशन विभाग, पटियाला हाउस, नई दिल्ली-1 से कीजिए।

●

सम्पादकीय पत्र-व्यवहार : सम्पादक 'कुरुक्षेत्र' (हिन्दी), कृषि मन्त्रालय, 467, कृषि भवन, नई दिल्ली के पते पर करें।

●

दूरभाष : 382406
एक प्रति 50 पैसे ● वार्षिक चन्दा 5.00 रुपए

सम्पादक : पी० श्रीनिवासन
स० सम्पादक : महेन्द्रपाल सिंह
उपसम्पादक : पारस नाथ तिवारी
आवरण पृष्ठ : आर० सारंगन

कुरुक्षेत्र

वर्ष 22 कार्तिक 1898 अंक 1

इस अंक में **पृष्ठ संख्या**

ग्रामीण रोजगार के अवसर बढ़ाने होंगे 2
इन्दिरा गांधी
जरा सोचो तो (कविता) 2
केदारनाथ कोमल
ग्रामीण विकास में राष्ट्रीय सामुदायिक विकास संस्थान की भूमिका 3
जगजीवन राम
ग्रामोत्थान की दिशा में बढ़ते कदम 4
अक्षय कुमार जैन
हम है देश के नन्हें बच्चे (कविता) 4
कृष्णकान्त तिवारी (कक्षा-8)
गाँवों के गरीबों और कमजोरों के उत्थान के जोरदार प्रयास 5
आर० एन० आजाद
भारत के विकास में यूनेस्को का योगदान 9
डी० एस० सिंह
गांव-गांव में बिजली और गांव-गांव में नलकूप 11
सिद्धेश्वर प्रसाद से भेंट वार्त्ता
मुंगेर अंचल : प्रगति की राह पर 13
डी० पी० यादव
नेहरू जी के व्यंग्य-विनोद 16
डा० शिवशंकर 'भारती'
परिवार नियोजन (कविता) 17
राधाकृष्ण मिश्र
आपातस्थिति और अनुशासन 17
जय नारायण वर्मा
वन्य संसाधनों में वृद्धि के लिए योजना 17
शंकर घोष
छात्र कल्याण कार्यक्रम 20
राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की विशेषताएं 22
सिआंग की घाटी में विकास के चरण 23
भगवत प्रसाद चतुर्वेदी
आर्थिक विकास में सहकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका 25
आपातकालीन घोषणा से बहुमुखी विकास 26
देवकान्त बरुआ
चूहों से अनाज की क्षति 27
मोतीलाल वोरा
गांवों का कायाकल्प: सामाजिक न्याय की ओर 29
देसराज गोयल
अनुशासन वर्ष में सजता संवरता जनपद: सहारनपुर 32
भूपेन्द्रकुमार जैन
महुआ की मस्जिद 33
शकुन्तला महावल
कहानी: कुएं की आवाज 35
श्रीराम शर्मा 'राम'
रुपक: सुबह का भूला 38
ब्रजलाल उनियाल
साहित्य समीक्षा 40

ग्रामीण रोजगार के अवसर बढ़ाने होंगे

—श्रीमती इंदिरा गांधी—

योजना कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में लोगों का सहयोग एक महत्व-पूर्ण चीज हैं। स्थानीय जनता में दिलचस्पी पैदा करके देहातों में सड़कें बनाने, छोटे सिंचाई के काम तथा वन-रोपण जैसे कार्यक्रमों को एक नई गति दी जा सकती है। यदि लोगों को यह विश्वास हो जाए कि योजना का बुनियादी उद्देश्य, सामाजिक न्याय है तो वे इन कार्यक्रमों में अपनी दिलचस्पी लेंगे ही और अपना सहयोग भी देंगे। कोई भी योजना अधिकाधिक समानता के लिए हमारी जनता की गहरी बैठी भावनाओं की उपेक्षा नहीं कर सकती।

सामाजिक, आर्थिक और क्षेत्रीय सभी तरह के भेद-भाव और असमानताओं को कम करना हमारे विकास आयोजन का एक मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। हमारे आयोजन का मुख्य लक्ष्य कुछ ही समय में सभी समुदायों के गरीब लोगों, खासकर जनजातीय, हरिजन और पिछड़ी जातियों के लोगों की समस्याओं को सुलझाना हैं।

पूर्ण रोजगार की व्यवस्था सामाजिक न्याय को अधिकाधिक बढ़ाने का एक निश्चित साधन है। योजना आयोग के दस्तावेज में इस समस्या पर काफी जोर दिया गया है। इसके अध्ययन से पता चलता है कि कृषि उत्पादकता बढ़ाने और भूमि सुधारों को सख्ती से अमल में लाने से ग्रामीण बेरोजगारी को काफी हद तक दूर किया जा सकता है। योजना आयोग के दस्तावेज में एक बड़ा बेचैन करने वाला तथ्य यह है कि कुल फसल वाले क्षेत्र के सिर्फ 15 प्रतिशत में ही प्रति हैक्टेयर लगभग 15,000 रु० प्रति वर्ष का उत्पादन है। हमारे सिर्फ 12 प्रतिशत जिलों में कृषि उत्पादन में 5 प्रतिशत से अधिक वृद्धि की दर प्राप्त की गई है। इस तरह सिंचाई, उन्नत तकनीकी और भूमि सुधारों के जरिए कृषि को उन्नत करके तथा वृद्धि के लाभों का अधिकाधिक समान वितरण करके रोजगार के अवसर बढ़ाये जा सकते हैं। रोजगार के कार्यक्रम कोई अलग नहीं हैं किन्तु मूल रूप से कृषि उत्पादन के कार्यक्रमों के साथ सम्बद्ध है।

जब ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की स्थिति सुधरेगी तो लोगों का कस्बों व शहरों की ओर जाना कम होगा। उस हद तक शहरी बेरोजगार की समस्या सुलझाई जा सकेगी और नागरिक सेवाओं पर भी भार कम होगा। हमें अपने कुटीर उद्योगों, जैसे हथकरघा, कारीगरी, गलीचा बुनना आदि की ओर भी अधिक ध्यान देना होगा। पिछले दो सालों में इन उद्देश्यों में रोजगार को धक्का लगा है और इस धक्के की प्रतिक्रिया को रोकना होगा। इन उद्योगों से सम्बन्धित कार्यक्रमों को उच्च प्राथमिकता मिलनी चाहिए। हमारे देश में खुद-ब-खुद के रोजगार के लिए काफी अवसर हैं। ग्रामीणों को बहुत सी सेवाओं की जरूरत हैं और बहुत से क्षेत्रों में इनके लिए वे टके पैसे दे सकते हैं। इन जरूरतों का पता लगाया जाए तथा स्थानीय प्रायोजन के जरिए शिक्षित युवकों को संगठित किया जाए और उन्हें वित्तीय एवं अन्य अभिकरणों से सहायता दी जाए।

●

जरा सोचो तो ★

केदार नाथ कोमल

मुनिया के पास
रेशमी चौली नहीं है।
होरी के पास मेले लायक धोती नहीं हैं
लल्लू के पास चमचमाती टोपी नहीं है
इस साल पानी खूब
जम के बरसा है।
क्षितिज तक फैले-फैले
खेतों का मन सरसा है
गांव में जब से
बिजली आई है
रामू को दिन-रात पढ़ने की
धुन समाई है!
बोने के लिए स्वस्थ
बीज मिलने लगे हैं,
ग़रीब से ग़रीब के मन में
नए अरमान खिलने लगे हैं।
कई पीढ़ियों के बाद
कल्लू को ज़मीन का
टुकड़ा मिला है जहां
वह धान उगायेगा।
छोटी-सी झोपड़ी में
सपनों का उद्यान सजायेगा।
हज़ारों लाखों गांवों में
कितनी मुनियायें
कितने होरी
कितने लल्लू
कितने रामू
कितने कल्लू
जीवन की पगडंडी पर
चल रहे हैं।
वक्त की भट्ठी में
नए विश्वास पल रहे हैं।
तुम तो पढ़े-लिखे जवान हो
जिंदगी की उभरती शान हो
जरा सोचो तो ★

ग्रामीण विकास में राष्ट्रीय सामुदायिक विकास संस्थान की भूमिका

श्री जगजीवन राम

बीस सूत्री आर्थिक कार्यक्रम के विशेष सन्दर्भ में समन्वित ग्रामीण विकास की परिकल्पना तथा कार्यक्रम ग्रामीण गरीबों तथा कमजोरों के लिए बड़े महत्व के हैं। इनके सफल क्रियान्वयन के आगे बड़ी समस्याएं हैं, जैसे भूमि की पट्टेदारी, भूमि का असमान वितरण, ग्रामीण ऋणग्रस्तता, बन्धक मजदूरी प्रथा तथा विभिन्न संस्थाओं में निहित स्वार्थियों का दबदबा आदि। इन संस्थाओं में वे संस्थाएं भी शामिल हैं जो कमजोर वर्ग के लोगों के लिए हैं। अत: ऐसी नीति अपनानी होगी जिससे वास्तविक क्षेत्रीय आवश्यकताएं पूरी हो सकें और जिससे ग्रामीण समस्याओं का सरल और काम चलाऊ समाधान निकल सके।

इस सन्दर्भ में नीति और कार्यक्रम लागू करने वालों के प्रशिक्षण का बड़ा महत्व है। प्रशिक्षण यथार्थ हो और वह सिद्धान्त या आदर्श अथवा किसी विदेशी लेखक या विदेशी किताब के लेखों पर आधारित न हो।

आपको विषय सूची से पता लगा होगा कि संस्थान की प्रशिक्षण कार्यवाहियाँ वर्ष प्रति वर्ष बढ़ती जा रही हैं। उन्हें ग्रामीण विकास की नई नीतियों की जरूरतों के अनुरूप बनाया जा रहा है।

ऐसा लगता है कि पिछले वर्ष के दौरान, अनुसन्धान के मामले में संस्थान ने ग्रामीण विकास के विभिन्न क्षेत्रों में अपनी कार्यवाहियों को खूब फैलाया है।

हमारे देश में परिवार नियोजन का विशेष महत्व है क्योंकि 80 प्रतिशत से अधिक हमारी जनसंख्या गाँवों में रहती है। यह कार्यक्रम तभी उतना सफल हो सकता है जबकि जरूरत के मुताबिक जनसामान्य में शिक्षा और प्रचार में तेजी आए तथा लोगों में इसके प्रति प्रोत्साहन पैदा हो।

संस्थान ने ग्रामीण भारत के सामाजिक आर्थिक विकास की जरूरतों को पूरा करने के निमित प्रशासन ढांचे के पुनर्गठन के लिए अनुसन्धान योजनाएं अपने हाथ में ली हैं। मेरा विश्वास है कि संस्थान विभिन्न स्तरों पर अच्छे प्रशासन की व्यवस्था के लिए कुछ वास्तविक तथा रचनात्मक विचार दे सकेगा।

मेरी यह कामना है कि संस्थान गांवों के गरीब और कमजोर लोगों के लिए समय-समय पर चालू की गई विभिन्न योजनाओं से सम्बन्धित अध्ययनों में अपने को तहेदिल से लगाए। उद्देश्य होना चाहिए यह पता लगाने का कि कहां तक इन कार्यक्रमों और योजनाओं से उन लोगों को लाभ पहुंचा है जिनके लिए ये बनाए गए हैं और क्या-क्या बाधाएं हैं और कैसे इन बाधाओं को दूर किया जा सकता है। संस्थान इसी तरह अपनी सच्ची भूमिका निभा सकता है। हमारा चरम उद्देश्य न सिर्फ असमानताएं दूर करना है, बल्कि अपनी ग्रामीण अर्थव्यवस्था में आत्म निर्भरता प्राप्त करना है जो जन सहयोग से बनाए रखी जा सकती है। ✶

लोकतन्त्र में मिलजुल कर समान रूप से योगदान देने तथा मेहनत और मजदूरी में निष्पक्षता और समानता की वर्णित और अवर्णित भावना व्याप्त होनी चाहिए।

हमने पिछले दिनों जो भी कदम उठाए हैं उनका मुख्य उद्देश्य लोकतान्त्रिक व्यवस्था की रक्षा करना है। हमें मालूम है कि हमारा देश, जिसमें अनेक धार्मिक और क्षेत्रीय विभिन्नताएं पाई जाती हैं केवल लोकतन्त्र के माध्यम से ही उन्नति कर सकता है।

इन्दिरा गांधी

ग्रामोतथान की दिशा में बढ़ते कदम ★ अक्षय कुमार जैन

संसार में ऐसे बहुत कम बड़े देश हैं जहां कि अस्सी प्रतिशत जनसंख्या गांवों में रहती हो और कृषि तथा कृषि जन्य उद्योगों पर आधारित हो। इसलिए जब भारत की जनता के रहन-सहन को ऊंचा उठाने की बात हो तो जब तक गांव का स्तर ऊंचा नहीं उठता इस उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो सकती।

यह ठीक है कि अनाजों के मूल्य बढ़े हैं तथा कृषिजन्य उद्योगों में तैयार किए गए सामान की कीमतों में वृद्धि हुई है पर इसके साथ ही कृषि कार्यों पर खर्चा भी बहुत बढ़ गया है। उन्नत प्रकार के बीज, उर्वरक सिंचाई, के साधन तथा आधुनिक खेती के काम आने वाले आधुनिक उपकरणों के मूल्यों में भी वृद्धि हुई है फिर भी गांवों का किसान और मजदूर पहले की अपेक्षा इस समय अधिक सुखी है। पिछले दिनों पिछड़े वर्ग और भूमिहीनों को मकान बनाने के लिए जमीन और खेती करने के लिए छोटी-छोटी जोतें दी गई हैं। ग्रामीण बैंक उनके खेतीवाड़ी और दस्तकारी के कामों के साथ साथ हारी-बीमारी ब्याह-शादी जैसे खर्चों के लिए भी ऋण और आर्थिक सहायता दे रहे हैं। इससे गांव की शक्ल बदलेगी जो बेचारा कभी अपने ही घर में रहने और अपनी ही जमीन जोतने का स्वप्न नहीं लेता था वह आज प्रत्यक्ष हो गया है।

अब प्रयत्न यह भी किया जा रहा है कि गांव में पैदा होने वाली चीजों को कच्चा माल मानकर छोटे-छोटे उद्योग धन्धे शुरू किए जाएं, जैसे निबोली, महुआ आदि तेल देने वाले पदार्थ गांवों में होते हैं। चमड़े से तरह-तरह की चीजें बनाने हथकरघे लगाने में अब बिजली का उपयोग करने की सुविधा और जानकारी दी जा रही है। दूध घी-मक्खन अर्थात् डेयरी का काम भी आगे बढ़ रहा है। गाय-भैंसों को खरीदने के लिए बहुत थोड़े ब्याज पर ऋण की व्यवस्था की जा रही है। यह काम कई स्थानों पर शुरू हो चुका है। मुर्गीपालन का काम भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। गांव में बने खद्दर के सुन्दर कपड़े अब विदेशों को भेजे जाने वाले तैयार माल (रेडी गारमेंट्स) के लिए बहुत उपयोगी साबित हो रहे हैं। अब देश का हर राज्य यह चाहता है कि गांव की शक्ल बदले और प्रति व्यक्ति आय बढ़े।

आज की मूल भूत आवश्यकताएं पांच हैं: खाना, कपड़ा, मकान, चिकित्सा और शिक्षा। खाना, कपड़ा और मकान के सम्बन्ध में ऊपर लिखा जा चुका है। चिकित्सा में आधुनिक इलाज का विस्तार किया जा रहा है। साथ ही देशी चिकित्सा पद्धति को भी, अब तक उसकी जो उपेक्षा थी, उसे दूर करके आगे बढ़ाया जा रहा है। बच्चों का स्वास्थ्य ठीक रहे, एक बार इस सम्बन्ध में आश्वस्त हो जाने पर हर व्यक्ति अपने परिवार को छोटा रखना चाहेगा ताकि विभिन्न साधनों से जो प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है वह कहीं जनसंख्या की वृद्धि के कारण अप्रभावित ही न रह जाए। नए-नए स्कूल खोलने की व्यवस्था की जा रही है और स्थानीय निकायों को प्रोत्साहित किया जा रहा है कि अपनी आवश्यकतानुसार वे स्कूल और शिक्षा संस्थान खोलें। गांधी जी ने एक बार कहा था कि जब तक देश के गरीब से गरीब अन्तिम व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान नहीं आ जाती, देश के विकास पर संतोष नहीं किया जा सकता। आज उपक्रम हो रहा है कि उस अन्तिम व्यक्ति को उपरोक्त पांचों सुविधाएं प्राप्त हो और उनमें दिन-दिन वृद्धि हो।

सी-47, गुलमोहर पार्क
नई दिल्ली

हम है देश के नन्हें बच्चे

—कृष्णकान्त तिवारी (कक्षा-8)

हम है देश के नन्हें बच्चे
हम है देश के वीर सिपाही
देश भक्ति का पाठ सीखकर
परतन्त्रता से मुक्ति पाई।
उंच नीच का भेद नहीं है
पर मिटने का खेद नहीं है
मर मिट कर हम अमर बनेंगे
देश को नूतन जीवन देंगे
देश की एकता हमारा नारा
प्राणों से प्यारा देश हमारा
हिन्दू - मुस्लिम - सिख - ईसाई
हम सब मिल कर भाई-भाई
जो हम से टकराएगा
चूर-चूर हो जाएगा।

—ई-1448, नेताजी नगर,
नई दिल्ली-110023.

चूंकि हमारी 80 प्रतिशत से भी अधिक जनसंख्या गांवों में रहती है, इसलिए समूचे देश का विकास स्वाभाविक तौर पर ग्रामीण विकास पर निर्भर करता है। आजादी के पहले भारत में वस्तुत: ग्रामीण विकास के लिए कोई खास प्रयत्न नहीं किए गए। लम्बे औपनिवेशिक शासन पर दृष्टि डालने से पता चलता है कि कुछेक छुटपुट कार्यक्रम ही विकास की दृष्टि से हाथ में लिए जाते थे। उदाहरण के लिए, ज्यादातर सिंचाई के काम, अकाल या सूखा पड़ने पर हाथ में लिए जाते थे। आमतौर से तहसील अथवा तालुका जैसे मुख्य स्थानों पर कोई डिस्पेन्सरी, स्कूल, पशु चिकित्सालय और कृषि बीज स्टोर आदि खोल दिए जाते थे। दूसरी ओर औपनिवेशिक शासन के लम्बे दौर में, ग्रामीण जन-समुदाय को सुख और दु:ख के दिनों में जो प्राचीन जीवन मूल्य संगठित रखते थे, वे भी धीरे-धीरे प्राय: समाप्त हो गए। इस सम्बन्ध में पंचायतों की प्राचीन संस्थाओं की समाप्ति एक बड़ा उदाहरण

पंचवर्षीय योजनाओं की शुरूआत के साथ छिन्न-भिन्न ग्रामीण अर्थव्यवस्था तथा ग्रामीण समाज के पुनर्निर्माण के लिए सामूहिक प्रयत्न शुरू किए गए। इस दिशा में राष्ट्रीय विस्तार-सेवा की स्थापना, अपने खण्ड-संगठन के साथ सामुदायिक विकास कार्यक्रम, पंचायत-राज की दुबारा शुरूआत आधुनिक तकनीकी की बदौलत कृषि-विकास और नई नीति पर आधारित समन्वित ग्रामीण विकास में महत्वपूर्ण केन्द्र बिन्दु हैं। अब तक खण्ड-संगठन ने समूचे देश को ही अपनी सीमा में ले लिया है और ग्रामीण भारत की आर्थिक और सामाजिक भलाई के क्षेत्र में इसकी सुन्दर देन है। चाहे यह देन छोटी ही क्यों न हों, पर इसका महत्व निश्चित है। यद्यपि इस खण्ड संगठन की कई स्थानों में आलोचना भी की गई है जो हमेशा उचित नहीं है, तथापि इस तथ्य में कोई विवाद नहीं है कि ग्राम-स्तर से लेकर जिला एवं राज्य स्तर तक ग्रामीण क्षेत्रों मे एक नवीन एवं प्रगति सूचक ढांचा स्थापित हो चुका है। अपनी विस्तार योजना के

में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है और देश की आर्थिक व्यवस्था में मजबूती आई है। ग्रामीण समाज के आर्थिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक स्तर में सुधार लाने के लिए सामुदायिक प्रयत्नों की व्यवस्था करना और जनता और शासन के साधनों को एकत्रित करना सामुदायिक-विकास कार्यक्रम का मूल उद्देश्य था। ग्रामीण क्षेत्रों की विशाल जनता में जल्दी से आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन लाना एक जटिल काम था। यह काम तब और भी जटिल हो जाता है जब कि अधिकांश जनता अपढ़ हो, और साथ ही वह अत्यधिक गरीबी और शोषण के अन्तर्गत जरजरित परम्परा और वर्ग भेद की विचारधारा से प्रभावित समाज में रह रही हो। अत्यधिक जटिल स्थिति का परिणाम यह रहा कि एक दूसरी विकृति भी समाज में आई और वह यह थी कि समाज के प्रमुख एवं विशिष्ट लोग आगे आ गए और सामुदायिक विकास कार्यक्रम, तथा ग्रामीण कृषि-विकास से अधिकाधिक लाभ उठाने लगे।

गांवों के गरीबों और कमजोरों के उत्थान के जोरदार प्रयास

है। उन निधियों के विकास की चर्चा करना व्यर्थ है जो प्रकृति ने हमें दी है। यहां तक कि प्रकृति द्वारा दी गई चीजें भूमि, पानी, पशु तथा वन सम्पदा आदि की रक्षा के लिए भी कोई उचित प्रयत्न नहीं किया गया।

ये सारी बातें हमारे राष्ट्रीय नेताओं के दिमाग में थीं, जबकि आजादी की लड़ाई चल रही थी, और महात्मा गांधी तो ग्रामीण भारत को ही वास्तविक भारत कहते थे। उन्होंने स्वदेशी, ग्रामीण दस्तकारी और कुटीर उद्योगों के पुनर्जीवन, अस्पृश्यता-निवारण तथा अन्य दूसरी सामाजिक बुराइयों आदि पर विशेष जोर देकर ग्रामीण जीवन के पुनरुद्धार को प्रधान-कार्य के रूप में ग्रहण किया।

माध्यम से आधुनिक कृषि तकनीक विस्तार और हरित क्रांति तथा अनेक विकास कार्यक्रमों को पूरा करने के क्षेत्र में इस खण्ड संगठन की महत्वपूर्ण भूमिका है।

देश के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी और पिछड़ेपन के कारण 'ग्रामीण गरीबों और

आर० एन० आजाद *

ग्रामीण क्षेत्रों के कमजोर-वर्गों की स्थिति में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं आया। चार पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से होने वाले सुनियोजित विकास के बावजूद ग्रामीण जनता के एक बड़े वर्ग के लिए मौलिक न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति भी संभव न हो सकी, यद्यपि कई क्षेत्रों

इसलिए उन सामाजिक विकृतियों को समझ कर चौथी और पांचवीं योजनाओं में अनेक विशेष कार्यक्रम हाथ में लिए गए। जिन क्षेत्रों में जो कार्यक्रम निश्चित किए गए, वे हैं— सूखा ग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम, न्यूनतम आवश्यकता-कार्यक्रम, छोटे और सीमान्त किसानों के लिए पशु-पालन-कार्यक्रम, विशाल जनजातीय विकास-कार्यक्रम और पहाड़ी तथा जनजातीय क्षेत्रों के विकासार्थ अग्रगामी परियोजनाएं आदि।

बीस-सूत्री कार्यक्रम :—उपरोक्त पृष्ठभूमि मे एक जुलाई, 1975 को प्रधानमन्त्री द्वारा घोषित बीस-सूत्री आर्थिक कार्यक्रम एक महान क्रान्तिकारी कदम है। इस कार्यक्रम में अनेक विशेष बातें हैं। इसके ठोस उद्देश्य हैं और साथ ही इनमें उचित समय-सीमा, तात्कालिक कार्य की भावना तथा इसकी तह में राष्ट्रीय इच्छा विद्यमान है। यह एक

* संयुक्त सचिव, केन्द्रीय ग्रामीण विकास विभाग, इस लेख मे व्यक्त किए गए विचार स्वयं लेखक के हैं। यह आवश्यक नहीं है कि ये विचार संगठन के हैं, जिससे लेखक का सम्बन्ध है।

व्यावहारिक तथा कार्योन्मुख कार्यक्रम है, यह इस तथ्य को स्वीकार करता है कि हमारी अधिकांश जनता ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। जहां तक हमारे देश के ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याओं और आवश्यकताओं का सम्बन्ध है, इस कार्यक्रम की विशेषता यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों के गरीबों और अन्य कमजोर वर्गों के लोगों की हालत में सुधार लाने के लिए पहली बार उचित एवं स्पष्ट प्रयास किया गया है। यह इस बात को सुनिश्चित करता है कि ग्रामीण विकास के लिए जो-जो प्रयत्न किए जा रहे हैं वे समूची ग्रामीण जनता के लिए हैं।

बीस सूत्री आर्थिक कार्यक्रम की सात बातें ग्रामीण क्षेत्रों से ही सम्बन्ध रखती हैं। वे हैं—(1) सीमा निर्धारण कानूनों को क्रियान्वित करना और अतिरिक्त भूमि का भूमिहीनों में वितरण करना (2) कमजोर वर्गों के लोगों को आवास-स्थानों की व्यवस्था (3) बन्धक मजदूरी की समाप्ति (4) भूमिहीन मजदूरों, ग्रामीण दस्तकारों और दो हैक्टेयर से कम जमीन वाले छोटे तथा सीमान्त किसानों की ऋणग्रस्तता की समाप्ति और साथ ही ऋण देने के लिए वैकल्पिक एजेन्सियों की व्यवस्था करना (5) कृषि मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी में उचित बढ़ोत्तरी करना (6) अस्सी लाख हेक्टेयर से भी अधिक भूमि में सिंचाई की व्यवस्था करना और बुनकरों को उचित मूल्य पर उनके काम आने वाले साधनों की उचित व्यवस्था करके हथकरघा को बढ़ावा देना और इन उपायों से बुनकरों को अधिक संरक्षण प्रदान करना।

यद्यपि उपरोक्त कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रों के शीघ्रतर विकास के लिए मुख्यतया आर्थिक उपायों के रूप में प्रकट होते हैं, परन्तु वे वस्तुतः ग्रामीण समुदाय के बहुमुखी परिवर्तन के कार्यक्रम हैं, जो हमारे ग्रामीण समाज के कमजोर वर्गों को राहत पहुंचाते हैं। बीस-सूत्री आर्थिक कार्यक्रम के प्रथम वर्ष में हुई प्रगति की समीक्षा निम्नलिखित शीर्षकों में प्रस्तुत की जाएगी जिनसे यह तथ्य और भी स्पष्ट हो जाएगा :—

भूमि सीमा निर्धारण :

भूमि-सुधार के क्षेत्र में आवश्यक कानून बना लिए गए हैं और साथ ही उनको कार्यान्वित करने पर जोर दिया जा रहा है। 1950 और 1969 के बीच समस्त राज्यों ने भूमि-सीमा निर्धारण कानून बना लिए थे। इन कानूनों के अन्तर्गत भूमि सीमाएं कभी-कभी ऊंची रहती थी और अनेक बातों के आधार पर छूट देने की भी व्यवस्था थी। इस स्थिति का सुधार-1972 में किया गया और राष्ट्रीय मार्ग-निर्देशन की व्यवस्था की गई। राज्यों में मार्ग-निर्देशन के अनुसार भूमि-सीमा निर्धारण कानूनों में संशोधन कर उन्हें नया रूप दिया गया है।

अब तक भूमि-पतियों द्वारा सब मिलाकर तेरह लाख बीस हजार विवरण प्रस्तुत किए गए हैं, जिनमें चार लाख इक्कीस हजार विवरण सरकारी प्रेरणा से दाखिल किए गए हैं और इनमें से सात लाख मामलों का निपटारा करके सत्रह लाख पचासी हजार एकड़ भूमि अतिरिक्त घोषित कर दी गई है। अब तक भूमिहीनों में 434,000 एकड़ जमीन बांटी जा चुकी है। इस कार्यक्रम से लाभ उठाने वाले लोगों की संख्या सब मिलाकर 200,000 है, जिनमें आधी संख्या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की है।

गत बर्ष भूमि सीमा निर्धारण कानूनों के कार्यान्वयन का कार्य पहले की अपेक्षा तेज रहा। महाराष्ट्र, पश्चिमी बंगाल, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, तथा मध्यप्रदेश में पर्याप्त भूमि ले ली गई है। गुजरात, हरियाणा तथा पंजाब जैसे राज्यों में न्यायालय के आदेशों के कारण प्रगति में ढील हुई है और अब इन राज्यों ने भी पूरी गति के साथ भूमि-सीमा कानूनों को लागू करना आरम्भ कर दिया है। यह आशा की जाती है कि इन राज्यों में यह कार्यक्रम 1976 के अन्त तक पूरा कर लिया जाएगा।

भूमिहीनों में अतिरिक्त भूमि का वितरण ही पर्याप्त नहीं है। नई भूमि प्राप्त करने वालों में यह सामर्थ्य आए कि वे इसे जोतने या उत्पादन करने योग्य हो जाएं। छोटे और सीमान्त किसानों, कृषि-मजदूरों, तथा कमान क्षेत्र विकास योजना, सूखा ग्रस्त क्षेत्र परियोजनाओं आदि के क्षेत्रों में इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत भूमि प्राप्त करने वालों को सहायता दी जाएगी।

आवास स्थानों की व्यवस्था

मणिपुर, नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल-प्रदेश, गोआ, दमन और दीव, लक्षदीव तथा मिजोरम जैसे प्रदेशों, केन्द्र शासित क्षेत्रों में भवन-निर्माण स्थानों की कोई समस्या नहीं हैं पर गुजरात, हरियाणा, हिमाचलप्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, तथा केन्द्र शासित प्रदेश चण्डीगढ़ और दिल्ली में आवास की गम्भीर समस्या है। इन राज्यों में भूमिहीन लोगों तथा दूसरे कमजोर वर्गों के लोगों को लगभग 68 लाख आवासस्थान आवंटित किए गए हैं। अधिकांश राज्यों ने भवन तथा भवन-निर्माण के लिए निःशुल्क और इमदादी जंगली सामान, बजरी, रेत तथा पत्थर आदि की व्यवस्था के लिए योजनाएं हाथ में ली हैं। कुछ राज्यों में जमीन पाने वालों को भवन-निर्माण सहकारी योजनाओं के माध्यम से ऋण दिए गए हैं और कुछ अन्य राज्यों में भवन-निर्माण का कार्य स्वयं उनकी सरकारों द्वारा हाथ में लिया गया है। इन प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप 329,000 से भी अधिक भवन अब तक बनाए जा चुके हैं। कुछ वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान संस्थाओं ने ग्रामीण भवन-निर्माण कार्यक्रमों के लिए बहुत अच्छे और उचित नमूने तैयार किए हैं।

बन्धुआ मजदूरी की समाप्ति

कुछ दिन पूर्व ग्रामीण क्षेत्रों के गरीबों तथा कमजोर वर्ग के लोगों को आर्थिक शारीरिक तथा सामाजिक शोषण से मुक्त करने की दृष्टि से बन्धक श्रम समापन अधिनियम पारित किया गया है। इस अधिनियम के अनुसार अब कोई भी ऋण दाता किसी भी ऐसे बन्धक ऋण को वसूल नहीं कर सकता जो इस अधिनियम के उपबन्ध के अन्तर्गत आते हैं। राज्य सरकारों ने इस विधान को लागू करने के लिए तत्काल कदम उठाए

हैं और इस सम्बन्ध में सहायता करने के लिए ग्राम समितियों का गठन भी किया है। इस कार्यक्रम की समीक्षा करने तथा काम में गति लाने के हेतु केन्द्रीय श्रम मंत्रालय के तत्वावधान में एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन कर लिया गया है। ग्रामीण विकास विभाग सहित अन्य सभी सम्बद्ध विभागों का इस में प्रतिनिधित्व है।

उन राज्यों में जहां बन्धक मजदूरी प्रथा प्रचलित है, अनेक योजनाओं और अन्य विशेष कार्यक्रमों के माध्यम से बन्धक मजदूरों के पुनर्वास के लिए योजनाओं का आरम्भ किया जा रहा है। स्वतन्त्र किए गए मजदूरों के पुनर्वास में न्यूनतम-मजदूरी के लागू होने से भी सहायता मिलेगी। स्वतन्त्र किए गए मजदूरों को भवन-निर्माण के लिए भूमि देकर, कृषि-योग्य जमीन आबंटित कर तथा उनके बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था द्वारा सहायता पहुंचाई जा रही है। अब तक 58,457 बन्धक मजदूर स्वतन्त्र किए जो चुके हैं।

ग्रामीण ऋणों की समाप्ति:—अगस्त 1975 में भारत सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों की ऋणग्रस्तता को समाप्त करने के लिए निम्नलिखित बातों की व्यवस्था की है :—

(क) एक वर्ष की अवधि तक ऋण चुकाने की मोहलत दी जाए तथा साथ में यह व्यवस्था भी की जाए कि जब जैसी आवश्यकता हो, इस अवधि को बढ़ाया जा सके।

(ख) ऋण चुकाने की मोहलत के अन्तर्गत वह धनराशि नहीं आती, जो सरकार, बैंक अथवा सहकारी समिति अथवा स्थानीय वैधानिक प्राधिकरण अथवा जीवन बीमा निगम को देय है। अथवा ऐसी कोई भी धनराशि जो सरकार द्वारा वसूल करने योग्य है।

(ग) हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों ने धन उधार देने की प्रक्रिया को नियमित कर दिया है। इन राज्यों में उधार देने वालों के लिए पंजीकरण आवश्यक है। और साथ ही उधार दी गई राशि पर ब्याज की अधिकतम दर निश्चित कर दी गई है।

ऋण चुकाने की मोहलत या ऋण मुक्ति के बाद ऋण के वैकल्पिक जरिए की स्थापना होनी आवश्यक है। राज्यों पर यह जोर डाला जा रहा है कि ऋण-समापन की योजना व्यावहारिक होनी चाहिए और ऐसी नहीं होनी चाहिए, जिससे वर्तमान ऋण-प्रणाली पूरे तौर पर समाप्त हो जाए। राज्य सरकारें इस समय धन देने वाली संस्थाओं में तेजी ला रही हैं, जिससे कमजोर वर्ग के लोगों को ऋण का वैकल्पिक साधन उपलब्ध हो सके। अनेक राज्यों में कमजोर वर्ग के बहुसंख्यक लोगों को नामांकित कर लिया गया है और साथ ही यह निर्देश दे दिए गए हैं कि कमजोर वर्ग के लोगों के लिए सहकारी संस्थाओं द्वारा दी जाने वाली ऋण राशि का कुछ प्रतिशत अलग सुरक्षित कर दिया जाए।

ग्रामीज बैंको की स्थापना के लिए भी कार्यवाही की जा चुकी है। ऐसे उन्नीस बैंक अपने 62 केन्द्रों के साथ कार्य कर रहे हैं। खुलने के थोड़े समय के भीतर ही इन बैंकों ने छोटे और सीमान्त किसानों को 57 लाख रुपए के ऋण दे दिए हैं। इस बात की आवश्यकता महसूस की जा रही है कि सहकारी संस्थाओं को मजबूत आधार पर खड़ा किया जाए और इनकी सदस्य संख्या बढ़ाई जाए। तथा साथ ही बैंक में रुपया जमा करने के काम को तेज किया जाए इस बात के भी कदम उठाए जा रहे हैं कि धन की कमी को पूरा करने के लिए न केवल सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों तथा सहकारी संस्थाओं में तेजी लाई जाए, बल्कि साथ ही उनकी धन देने की नीति को फिर से बनाकर लाभ पाने वाले लोगों की उपभोग की आवश्यकताओं को पूरा किया जाए। इस सम्बन्ध में, योजना आयोग के सदस्य श्री शिवरमन की अध्यक्षता में एक समिति का कुछ दिन पूर्व गठन कर लिया गया है। इस समिति ने कुछ सिफारिशें की हैं जिन्हें अमल में लाया जा रहा है।

न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण

समस्त राज्यों में न्यूनतम कृषि मजदूरी की समीक्षा की जा चुकी है और अधिकांश राज्यों में मजदूरी काफी बढ़ा दी गई है। न्यूनतम मजदूरी के काम के लिए प्रशासन को मजबूत किया जा चुका है।

न्यूनतम मजदूरी लागू करने की दृष्टि से राज्यों ने प्रशासनिक कार्यवाही तेज कर दी है। कुछ राज्यों में अलग से कृषि-श्रम निदेशालयों की स्थापना कर दी गई है और जिन क्षेत्रों में मजदूरी खासतौर से कम थी वहां निरीक्षकों की नियुक्ति की जा चुकी है। अधिकांश राज्यों में विकास प्रखण्डों और राजस्व विभागों को न्यूनतम मजदूरी के काम को पूरा करने की दृष्टि से श्रम-विभाग के साथ लगा दिया गया है और जहां कहीं भी इस सम्बन्ध में नियम तोड़े जाने की बातों का पता लगा है, वहां गम्भीर कार्यवाही की गई है।

सिंचाई क्षमता में वृद्धि :—पांचवीं योजना में बड़े तथा मध्यम श्रेणी के सिंचाई कार्यक्रमों से पचास लाख हैक्टेयर की सिंचन-क्षमता के निर्माण की परिकल्पना की गई थी। इस सन्दर्भ में आवश्यक यह है कि सिंचन विकास की गति को चौथी योजना की उपलब्धि से ढाई गुना अधिक कर दिया जाए। जुलाई 1975 से सिंचाई के अन्तर्गत आने वाले अतिरिक्त क्षेत्र एक लाख पचास हजार हैक्टेयर थे, जबकि पहले साल के इसी समय में केवल 66 हजार थे। गत कई वर्षों से अन्तर्राज्यीय झगड़ों और मतभेदों के कारण अनेक नदियों के पानी का उपयोग रोक दिया गया था। इस सम्बन्ध में भी एक महान सफलता मिली है। केन्द्रीय कृषि-मन्त्रालय द्वारा किए गए प्रयत्नों एवं सम्बद्ध राज्यों की आपसी सूझ-बूझ के कारण बहुत दिनों से चले आ रहे झगड़ों और मतभेदों का सन्तोष-

जनक समाधान प्राप्त कर लिया गया है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि यह सब राष्ट्रीय अनुशासन के वातावरण के कारण सम्भव हो सका है।

बीस-सूत्री कार्यक्रम की घोषणा के बाद भूगर्भ-जल के उपयोग तथा सिंचाई-योजनाओं के कार्यक्रम में तेजी आई है। 1975-76 में छोटी-सिंचाई-योजनाओं के माध्यम से 9,00,000 हैक्टेयर की अतिरिक्त सिंचाई क्षमता उत्पन्न की गई। यह क्षमता 74-75 की तुलना में ग्यारह प्रतिशत अधिक है।

सूखा पड़ने वाले क्षेत्रों में सिंचाई के लिए सर्वेक्षण और अनुसन्धान कार्यों को जनजाति-क्षेत्र विकास-कार्यक्रम के अन्तर्गत तेज कर दिया गया है। 53,000 स्क्वेयर मीटर का सर्वेक्षण किया जा चुका है और 70 परीक्षणात्मक नलकूप खोदे गए। असम का विस्तृत जल-भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण कर लिया गया है। असम, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड तथा मेघालय में भूगर्भ-जल के विकास के हेतु एक परियोजना को पूरा कर लिया गया है। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के कुछ जिलों के कठोर-चट्टानी क्षेत्र में भूगर्भ जल स्रोतों का व्यापक सर्वेक्षण किया गया है।

हथकरघा बुनकर :—कृषि के बाद हथकरघा उद्योग का प्रमुख स्थान है। इसमें भी बहुत आदमी लगे हुए हैं। हथकरघा उद्योग में काम करने वाले काफी शोषित रहे हैं और सर्वाधिक गरीब लोगों में ही उनकी गणना की जाती है। 1973-74 के कमी वाले वर्षों में बुनकरों ने काफी कष्ट उठाया।

जिस समय बीस-सूत्री कार्यक्रम को हाथ में लिया गया, उस समय हथकरघा उद्योग की एक बहुत बड़ी समस्या थी। उनके पास व्यापार की सामग्री एकत्रित हो गई थी। इस समस्या से निपटाने के लिए केन्द्र की ओर से बुनकरों को अपनी सामग्री की निकासी के हेतु सब मिला कर 472 लाख रुपए ऋण दिए गए। इसके अतिरिक्त, मूल्यों को अधिक आकर्षक तथा विक्रय में वृद्धि लाने के लिए केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों द्वारा बुनकरों को 10 प्रतिशत इमदादी रकम दी गई।

हथकरघा के पुनरुद्धार तथा विकास के लिए एक व्यापक कार्यक्रम बनाया गया, जिसे अप्रैल, 1976 से लागू कर दिया गया है। इस योजना के अन्तर्गत 12 बड़ी विकास परियोजनाएं तथा निर्यात के लिए 12 उत्पादन परियोजनाएं स्वीकृत की गईं। इनके अलावा, पांच और बड़ी परियोजनाओं और पांच-निर्यात परियोजनाओं के भी हाथ में लिए जाने की सम्भावना है। चालू वर्ष के दौरान इन परियोजनाओं के लिए 800 लाख रुपए की व्यवस्था कर ली गई है।

ये परियोजनाएं जिन क्षेत्रों में चालू नहीं है, वहां भी इस सम्बन्ध में कार्यक्रमों को तेज करने का निर्णय ले लिया गया है। हथकरघा बुनकरों के लिए सूत की व्यवस्था करने की दृष्टि से कताई-क्षमता बढ़ाने के हेतु राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को सहायता, सहकारी सीमा-क्षेत्र का विस्तार, विपणन के लिए शीर्षस्थ सहकारी समितियों को विशेष सहायता और बुनकर सेवा केन्द्रों को मजबूत करना आदि इन परियोजनाओं में सम्मिलित हैं।

इस कार्यक्रम को पूरा करने के सम्बन्ध में अधिक ध्यान देने के उद्देश्य से हथकरघा के लिए एक विकास निगमायुक्त को नियुक्त कर लिया गया है। हथकरघा उद्योग के सन्दर्भ में राज्य सरकारों ने भी अपने संगठनों को मजबूत बना लिया है। अधिकतर राज्यों ने हथकरघा वित्त निगम स्थापित कर लिए हैं, ताकि बुनकरों के कार्यक्रम को सहकारिता के दायरे से अलग भी किया जा सके। ये निगम बुनकरों तक विभिन्न साधनों को पहुंचाने और उनके द्वारा बनाई गई वस्तुओं के विपणन कार्य को सुनिश्चित करने के काम को भी अपने हाथ में ले रहे हैं।

अभी तक सहकारिता के अन्तर्गत 30 प्रतिशत हथकरघा काम कर रहे हैं। इसे बढ़ाकर 60 प्रतिशत करने के कार्यक्रम को पूरा किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में बुनकरों को हिस्सा पूंजी के लिए तथा उनके उत्पादन के विपणन के लिए पर्याप्त ऋण दिए जा रहे हैं।

जनता को शामिल करना :—बीस सूत्री कार्यक्रम की सफलता बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करती हैं कि विभिन्न वर्गों के लोग अपनी आदतों में कितना परिवर्तन लाते हैं। प्रधानमन्त्री इस कार्यक्रम में सभी स्तरों पर जनता को सम्मिलित करने पर जोर देती आ रही हैं। अधिकांश राज्यों ने इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कदम उठाए हैं। उन्होंने विभिन्न स्तरों पर इस कार्यक्रम को पूरा करने के उद्देश्य से जागृति लाने के लिए निकायों की स्थापना कर दी है। इन निकायों में जनता के प्रतिनिधि शामिल हैं। इन निकायों में कमजोर वर्ग के लोगों को सम्मिलित करने पर जोर दिया गया है। सम्बद्ध मन्त्रालय तथा विभागों ने भी जागृति या प्रोत्साहन प्रणालियों की स्थापना की हैं।

एक वर्ष की अवधि में ही ग्रामीण क्षेत्रों के गरीबों और अन्य कमजोर वर्ग के लोगों की दशा को प्रभावित करने वाले अनेक महत्वपूर्ण मामलों पर बीस-सूत्री आर्थिक कार्यक्रम अधिक प्रभावी रहा है। अनेक क्षेत्रों में इसका प्रभाव देखा जा सकता है। पर अभी भी बहुत कुछ करना है और पहले जो कुछ किया जा चुका है, उसमें मजबूती भी लानी है। इस कार्यक्रम को शीघ्रता से पूरा करने में आने वाली कठिनाइयों का सरल समाधान ढूंढ़ना होगा ताकि कमजोर वर्ग के लोग विकास से होने वाले लाभों के भागीदार बन सुन्दर जीवन प्राप्त कर सकें।

अनु० डा० लक्ष्मीनारायण पाठक
शिवाजी कालेज,
(दिल्ली विश्वविद्यालय)
रिंग रोड, नई दिल्ली-27

★ भारत के विकास में यूनेस्को का योगदान ★ डी० एस० सिंह ★

भारत आज विज्ञान, कृषि और उद्योग के क्षेत्र में महान् प्रगति करते हुए आगे बढ़ रहा है। प्रधानमन्त्री के 20 सूत्रीय कार्यक्रम ने देश के सामाजिक-आर्थिक विकास को और भी प्रोत्साहन दिया है। सरकार अब प्रौढ़ साक्षरता (शिक्षा) के क्षेत्र में, विशेषतया ग्रामीण क्षेत्रों के ग्रामीणों और कारीगरों के लिए नई दिशाओं के खोजने में पूर्णतः रत है। इसके लिए हम संयुक्त राष्ट्र शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति संगठन (यूनेस्को) के पूर्ण सहयोग के लिए आभार प्रकट करते हैं।

भारत जैसे तीव्र-विकासोन्मुख देश में, जिसकी 80 प्रतिशत जनसंख्या गांवों में बसती है और जहां के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि है, किसानों में शिक्षा के महत्व पर बल नहीं दिया जा सका है। भारत में किसानों की साक्षरता योजना के क्षेत्र में यूनेस्को, शिक्षा मंत्रालय व कृषि मंत्रालय को लगभग एक दशक से सहयोग दे रहा है। वास्तव में, इस दिशा में प्राप्त सफलता महत्वपूर्ण है।

भारत में यूनेस्को ने साक्षरता के क्षेत्र में तीन मुख्य परियोजनाएं बनाई हैं :—कृषक शिक्षा तथा क्रियात्मक साक्षरता, प्रौढ़ शिक्षा और पाठ्य सामग्री कार्यक्रम। भारत सरकार ने 1968 में यूनेस्को के सहयोग से कृषक साक्षरता कार्यक्रम प्रारम्भ किया था जिसका उद्देश्य शिक्षा को प्रत्यक्ष रूप में विकास लक्ष्यों का समन्वय करता है जो आरम्भ में 60 थे लेकिन बाद में बढ़कर 90 हो जाएंगे। पर्यवेक्षक किसानों की कक्षाएं लगाते हैं। ग्राम स्तर पर क्रियात्मक साक्षरता की कक्षा को शिक्षक पढ़ाता है जो मुख्य रूप से उसी गांव का ही होता है। उसे आंशकालिक आधार पर ही नियुक्त किया जाता है। प्रत्येक कक्षा में औसतन 30 किसान होते हैं जो अधिक उपजवाली फसलों का उत्पादन करते हैं। प्रत्येक की कक्षा एक वर्ष की अवधि की होती है तथा जिसका दस महीने कार्य समय होता है।

किसानों को अधिक-उपज वाले बीजों और उन्नत कृषि पद्धतियों के प्रयोग के बारे में शिक्षा प्रदान की जाती है। उन्हें खाद्यान्न-उत्पादन बढ़ाने के साधन के रूप में हरित-क्रान्ति के सामाजिक और आर्थिक पहलुओं के बारे में भी बताया जाता है।

क्रियात्मक साक्षरता अनुभाग में किसानों को पढ़ना लिखना और अंकगणित का ज्ञान कराया जाता है।

पाठ्य सामग्री

यूनेस्को ने निरक्षर किसानों के लिए कृषि सम्बन्धी साहित्य और अपढ़ प्रौढ़ों को क्रियात्मक साक्षरता देने के लिए सामान्य साहित्य तैयार करने के लिए अपने विशेषज्ञों को नियुक्त किया है। यूनेस्को विशेषज्ञ राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसन्धान और

के साथ जोड़ना था। यह एक समन्वित परियोजना है जिसके तीन अंग हैं अर्थात् किसानों का प्रशिक्षण, क्रियात्मक साक्षरता और कृषि सम्बन्धी प्रसारण। कृषि मन्त्रालय क्रियात्मक साक्षरता में कृषक प्रशिक्षण की व्यवस्था करता है और सूचना व प्रसारण मन्त्रालय किसानों के हित के लिए आकाशवाणी के माध्यम से विशेष प्रकार के कार्यक्रमों को प्रसारित करता है।

यह कार्यक्रम उन चुने हुए जिलों में प्रारम्भ किया गया जहां अधिक उत्पादन बढ़ाने वाले बीजों की किस्में उपलब्ध थीं और उन्नत कृषि पद्धतियों की आवश्यकता थी। इस उद्देश्य के लिए आवश्यक अनिवार्य शिक्षा, कृषक प्रशिक्षण योजना और क्रियात्मक साक्षरता द्वारा दी गई।

1968 में तीन जिलों में ही यह कार्यक्रम शुरू किया गया था। फिर इस कार्यक्रम का उत्तरोत्तर अनेक राज्यों के 123 जिलों में विस्तार किया गया। सफलता से प्रोत्साहित होकर पांचवीं योजना की अवधि में 50 और जिलों को इसके अन्तर्गत लाने का विचार है। इस कार्यक्रम में अनौपचारिक (प्रौढ़) शिक्षा निदेशालय सामग्री, प्रचार माध्यम व पद्धति प्रशिक्षण और अनुस्थापन, पर्यवेक्षण और मार्ग-दर्शन व मूल्यांकन के रूप में तकनीकी व व्यावसायिक सहायता प्रदान करता है। जिला स्तर पर जिला शिक्षा अधिकारी इस कार्यक्रम का पूर्णतः पर्यवेक्षण करता है। परियोजना अधिकारी मार्ग-दर्शन करता है तथा जिले में क्रियात्मक साक्षरता समूहों के कार्य

प्रशिक्षण परिषद् (एन० सी० ई० आर० टी०) और उसके प्रौढ़ शिक्षा विभाग के साथ मिलकर कार्य करते हैं। वे ऐसे 'श्रमिक विद्यापीठों की भी स्थापना करते हैं जो प्रौढ़ों विशेषतः श्रमिकों को शिक्षण व प्रशिक्षण की विस्तृत और समन्वित योजना द्वारा शिक्षा प्रदान करते हैं। यह प्रशिक्षण श्रमिक को इस योग्य बनाता है कि वह ऐसे पाठ्यक्रम चुन सके जो कि उसकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि के अनुरूप हों और आवश्यकताओं, रुचि और अभिरुचि को पूरा कर सकें। सबसे पहले श्रमिक विद्यापीठ की स्थापना बम्बई में 1967 में की गई।

शिक्षण-सामग्री किसानों की बदलती आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार की जाती है। यूनेस्को विशेषज्ञ इस सामग्री को तैयार करने में सहायता करते हैं फिर इसे क्षेत्रीय भाषाओं में अनूदित किया जाता है जिससे कृषक उसे सरलता से समझ सकें। इस सामग्री का समय-समय पर इस क्षेत्र के शिक्षकों और विशेषज्ञों के सुझावों पर पुनरीक्षण और संशोधन किया जाता है। संशोधन का उद्देश्य प्रौढ़ शिक्षार्थियों और शिक्षकों दोनों के द्वारा इस सामग्री के प्रयोग के समय अनुभव की गई कठिनाइयों को कम करना है। 'किसान साक्षरता योजना' नामक पहली पुस्तक का, जो 1968 में तैयार की गई थी पिछले छः वर्षों से उसका चार बार संशोधन हो चुका है।

सामग्री का संशोधन तब अनिवार्य हो गया जब देखा गया कि वे किसानों की रुचि अधिक समय तक नहीं बनाए रख

सकीं और अधिक उत्पादन देने वाली फसलों को अपनाने की प्रक्रिया में भी किसानों को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा जिनका समाधान जरूरी था। इसलिए क्रियात्मक साक्षरता पर केन्द्रित ध्यान को अधिक उपज वाली फसलों की सूचना देने से हटाकर समस्याओं को सुलझाने के लिए रास्ते ढूंढने पड़े जो किसानों के सामने इन फसलों के उगाने के समय आयीं। अत: समस्या के अनुकूल सामग्री तैयार करने की परियोजना को सरकार ने यूनेस्को के सहयोग से अपने हाथ में लिया। ऐसी सामग्रियों के विकास की प्रयोगात्मक परियोजना को जयपुर जिले में शुरू किया गया। इस परियजना के अन्तर्गत समस्याओं के आधार पर सामग्री तैयार करनी थी। तैयार की गई सामग्री में प्रवेशिका, और शिक्षक गाइड हैं और इनका 30 चुने हुए केन्द्रों में परीक्षण किया जा रहा है।

मूल्यांकन

किसान साक्षरता योजना की सफलता के बारे में दोनों एजेन्सियों का सम्बन्ध कैसा रहा, इसका अनुमान इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि इस योजना का कई बार सतर्कता से मूल्यांकन किया गया। इस उद्देश्य के लिए कई परीक्षण किए गए। इसके पश्चात् शिक्षा मंत्रालय ने कृषि मंत्रालय से मिलकर दस जिलों में क्रियात्मक साक्षरता योजना का सर्वेक्षण किया। इस सर्वेक्षण से ज्ञात हुआ कि व्यावहारिक स्तर पर इस योजना के क्या गुणदोष हैं। इन उपलब्धियों ने योजना की कमियों को प्रकाश में लाने की सहायता की और सुधार के लिए दिशाओं का संकेत किया।

इससे अधिक वैज्ञानिक मूल्यांकन लखनऊ जिले में किया गया। यह योजना साक्षरता कला के विकास करने और उन्नत पद्धतियों के ज्ञान को फैलाने और सहयोगियों की प्रवृत्तियों में कुछ परिवर्तन लाने में प्रभावकारी सिद्ध हुई।

इस आकार की परियोजना को जो इतने बड़े क्षेत्र में फैली हुई है, काफी सहायता यूनेस्को के सहयोग से प्राप्त होती है। राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्-विभागीय समिति भी गठित की गई है जो विभिन्न मन्त्रालयों के बीच समन्वय रखती है। ऐसी ही समितियां जिला स्तर पर भी हैं।

कृषक क्रियात्मक-साक्षरता योजना पांचवीं योजना की अवधि में दो दिशाओं में संचालित की गई है। एक ओर इसमें 70 और जिलों को लिया जाएगा और दूसरी ओर क्रियात्मक साक्षरता विभिन्न विकास योजनाओं, विशेषतया कृषि रोजगार व विकास योजनाओं के साथ जोड़ दी गई है। इस परिणाम को प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं: (क) प्रत्येक स्तर पर समन्वित समितियों को एठित करना (ख) सभी जिलों में पूर्णकालिक परियोजना अधिकारियों की नियुक्ति में शीघ्रता। (ग) पाठ्यक्रम सामग्री का विकास करना। (घ) परियोजना कार्मिक के प्रशिक्षण अथवा अनुस्थापन को सुनिश्चित करना। (ड) प्रत्येक स्तर पर क्रियात्मक साक्षरता और कृषि विकास प्रक्रिया के बीच कड़ी कायम करना।

यूनेस्को का परिवार-नियोजन के क्षेत्र में भी योगदान कम महत्वपूर्ण नहीं है। निस्सन्देह तीसरे विश्व में उसके परिवार नियोजन के जोरदार अभियान ने कई परिणाम सामने रखे हैं। परिवार-नियोजन आज भारत में एक घरेलू शब्द बन गया है और लोग इसे खुशी से अपना रहे हैं। वास्तव में यूनेस्को को भारत के परिवार-नियोजन के क्षेत्र में प्राप्त सफलता पर गर्व है।

सामान्य शिक्षा के क्षेत्र में यूनेस्को सदा सबसे आगे रहा है। इसने भारत में प्राथमिक, माध्यमिक और विश्वविद्यालय स्तर पर शिक्षा के सुधार और प्रसार के लिए देश के साधनों को एकत्र करने में काफी सीमा तक सहायता की है। यूनेस्को ने सामान्य शिक्षा को सुधारने के लिए क्रियात्मक रूप से सहायता दी है। उदाहरण के तौर पर भारत सरकार ने यूनेस्को के सहयोग से 1962 में प्राथमिक शिक्षा के प्रोत्साहन में शिक्षा आयोजकों और प्रशासकों के लिए एक क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र खोला है। यह कई उदाहरणों में से एक है।

यूनेस्को ने विज्ञान के क्षेत्र में भारत सरकार की जो सहायता की है उनमें से कुछ इस प्रकार हैं: केरल में भूमि पर आधारित प्रशिक्षण केन्द्र के लिए प्रयोगशाला को उपकरणों से लैस करना और जोधपुर में केन्द्रीय सूखा क्षेत्र अनुसंधान संस्थान की स्थापना।

भारत का योगदान

भारत ने भी यूनेस्को और अन्य कई देशों को काफी योगदान दिया है। भारत यूनेस्को के संस्थापक सदस्यों में से एक है। 1947 में यूनेस्को के कार्य के लिए 60 लाख पौंड का विनियोग बजट बनाया गया और उसमें सदस्य देशों का योगदान इस अनुपात पर निश्चित किया गया कि यूनेस्को के सम्पूर्ण बजट में भारत और पाकिस्तान का हिस्सा 4·6 प्रतिशत था जिनका इस निधि में योगदान करने वालों में पांचवाँ स्थान था। 1961-62 में यूनेस्को के नियमित बजट में भारत का शुद्ध योगदान दो वर्ष के लिए 3358029 रुपये था।

भारत यूनेस्को को उसके प्रकाशनों के लिए सूचना और सांख्यकीय आँकड़े प्रदान करता है।

भारत सरकार ने अफ्रीकी विद्वानों को भारतीय विश्वविद्यालयों और संस्थाओं में उच्च शिक्षा के लिए कुछ शिक्षावृत्तियां देने का प्रस्ताव किया है।

इस संगठन में भारत का सदा प्रमुख स्थान रहा है और प्रतिष्ठित व्यक्ति इसके कार्यकारी बोर्ड के सदस्य रहे हैं। इनमें सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डा० जाकिर हुसैन, श्री रामास्वामी मुदालियर, श्रीमती इन्दिरा गांधी, श्री प्रेमकृपाल, श्री जी० पार्थसारथी हैं। श्री जवाहर लाल नेहरू ने एक से अधिक अवसरों पर सार्वजनिक सम्मेलनों के प्रतिनिधि-मण्डल का नेतृत्व किया। इसे भुलाया नहीं जा सकता कि 1956 में नई दिल्ली में हुए सार्वजनिक सम्मेलनों के लिए ही विशाल विज्ञान भवन और अशोक तथा जनपथ होटलों का निर्माण किया गया।

यह आशा की जा सकती है कि भारत और यूनेस्को देश से निरक्षरता के अंधेरे को मिटाने में पूरी तरह सफल होंगे।

अनुवादिका
प्रेमकान्ता बवेजा
II-B/31 लाजपत नगर,
नई दिल्ली-110024

गांव गांव में बिजली और गांव गांव में नलकूप

★ सिद्धेश्वर प्रसाद से भेंट वार्ता

श्री योगेन्द्र बाली : प्रोफेसर साहब, यह तो सब जानते हैं कि पिछले एक ही वर्ष में देश में उत्साह और उन्नति की एक नई लहर दौड़ गई है और 20-सूत्री कार्यक्रम में ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों का कायाकल्प हुआ है। क्या आप बताएंगे कि खेती और जीवन के कल्याण के लिए ग्रामीण भारत में बिजली कहां-कहां तक जा पहुंची है ?

प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद : इस कार्यक्रम की सबसे पहली बुनियादी बात यह है कि हमें अपने देश की आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था को एक नया रूप देना है और यह तभी संभव है जब देश में बिजली एवं अन्य वस्तुओं का उत्पादन बढ़े और उनकी वितरण की व्यवस्था ठीक हो। उत्पादन हमें कारखानों में भी बढ़ाना है लेकिन उससे ज्यादा खेतों में बढ़ाना जरूरी है। खेतों में उत्पादन बढ़ाने के लिए हमें सारे देश में पचास लाख हैक्टेयर एकड़ में सिंचाई का इन्तजाम करना है। यह कैसे करेंगे ? जहां नदियां नहीं हैं या जहां नहरें नहीं ले जाई जा सकतीं, वहां गांव-गांव में बिजली ले जाकर जमीन के अन्दर के पानी को निकालना है और उससे सिंचाई का इन्तजाम करना है। इस लिहाज से हमने आजादी के बाद से अब तक 28 लाख कुओं को बिजली दी है, साथ ही साथ अब तक देश के लगभग एक लाख पचासी हजार गांवों में बिजली पहुंचा दी गई है। इधर हमने पांचवीं योजना में बिजली पैदा करने में भी तेजी लाने के लिए कदम उठाए हैं। हमारे जो बिजली घर पहले से लगे हुए हैं उनकी उत्पादन-क्षमता बढ़ाने के लिए भी कई कदम उठाए गए हैं। हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हम देश के हर गांव में बिजली पहुंचा दें और खेती की पैदावार बढ़ाने के लिए ज्यादा से ज्यादा कुओं को बिजली दें। इस काम में हमारे सामने राज्य सरकारों ने अपनी एक दिक्कत रखी थी कि उनके पास साधन की कमी है, इसलिए वे इस काम में उतनी तेजी नहीं ला पाएंगे जितनी कि हम और आप चाहते हैं। इस कमी को दूर करने के लिए हमने चौथी योजना के शुरू में ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्थापना की। राज्य सरकारों के अपने साधनों के अलावा पांचवीं योजना में करीब सवा चार सौ करोड़ रुपये उनको इस निगम के माध्यम से और दिए गए। नतीजा हमारे सामने है। हरियाणा के हर गांव में बिजली काफी पहले पहुंच चुकी थी और अभी आपने देखा कि 26 मई को प्रधानमन्त्री जी के करकमलों से पंजाब में भी हर गांव में बिजली पहुंचाने का काम पूरा हुआ। केरल में 93 फीसदी गांवों में बिजली पहुंच गई, तमिलनाडु में 98 फीसदी गांवों में, और महाराष्ट्र में भी आधे से कुछ ज्यादा गावों में बिजली पहुंच गई। हम चाहते हैं कि पांचवीं योजना पूरी होते-होते सभी राज्यों में चालीस फीसदी से ज्यादा गांवों में बिजली पहुंच जाए।

श्री योगेन्द्र बाली : यह बिजली द्वारा जो गांव वालों के आर्थिक और सामाजिक जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन हो रहा है उसका फल केवल बड़े किसानों के लिए ही है या हरिजनों और पिछड़े वर्गों को भी उनसे कुछ लाभ हुआ है ?

प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद : गांवों में बिजली पहुंचाने के साथ ही साथ यह भी ध्यान रखा जा रहा है कि गांवों के साथ जुड़ी हरिजन बस्तियों में भी साथ ही साथ बिजली पहुंचे। इस काम के लिए ग्रामीण विद्युतीकरण निगम ने 109 विशेष योजनाएं मंजूर की हैं जिनसे 10,460 हरिजन बस्तियों को बिजली मिलेगी।

श्री योगेन्द्र बाली : प्रोफेसर साहब, गांव-गांव में बिजली ले जाने और प्रगति के लिए उसको ठीक-ठीक बांट और इस्तेमाल के काम में कुछ पंचायत, सहकारी समियतों आदि ग्रामीण संस्थाओं का भी सहयोग है या केन्द्र और राज्य सरकारें ही यह सारा काम कर रही हैं ?

प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद : आपने अखबारों में पढ़ा ही होगा कि प्रधानमन्त्री जी ने भी सारे देश की जो पंचायतें हैं उनके जो प्रधान और मुखिया हैं, उनको स्वयं एक पत्र लिखकर नए आर्थिक कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए उनके सहयोग की मांग की थी। तो वह सहयोग बिजली के काम में सबसे महत्वपूर्ण है। इसीलिए मैंने भी राज्यों के मुख्यमन्त्रियों को इस काम को तेजी से बढ़ाने के लिए पत्र लिखा है।

अभी पिछले दिनों हैदराबाद, गुवाहाटी और औरंगाबाद में क्षेत्रीय गोष्ठियां की गईं। उत्तर क्षेत्र के लिए एक गोष्ठी शीघ्र ही होने वाली है। हम चाहते हैं कि अधिकारियों और जनता के सहयोग का एक ऐसा कार्यक्रम बनाया जाए जिससे बिजली के उत्पादन, उसे दूर-दूर गांव तक ले जाने और उससे पैदावार बढ़ाने में ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके। इन क्षेत्रीय गोष्ठियों के बाद राष्ट्रीय स्तर पर भी इस कार्यक्रम को अन्तिम रूप देने का हम विचार कर रहे हैं। हमारे देश में पांच बिजली की सहकारी समितियां काम कर रही हैं। उनकी सफलता को देखते हुए छः और समितियों का रजिस्ट्रेशन कराया जा चुका है। पांचवीं योजना के अन्त तक सब मिलकर शायद 25 ऐसी समितियां काम करने लगेंगी। वैसे जो पांच समितियां काम कर रही हैं उनमें एक आंध्रप्रदेश में, एक कर्नाटक में, एक उत्तर प्रदेश में, एक महाराष्ट्र में और एक गुजरात में हैं। इन पांचों समितियों के लगभग 6,000 सदस्य हैं और लगभग 5,45,000 रु०

इनकी हिस्सा-पूंजी है। इन्होंने 1975-76 के वर्ष में 775 किलोमीटर लम्बी लाइनें खींची हैं और 7 हजार से ऊपर बिजली के कनेक्शन दिए हैं। पिछले दिनों में आंध्रप्रदेश में सिरसिल्ला की सहकारी समिति को देखने गया था। मुझे यह देखकर बहुत खुशी हुई कि वहां के लोग कितनी अच्छी तरह अपना काम चला रहे हैं जिससे खेतों की पैदावार में तो बढ़ोत्तरी हुई है, साथ ही लोगों में आत्म-विश्वास और संतोष की भावना भी बढ़ी है। पंचायतों के सक्रिय सहयोग से यह काम और भी तेजी से और अच्छी तरह आगे बढ़ेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। अभी जबकि हम आपस में बात कर रहे हैं तो मैं आपसे भी कहूंगा कि आप इस तरह के सहयोग के लिए वातावरण बनाने में और उसको अमल में लाने में अपना पूरा योगदान दें जिससे हम और आप मिलकर एक नए समाज का निर्माण कर सकें।

श्री योगेन्द्र बाली : यह तो बड़े हर्ष की बात है कि अब गांव की ओर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। क्या आप यह बताने का कष्ट करेंगे कि पहले गांव वालों को शहरों और औद्योगिक केन्द्रों की तुलना में कितनी बिजली मिलती थी और आज सफलताओं के इस वर्ष के बाद गांव में बिजली की मांग और खपत का क्या ब्यौरा है ?

प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद : बिजली के क्षेत्र में हमारे देश में जो विकास हुआ है वह आश्चर्यजनक ही कहा जा सकता है। इस बात का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि आजादी के वक्त कुल 1500 गांवों तक बिजली पहुंची थी और आज बिजली पाए हुए गाँवों की सख्या उससे ठीक 125 गुणा हो गई है, यानी 1,85,000 गांव। नये आर्थिक कार्यक्रम के शुरू होने से अब तक एक साल में ही हमने 16,000 गांवों को बिजली दी है। इसी तरह आजादी के वक्त कुल 6500 कुएं बिजली से चलते थे जो ज्यादातर धनी लोगों के थे। अब बिजली से चलने वाले कुओं की संख्या भी 425 गुणा हो गई। पिछले एक साल में ही हमने लगभग पौने दो लाख कुओं को बिजली दी है। यूं तो जैसे-जैसे बिजली की पैदावार और सप्लाई बढ़ेगी, उसके लिए मांग भी बराबर बढ़ती जाएगी, उद्योगों के लिए भी और खेतों के लिए भी। हमारा इरादा है कि जल्दी ही वह दिन लावें जब हम दोनों की पूरी मांग को पूरा कर सकें।

श्री योगेन्द्र बाली : मंत्री महोदय, इस कार्यक्रम के विशेष दर्शक बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान के क्षेत्रों में आपके विचार सुन रहे हैं। वे अवश्य ही जानना चाहेंगे कि उनके क्षेत्रों में अपने गांव में बिजली द्वारा जीवन परिवर्तन का युग किस प्रकार चलेगा ?

प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद : हां, यह तो जरूरी बात है। बिहार में 31 मार्च 1976 तक 14,535 गाँवों और 1,17,600 कुओं को बिजली दी जा चुकी है। मध्यप्रदेश में 11,822 गांवों और 1,46,700 कुओं को बिजली दी गई है और राजस्थान में 30 अप्रैल 1976 तक 7,069 गांवों और 94,200 कुओं को बिजली दी गई है। हम लोग इस काम को और अधिक तेजी से बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन इस कार्यक्रम की पूरी सफलता आपके सक्रिय सहयोग पर निर्भर करती है।

श्री योगेन्द्र बाली : आपने हमें यह बताया कि गत वर्ष में ग्रामीण भारत की आर्थिक-सामाजिक प्रगति में बिजली की शक्ति के प्रसार से कैसे नए जीवन और नई आशाओं का काल आरम्भ हुआ है। मगर जो इस बहुमूल्य प्रगति के साधन को व्यर्थ नष्ट करते हैं या दूसरों को बिजली चुराने का अवसर देते हैं उनके बारे में आपका क्या विचार है ?

प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद : मैं तो यही कहूंगा कि बिजली की चोरी तो कालाबाजारी, मुनाफाखोरी और तस्करी से भी भयंकर बात है। जबसे पंचवर्षीय योजनाएं शुरू हुईं, इन पच्चीस सालों में हमने 80 अरब से भी अधिक रुपये बिजली की पैदावार बढ़ाने पर खर्च किए हैं। इससे जहां 1951 में 2300 मेगावाट वाली 564 लाख यूनिट बिजली पैदा होती थी, आज 22000 मेगावाट, याने लगभग 80 करोड़ यूनिट बिजली हर साल पैदा की जाती है। अब इसका 20 फीसदी तो नुकसान में ही चला जाता है। इस नुकसान में काफी हिस्सा ऐसा भी है जिसे हमारे ग्रामीण भाई कम ही नहीं बिल्कुल खत्म भी कर सकते हैं। गांवों में बिजली पहुंचाने और उसके सही और पूरी इस्तेमाल के लिए कुछ जिम्मेवारी उनकी भी तो है। गांवों में बिजली का सामान ले जाना, बिजली के खम्बे लगाने के लिए और ट्रांसफार्मर बैठाने के लिए जमीन का इन्तजाम, बिजली की चोरी रोकने का काम, बिजली के सामान की सुरक्षा, बिजली के बिलों की ठीक अदायगी का काम, वगैरह-वगैरह कुछ ऐसी बातें हैं जिसमें आप सबके सहयोग से काम में तेजी भी आएगी और उससे उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। इसके लिए हम बिजली विभाग या राज्य बिजली बोर्ड और पंचायतों में सक्रिय सहयोग की तरफ ध्यान दे रहे हैं। आइए, हम सब मिलकर गांव-गांव तक बिजली पहुंचाने के लक्ष्य को आगे बढ़ाएं।

श्री योगेन्द्र बाली : धन्यवाद प्रोफेसर साहब, हमें आशा है कि ग्रामीण भारत में बिजली के तारों का जाल फैलता रहेगा और गांव वालों के खेत, घर और उद्योगधन्धों में रोशनी और विकास की लहर दौड़ती रहेगी। ★

मुँगेर अंचल : प्रगति की राह पर

डी० पी० यादव

बिहार राज्य में मुंगेर कृषि-प्रधान जिला है। इसकी आबादी करीब 38 लाख है। इसकी 90 प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर आश्रित है। जिले में रोजी-रोटी और रोजगार की समस्या से मैं शुरू से परिचित हूं और इसके लिए कोशिश करता रहा हूं। मुझे जब इस जिले के प्रतिनिधित्व का सौभाग्य नहीं मिला था, उस समय भी यह बराबर मेरे ध्यान में रहा कि जिले को खुशहाल कैसे बनाया जाए? मार्च, 1971 के लोक सभा चुनावों में जनता ने मुझ में विश्वास प्रकट किया और यह जिम्मेवारी भी दी कि मैं अपने प्रयत्नों को अधिक मुस्तैदी से बढ़ाऊं और जनता के कष्ट-निवारण के कार्य में हाथ बटाऊं तथा उनकी निष्ठा के अनुरूप खरा उतरूं।

मुंगेर जिले में कृषि की औसत पैदावार बहुत कम है। मिसाल के तौर पर जिले में लगभग साढ़े पांच लाख एकड़ भूमि में धान रोपा जाता है; किन्तु पैदावार केवल 1.83 लाख टन है जबकि कम से कम उपज 11 लाख टन होनी चाहिए। मकई करीब 3.4 लाख एकड़ में बोई जाती है लेकिन पैदावार केवल 1.15 लाख टन है, जबकि कम से कम सात लाख टन होनी चाहिए। गेहूं लगभग 2.32 लाख एकड़ में बोया जाता है, किन्तु पैदावार केवल 76 हजार टन है जबकि कम से कम 2.6 लाख टन होनी चाहिए। जाहिर है कि इस स्थिति से उबरने के लिए कठिन परिश्रम और आधुनिकतम वैज्ञानिक तरीके तत्काल अपनाने की नितान्त आवश्यकता है।

इस सम्बन्ध में किसानों और कृषि-विशेषज्ञों के विचारों का जायजा लेने के लिए सन् 1973 में बड़हिया में अभूतपूर्व सम्मेलन हुआ था, जिसमें केन्द्र और राज्य के उच्च अधिकारी भी शामिल हुए। इसमें तकनीकी सलाहकारों की राय से एक आगामी योजना बनाई गई। यह अनुभव किया गया कि कृषि-विकास के लिए आवश्यक बीज, उर्वरक, सिंचाई, कीटनाशक दवाओं, मिट्टी की जांच के लिए प्रयोगशालाओं और अन्य साधनों के अलावा नई विधियों में किसानों का प्रशिक्षण भी जरूरी है। कृषि की इन बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के वास्ते किसानों में जागृति लाने के लिए आन्दोलन शुरू करने की बहुत जरूरत प्रतीत हुई।

मुझे प्रसन्नता है कि 21 अप्रैल, 1975 को देश के शीर्षस्थ कृषि-वैज्ञानिकों का एक दल मुंगेर आया तथा कृषि विज्ञान केन्द्र और भूमि विकास के लिए प्रायोगिक अनुसंधान योजना स्वीकृत हुई। इसके अन्तर्गत मुंगेर के हजारों किसानों का प्रशिक्षण होगा और देश के अन्य भागों के किसान भी आएंगे, जिनसे विचारों का आदान-प्रदान हो सकेगा और धरती की काया बदलने के देशव्यापी प्रयत्नों की जानकारी हो सकेगी। मुझे पूरा विश्वास है कि इस योजना से किसानों को बड़े पैमाने पर लाभ पहुंचेगा और हम खाद्य उत्पादन बढ़ाने के अपने प्रयत्नों से अपना और देश का भला करने में समर्थ होंगे।

सिंचाई सुविधाएं

कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी के लिए जरूरी है कि हर खेत को, वह बड़े किसान का हो या छोटे का, सिंचाई के लिए पानी की सुविधा मिले। मुंगेर जिले में कृषि योग्य कुल भूमि साढ़े बारह लाख एकड़ है लेकिन अभी तक केवल 20 प्रतिशत भूमि के लिए सिंचाई सुविधाएं सुलभ हैं। यह स्थिति चिन्ताजनक है। इसमें सबसे अधिक चिन्तनीय स्थिति झाझा, चकाई, खेरा, जमुई तथा लक्ष्मीपुर के पथरीले सूखाग्रस्त इलाके की है। सन् 1971 से पूर्व मुंगेर जिले में सिंचाई के मद में कुल केवल 4.8 करोड़ खर्च किए गए थे।

सिंचाई की अनेक प्रमुख योजनाएं पिछले सोलह-सत्रह वर्षों से केन्द्रीय जल एवं विद्युत् आयोग तथा राज्य सरकार के विचाराधीन पड़ी हुई थी। इन्हें अन्तिम रूप देने के लिए मैंने अनवरत प्रयास किया है और आशातीत सफलता भी मिली, जिनमें से कुछ का उल्लेख अप्रासंगिक न होगा।

बरनर सिंचाई योजना : सोनों और खेरा का इलाका सदियों से पानी के लिए तरसता रहा है। उनकी आशाओं को मूर्तरूप देने के लिए लगभग दस करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से कार्यान्वित की जाने वाली बरनर सिंचाई योजना स्वीकार की गई। इसके अन्तर्गत 243 फुट ऊंचा बांध बनेगा, जिसके जलाशय से 57,000 एकड़ भूमि को सिंचाई के लिए पानी मिलेगा। आज हजारों मजदूर बांध के निर्माण-कार्य में चौबीसों घण्टे लगे हुए हैं और उन्हें इसका गौरव प्राप्त है कि वे मुंगेर के नवनिर्माण में अपना योगदान देने में जुटे हैं।

ओजन (कुकुरझप) सिंचाई योजना : लक्ष्मीपुर और मल्लेपुर के पठारी इलाके में भूमि उपजाउ है, लेकिन इस क्षेत्र का किसान सिंचाई के लिए इन्द्र देवता के भरोसे पर रहा करता था। सैंकड़ों वर्गमील में फैले खड़गपुर और मोम

बांध के जंगलों का पानी ओजन नदी से व्यर्थ निकल जाता था। जरूरत थी इस बेकार चले जाने वाले पानी को बांधने की, जिससे सिंचाई का काम लिया जा सके। इससे संबंधित योजना पर वर्षों से विचार हो रहा था, लेकिन अन्तिम रूप नहीं दिया जा सका था। लगातार कोशिशों के बाद ढ़ाई करोड़ रुपये की योजना स्वीकृत हुई। इससे बारह हजार एकड़ भूमि का परोवन होगा और विद्युत-गृह के निर्माण से 'जंगल में मंगल' की कहावत चरितार्थ होगी। उस इलाके में जहां जाने में लोग भय खाते थे, वहां जीवन में नई ज्योति जगेगी, नए विहान के दर्शन होंगे। इस क्षेत्र के आदिवासियों की दशा में सुधार होगा और उनमें नये जीवन का संचार भी होगा।

अपर कियूल जलाशय योजना : खैरा-क्षेत्र सदियों से उपेक्षित रहा है और यह गीधेश्वर नहर योजना के भरोसे पड़ा था, जिससे मुश्किल से 1600 एकड़ क्षेत्र की सिंचाई के लिए पानी मिल पाता था, हजारीबाग के पहाड़ी इलाकों से पानी किसानों को ललचाता गंगा में बह जाता था। इस अतुल सम्पदा को बांध रखने के लिए आठ करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से बनने वाली उपर कियूल जलाशय योजना स्वीकार की गई और इसे राज्य सरकार ने प्राथमिक योजनाओं में रखा है। इससे 35,000 भूमि को सिंचाई के लिए पानी मिलेगा।

डकराना पम्प नहर योजना : सूरजगढ़ से लेकर डकरानाला हेरु दियारा तक फैला क्षेत्र खेती के लिए सब प्रकार से उपयुक्त है, लेकिन यहां की भूमि एक जमाने से पानी के लिए तरसती आ रही थी, जबकि वहीं बगल से गंगा विपुल जलराशि लेकर निकल जाती है। इसके लिए अप्रैल 1974, में योजना तैयार की गई, जिसके लिए तत्कालीन केन्द्रीय सिंचाई मंत्री, डा० के एल० राव ने स्वयं स्थल का निरीक्षण किया था। प्रस्तावित योजना पर लगभग सात करोड़ रुपये व्यय होंगे और इसके पूरा हो जाने पर 43,160 एकड़ भूमि की सिंचाई होगी। डकरानाला पम्प नहर की सहकारी योजना सूरजगढ़ पम्प नहर होगी, जिसकी अनुमानित लागत लगभग 1.10 करोड़ रुपये है।

बेलहरना और बड़ुआ योजना : बड़ुआ योजना पर करीब 6 करोड़ रुपये व्यय हो चुके हैं और इसका फैलाव करने के उद्देश्य से बेलहरना में सहकारी योजना कार्यान्वित की जाएगी। इन योजनाओं पर कार्य आरम्भ हो गया है और कुल लगभग 2.10 करोड़ रुपये व्यय होने का अनुमान है।

अजगैवीनाथ पम्प (सुल्तानगंज) : यह योजना डकरा और सूरजगढ़ पम्प नहरों जैसी ही होगी, जिससे मुंगेर के असरगंज, धोरैया और कहलगांव इलाकों को पानी मिलेगा। खड़गपुर में [illegible] योजना पर अन्वेषण हो रहा है।

सिंचाई की इन बड़ी और मध्यम योजनाओं के अलावा लघु सिंचाई कार्यक्रमों में भी हमारा जिला पीछे नहीं रहा है। इसमें उल्लेखनीय है— ततरिया (खड़गपुर) पहाड़ी योजना, चांदकर्न (खड़गपुर) योजना, खड़विहारी (खड़गपुर) योजना, चीकदह चौड़ (मुंगेर) जल निस्सारण योजना, गोरेया जलाशय योजना, सतघरवा योजना और गिधेश्वर (जमुई) वीयर योजना। पिछले दो वर्षों से दियारा क्षेत्र में काफी संख्या में बड़े व्यास के कुओं और नलकुओं के निर्माण की योजना शुरु की गई है। ये योजनाएं निश्चय ही कम समय में फलदायिनी और लाभप्रद सिद्ध हुई हैं।

पशु-धन विकास

हमारी कृषि आज भी मुख्यतः पशुओं पर आश्रित है और अच्छे पशुओं के बिना उत्तम खेती की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसके लिए गहन पशु-विकास योजना चालू की गई। दूध और दूध के उत्पादनों के लिए संयंत्र की आवश्यकता महसूस हुई, फलस्वरुप निश्चय किया गया कि मुंगेर कृषि फार्म के लगभग 20 एकड़ फैले क्षेत्र में ये संयंत्र लगेंगे। इन योजनाओं पर लगभग एक करोड़ रुपये की लागत पूंजी लगेगी, जिसकी स्वीकृति राज्य सरकार ने दे दी है और इस पर कार्य भी आरम्भ हो गया है। भारत सरकार के दुग्ध उत्पादन निगम ने मुंगेर को सहकारी दुग्ध कोष योजना में शामिल कर लिया है और इस जिले में इस लगभग दो करोड़ रुपये व्यय करेगा। सैकड़ों युवा किसानों को करनाल के दुग्ध उत्पादन संस्थान में प्रशिक्षण दिया गया है और अभी हजारों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य हमारे सम्मुख है।

क्षेत्र विकास प्राधिकारण

मैंने 22 फरवरी, 1973, को तत्कालीन मुख्य मंत्री, श्री केदार पांडे को एक निवेदन द्वारा आग्रह किया था कि कृषि, सिंचाई, पशुपालन, सड़क निर्माण और विद्युत विकास के कार्यक्रमों के समन्वय स्थापित करने के लिए प्राधिकरण का गठन किया जाए, जिसे उन्होंने कृपापूर्वक स्वीकार किया। वस्तुतः यह अनुभव किया गया कि विभिन्न विभागों के अलग-अलग काम करने से प्रगति और समग्र विकास में बाधा पहुंच रही है, इस कारण क्षेत्र विकास प्राधिकार के निर्माण पर जोर दिया गया। यह प्राधिकार स्वतंत्र संस्था होगी, जिसे विश्व सहायता कोष से भी मदद मिलेगी और विभिन्न क्षेत्रों के लिए वृहद् योजनाएं तैयार करेगा, जिससे किसानों को राहत पहुंचाई जा सके।

विद्युत् उत्पादन

खेती और कल-कारखानों के समुचित विकास के लिए प्रचुर मात्रा में बिजली आवश्यक है। इस दिशा में भी प्रभावकारी कदम उठाए गए। इसी उद्देश्य से ग्रामीण विद्युतीकरण आयोग को मुंगेर लाया गया, जिसकी रिपोर्ट पर सघन विद्युत् विकास कार्यक्रम शुरु किया गया है। इससे न केवल हरित क्रांति को सबल आधार मिलेगा, वरन् सदियों से अन्धेरे गांवों में बिजली

पहुंचेंगी, उद्योग-धन्धे बढ़ेंगे और नये समाज की संरचना में ठोस सहायता मिलेगी।

शिक्षा एवं युवा सेवा

किसी भी क्षेत्र का विकास वहां के प्रबुद्ध, सजग और परिश्रमी निवासियों पर निर्भर करता है। जब तक समग्र जन-जीवन में चेतना न आएगी, नव-निर्माण की प्रक्रिया शिथिल ही पड़ जाएगी। अतः नव युग की मांग के अनुकूल नागरिकों की संरचना का बड़ा कार्य हमारे समक्ष है। मेरी कोशिश है कि समाज के पिछड़े और कमजोर वर्गों को शिक्षा की वही सुविधाएं सुलभ की जाएं, जो धनी व्यक्तियों के बच्चों को प्राप्त हैं। सामाजिक असमानता दूर करने के लिए शिक्षा एक सबल माध्यम है और इसे सभी वर्गों के लिए सुलभ करने की जिम्मेवारी अन्ततः शासन पर है।

केन्द्रीय विद्यालय : जन-साधारण की आकांक्षाओं के अनुरूप जमालपुर में एक केन्द्रीय विद्यालय की स्थापना की गई, जिसके लिए 40 लाख रुपये की लागत से भवन भी बनने वाला हैं। यह इस जिले का आदर्श विद्यालय होगा और अन्य विद्यालयों का मार्ग निर्देशन भी करेगा। छात्रों को इस प्रकार की शिक्षा देने की चेष्टा की जाएगी, जिससे उनकी मेधा-शक्ति और ज्ञान का विकास हो और विश्वास पैदा हो तथा वे अपनी आजीविका के लिए नौकरी के पीछे न दौड़ते फिरें।

नेहरू युवक केन्द्र : मुंगेर जिले में सक्षम युवकों की संख्या करीब 6 लाख है। इन सबको नौकरी में नहीं लगाया जा सकता। अतः उन्हें ऐसे उपयोगी और रचनात्मक धन्धों में लगाना होगा, जिससे वे स्वावलम्बी बन सकें। जरूरत है उनमें नेतृत्व और प्रतिभा को जागृत करने की, जिससे वे अपनी रुचि, शक्ति एवं साधनों के अनुसार स्वतंत्र आजीविका अर्जित कर सकें। इन्हीं उद्देश्यों को लेकर मुंगेर में नेहरू युवक केन्द्र की स्थापना की गई। इसके तत्वावधान में लगभग 400 युवकों को देश के प्रतिष्ठानों में प्रशिक्षित किया जा चुका है और इस दिशा में लगातार कार्य जारी है। युवकों में उनके गुणों के अनुकूल स्वाभाविक विकास से ही नए समाज की रचना का हमारा लक्ष्य पूरा होगा। इस बात के लिए भी कोशिश की जा रही है कि खेल-कूद में रुचि रखने वाले युवकों को प्रशिक्षण के लिए पटियाला और ग्वालियर के संस्थानों में भेजा जाए। युवक केन्द्र इसके लिए युवकों की क्षमता का आकलन कर रहा है।

निरक्षता उन्मूलन : देश की आजादी के अठाईस वर्ष बाद भी हम निरक्षर कहे जाएं, यह शोभा नहीं देता। इसके निवारण के लिए भारत सरकार की वित्तीय सहायता से कार्यकारी साक्षरता योजना, अनौपचारिक शिक्षा योजना और युवा शिक्षा योजना शुरू की गईं।

जिले में शिक्षा के प्रसार के लिए मैं सतत् सचेष्ट रहा हूं। जिन किन्हीं विद्यालयों ने सहायता की अपेक्षा की, उनकी यथेष्ठ सहायता की गई। जिले के मुख्यालय में श्रीकृष्ण सेवा सदन पुस्तकालय है, जिसे पुनर्गठित करने के लिए पर्याप्त सहायता दी गई है। ऐसे केन्द्रों के विकास से विचारों के आदान-प्रदान के लिए मंच मिल जाता है और युवा-प्रवृत्तियों को सही दिशा देने और रचनात्मक स्वरूप प्रदान करने में मदद मिलती है।

जन-स्वास्थ्य में सुधार : स्वास्थ नागरिक राष्ट्र की सम्पदा हैं। सारे विकास और निर्माण की प्रक्रिया उनकी सूझ-बूझ और परिश्रम से ही प्रतिफलित हो सकती है। यही कारण है कि मनुष्य के सम्यक् विकास का प्रयत्न उसके बाल्यकाल से ही शुरू कर देना श्रेयकर है, जिससे उसका शारीरिक एवं बौद्धिक विकास संतुलित ढंग से हो और वह राष्ट्र का सुयोग्य नागरिक बन सके। मेरी बराबर कोशिश है कि मुंगेर रोगों और महामारियों से मुक्त रहे। पोलियों जैसे रोगों के प्रकोप से बचाने के लिए बड़े पैमाने पर बच्चों को निरोधक टीके लगवाये गए।

जन-स्वास्थ्य की समस्याओं पर विचार करने के लिए मुंगेर में दो उच्चस्तरीय गोष्ठियों का भी आयोजन किया गया। चेचक की रोकथाम के लिए व्यापक प्रबन्ध किए गए हैं। क्षय रोग के निवारण के लिए केन्द्र से विशेष सहायता का आश्वासन मिला है। मुंगेर चक्षुदान यज्ञ समिति अपना कार्य अधिक प्रभावकारी ढंग से कर सके, इसके लिए उसकी सहायता की गई है, जिससे वह अपने कार्यों का विस्तार कर सके।

संक्षेप में इन तथ्यों से स्पष्ट है कि मुंगेर जिले के चौतरफा विकास की कोशिश जारी है। उन समस्त साधनों और सम्भावनाओं की खोज की जा रही है और तदनुरुप कार्य हो रहा है जिससे जमाने से पिछड़ा और उपेक्षित इलाका विकास की दौड़ में अब और पीछे न रह जाए। हमारा विश्वास है कि जनता और शासन के संगठित प्रयास से हमारे दुख-दर्द दूर होंगे, खुशहाली आएगी और हम दावे के साथ कह सकेंगे कि मुंगेर बिहार का विकासोन्मुख प्रगतिशील और समृद्ध अंचल है।

मुंगेर सदा मेरा प्रेरणा-स्रोत रहा है। एक सच्चे और निःस्पृह सेवक की तरह मुंगेर और मुंगेर की जनता के सर्वतोमुखी विकास को मैंने सदैव सर्वोपरि रखा है। मुंगेर को उन्नतिशील विकसित जिला कैसे बनाया जाए, यही मेरा चिन्तन है, और रहेगा।

नेहरू जी के व्यंग–विनोद ★ डा० शिवशंकर 'भारती'

नेहरू जी अपने बंगले पर बैठे हुए कुछ मन्त्रियों से बातचीत कर रहे थे। प्रतिवर्ष राजधानी में होने वाले मूर्ख महा सम्मेलन की चर्चा चल रही थी। "नेहरू जी ने एक मन्त्री महोदय से पूछा तुम जाते हो कभी इस सम्मेलन में?" इस पर मन्त्री महोदय बोले—"मुझे तो इस बार प्रेसिडेण्टशिप आफर की गई थी।" इस पर तुरन्त ही पण्डित जी बोले—"बड़ा सही चुनाव था।" "क्या तुम गए?" मन्त्री महोदय ने सवाल में कहा—'अच्छा कैसे जाता आप से पूछा तो नहीं था।" पर नेहरू जी कहां खामोश रहने वाले थे। वे तत्काल बोले—"क्या तुम जिन्दगी भर मूर्ख नहीं बनते रहे, मुझ से पूछ कर बनते हो क्या?" फिर क्या था, वहां उपस्थित सभी लोग खिलखिला कर हंस पड़े।

हमारे प्रधान मन्त्री जी को पशु पक्षियों से भी विशेष प्रेम था। उन्हें विदेशों से भेंट में प्राप्त हुए पशु पक्षी एक समय तक उनके बंगले में आतिथ्य ग्रहण किया करते थे। वे उनके साथ बोलते और खेलते थे। उन्होंने दो चीते के बच्चे भी पाल रखे थे। वे रोजाना कुछ समय इन बच्चों के साथ मनोरंजन में बिताते। एक दिन एक बच्चे से जब नेहरू जी खेल रहे थे, तो श्री लालबहादुर शास्त्री वहां आ गए। बच्चा उनकी धोती का एक किनारा पकड़ कर खींचने लगा। शास्त्री जी ने घबरा कर भागने की कोशिश की। तब नेहरू जी को हंसी आ गई और कहने लगे 'डरपोक कहीं के, हमारे मन्त्री किस तरह भागते हैं।"

सन् 1927 में मद्रास में कांग्रेस का अधिवेशन होना था। नेहरू जी अन्य नेताओं के साथ वहां पहुंचे। बड़े बाजे गाजे के साथ नेहरू जी के स्वागत की तैयारियां थीं। नेहरू जी ने यह आडम्बर और भीड़भाड़ देख कर पूछा "आज किसकी बरात निकलने वाली है?" इस पर प्रबन्धक कोई उत्तर नहीं दे पाए। नेहरू जी ने खामोशी को भंग कर कहा—"अच्छा चलो मैं ही दूल्हा बन जाता हूं।" और वे अकड़ कर जुलूस के आगे आगे चलने लगे।

अक्टूबर 1962 में, जब चीन ने भारत पर आक्रमण किया, तब नेहरू जी के आह्वान पर देश का बच्चा बच्चा मातृभूमि की स्वतन्त्रता के लिए कटिबद्ध हो उठा था। उन दिनों नेहरू जी का 73वां जन्म दिन था। पंजाब प्रान्त ने निश्चय किया था कि वह नेहरू जी के जन्म दिन पर उन्हें सोने से तोलेगा और फिर उनके तुलादान से दुगना सोना देश के रक्षा कोष में देगा। तुलादान करने पंजाब से आए हुए लोगों में एक अस्सी साल की वृद्धा भी थी। तुलादान के बाद सबने नेहरू जी के मस्तक पर रोली चावल का तिलक लगाया और उन्हें पुष्प मालाएं पहनाकर [illegible] दे दिया। जब उसने कोई भी [illegible] कुछ [illegible] 'अपने पुत्तर को' नेहरू जी ने छोटे बच्चे की तरह मचलते हुए कहा। नेहरू जी के इन शब्दों से लान में फिर एक हंसी की लहर दौड़ गई। वृद्धा ने अपनी उंगली से सोने की अंगूठी निकाली और हंसते हुए नेहरू जी के खुले हुए हाथ पर रख दी।

दिल्ली के एक हास्यरस के पत्नी-वादी कवि एक बार नेहरू जी से मिलने गए। उसने अपनी सर्वोत्तम पुस्तक नेहरू जी को भेंट की। उसी समय केंद्र के एक मन्त्री महोदय ने पण्डित जी से उनका परिचय कराया और बोले—पण्डित जी इनके हास्य में एक विशेष लुत्फ यह है कि ये अपनी अधिकतर रचनाएं अपनी बीवी को एड्रेस करके लिखते हैं।

यह सुनकर नेहरू जी ने निगाह उठाकर कवि को देखा और उनकी पुस्तक को यूं ही खोल लिया। पुस्तक का जो पृष्ठ खुला उस पर गधे का कार्टून था और गधे का ही वर्णन था। पुस्तक से नजर हटाकर पण्डित जी ने मन्त्री महोदय की ओर देखा और मुस्करा कर बोले "मगर यह तो गधा है।" और वहां हंसते हंसते लोगों के पेटों में बल पड़ गए।

नभकक्ष 2/55, रूपनगर,
दिल्ली-7

परिवार नियोजन ★ राधाकृष्ण मिश्र

करना है परिवार नियोजन
हम सब मिलकर सफल बनायें नसबंदी का यह आन्दोलन।
धरती पूर कहाँ तक डाले,
सोचो भारत के मतवाले।
सुख था जब जन संख्या कम थी,
भूमि अब सबको कैसे पाले।
हो जायेगा ग्रसित 'भुखमरी, निर्धनता' से सबका जीवन।
लोगों ने सन्तान बढ़ाकर,
शान्ति पथ से भ्रष्ट किया है।
अपने ही परिवार का जीवन,
अपने हाथों नष्ट किया है।
बटवारे की बनी रहेगी युग-युग तक घर-घर में उलझन।
करना है परिवार नियोजन।

आपातस्थिति और अनुशासन ★ जयनरायण वर्मा

असुर शक्ति फैली हैजा सी, गूंज रहा था हाहाकार।
दैयाचाल मचौ धरणी पै, भ्रष्टाचारी बढ़े अपार ।।
तोड़-फोड़ और अनशनबाजी, इनकी थी चहुंदिशि भरमार।
घूस, तस्करी, चोरी-जारी, करचोरी यूं बढ़ी अपार ।।
दिग्गज खेंचि रहे थे सोना, निर्बल को रोना दिखलाय।
संग्रह कर लीनों तालों में, बाजारों में कुछ न दिखाय ।।
जीवन रक्षक जो सौदा था, वह बाबा के मोल बिकाय।
भ्रष्टाचारी रौल फूलि के, वे थे फायदा रहे उठाय ।।
चढ़ि गई कीमत आसमान कूं अम्बर पंख दये फैलाय।
जो कुछ चीज़ नई आवै थी कालाबाजारी बनि जाय ।।
सकल सजन के अमन चैनहित, ज्यौं-ज्यों बढ़ती थी सरकार।
त्यों-त्यों बढ़ता था दुश्मन दल, उसको करने को बेकार ।।
सारी युक्ति सारी शक्ति, तब इन्दिरा ने दई लगाय।
तोऊ उनने पार न पाई, देवी गई सनाकौ खाय ।।
इन्दिरा गांधी तब सरसाई, मातृभूमि का धरिकें ध्यान।
आपातस्थिति घोषित कीनी, बीससूत्र की मन में ठान ।।
विनोबा जी के मन को भाई, शान्ति सुःख की यह तदबीर।
अनुशासन की मुहर लगाइ कें, पर्व के माथे धरौ अबीर ।।
आपात बनै वरदान देश कौ, एसौ कबहू सुनौ हो नाय।
इन्दिरा गांधी ने हम सबको, याकौ दर्शन दयौ कराय ।।
उठि गई अरथी पाप वृत्ति की, भ्रष्ट विटपऊ दये ढहाय।
भयौ जन्म नैतिक दधिबल कौ, शान्ति सुरक्षा फैली आय ।।
तस्कर का मुंह काला करिके, वाके दुर्ग लये खुदवाय।
जो कुछ मिला खजाना उससे, राष्ट्र कोष में दयो लगाय ।।
छापे डरवाइदये भ्रष्टन घर, कर चोरीऊ पकड़ी जाय।
चौदह करोड़ को अंक जोड़ि के, राष्ट्र खजानौ दयौ बढ़ाय ।।
घटि कें कीमत आधी रहि गई कछुक तिहाई पहुंची जाय।
मुद्रास्फीत रुकि ठाड़ी है गई, सत्ताईस ते सात रहि जाय ।।
उद्योगों में कौतूहल अब, केवल काम का रहा दिखाय।
सब के मन में भाई गई अब, आपत्स्थिति है सुखदाय ।।
गांव-गांव और डगर-डगर अबु सबके मन कूं रहे लुभाय ।।
का शिक्षा में का रक्षा में, का खेतन में का खलियान।
घर-घर में आनन्द गूंजि रहे, मंगल है रहे बियावान ।।
नई चेतना नये सृजन हित जन हिरदे में गई समाय।
कोऊ न दीखै काम चोर अब, हाथ न हाथन सब है जाय ।।
अमन चैन की वंशी बाजी, प्रगति का ओढ़े परिधान।
अनुशासन के दिव्य दर्श से, पुलकित होते हैं अब प्राण ।।

भारतीय बाल विकास समिति,
दीनदयाल उपाध्याय मार्ग
नई दिल्ली-110002

वन्य संसाधनों में वृद्धि के लिए योजना ▣ शंकर घोष

वृक्ष जीवन को बनाए रखते हैं। वनों का अस्तित्व व इनका विस्तार मनुष्य के लिए स्वस्थ वातावरण बनाने में एक प्रमुख तत्व है।

प्रौद्योगिकी के सह-उत्पादों से पर्यावरण दूषित हो रहा है जिससे मानव जाति के स्वास्थ्य को गम्भीर खतरा पैदा हो गया है।

अब हम यह नहीं कह सकते कि हमारा पर्यावरण हानि रहित है। पर्यावरण प्रदूषण से बचने के लिए हमें अपने प्राकृतिक पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए कदम उठाने होंगे। अपनी सभ्यता को बचाने के लिए यह सब करना अति महत्वपूर्ण है।

हमारे पूर्वजों को यह मालूम था कि पर्यावरण को संतुलित बनाए रखने में वनों का कितना अधिक महत्व है। वनों के प्रति केवल वही दृष्टिकोण अपनाकर ही मानव जाति का अस्तित्व अधिक समय तक बनाए रखा जा सकता है।

हमारे प्राकृतिक साधनों में वन ऐसे साधन हैं जिन्हें अधिक से अधिक मात्रा में बार-बार प्राप्त किया जा सकता है। अपनी जैविक विशेषताओं के आधार पर वे संरक्षण करते समय उत्पत्ति और उत्पत्ति के समय संरक्षण करने में सक्षम हैं। इस प्रकार समझदारी से उपयोग किए जाने पर इनकी निरन्तर उपलब्धि बनाई रखी जा सकती है।

वृक्षों के महत्व को सिद्ध करने के लिए प्रारम्भिक वैज्ञानिक तथ्यों के बारे में विस्तारपूर्वक बताना आवश्यक नहीं है। लिखाई के कागज से लेकर आधुनिक सम्पर्क प्रणाली के असंख्य उत्पादों का साधन वन ही हैं। इस अवसर पर मुझे इस वर्ष जनवरी में वाल्टेयर में आयोजित विज्ञान कांग्रेस में प्रधानमंत्री द्वारा सुनाई कहानी याद आती है। विश्वविख्यात प्राचीन चिकित्सक, चरक, से एक बार उनके अध्यापक ने ऐसे पौधे लाने को कहा जो बिल्कुल अनुपयोगी हों। वे खाली हाथ लौटे और कहा कि मुझे इस प्रकार का कोई पौधा नहीं मिला।"

हमारे जैसे विकासशील देश में जिसका आर्थिक विकास बहुत कुछ सीमा तक खेती पर निर्भर करता है, वनों की उचित देखभाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। वन जलवायु, मिट्टी की रसायन क्रिया व वर्षा की मात्रा को निश्चित करने में बहुत बड़ा योगदान देते हैं। मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए वन बहुत ही प्रभावशाली साधन हैं। वृक्षों के सूखे व टूटे पत्ते मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाते हैं और भौतिक व रसायन विशेषताओं में सुधार करते हैं। नदियों

व नहरों से जल का नियंत्रित बहाव मुख्य रूप से प्राकृतिक वनों से संभव होता है।

हमारे देश में पूंजी की कमी है। हमारा तेजी से आर्थिक विकास उसी अवस्था में हो सकेगा जबकि प्रभावी और युक्तिसंगत तरीके से अपने प्राकृतिक साधनों का अधिकतम उपयोग करें। वन हमारे उन महत्वपूर्ण प्राकृतिक साधनों में से हैं जिन्हें बार-बार प्राप्त किया जा सकता है। पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान हमने महत्व-पूर्ण किस्म के वृक्ष लगाने की नीति अपनाई थी। इन दो योजनाओं के दौरान कई वन्य पशु बिहारों की स्थापना भी की गई थी। इन कार्यों पर किया जाने वाला व्यय पहली योजना में 8 करोड़ 49 लाख रुपए से बढ़कर दूसरी योजना में 21 करोड़ 20 लाख रुपए हो गया।

वनों के दीर्घावधि विकास के लिए हमने तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान एक व्यापक नीति अपनाई। हमने यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया कि वन्य उत्पादों के उचित उपयोग से राष्ट्रीय आय में वृद्धि की जा सकती है। तीसरी योजना के दौरान हमने औद्योगिक इमारती लकड़ी, ईंधन के रूप में काम आने वाली लकड़ी तथा अन्य वन्य उत्पादों का एक बहुत बड़ा भण्डार बना कर इस मामले में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने में सफलता पाई। संयुक्त राष्ट्र विशेष निधि और खाद्य कृषि संगठन ने हमें अपने वन्य साधनों का सर्वेक्षण करने में सहायता दी। वनों के विकास के लिए हमने विशेषज्ञों की नियुक्ति कर उन्हें प्रशिक्षित किया। तीसरी योजना के दौरान वनों के विकास पर कुल मिलाकर 46 करोड़ रुपए खर्च हुए।

वर्ष 1966 के बाद से हमने जल्दी बढ़ने वाले वृक्षों को उगाने और बाग-वानी की तकनीकों को आधुनिक बनाने पर विशेष जोर दिया है। चौथी योजना के दौरान अपनाई गई नीति के तीन मुख्य भाग थे: (क) वनों की उत्पादकता बढ़ाना; (ख) वनों के विकास और वनों पर आधारित उद्योगों के बीच सम्पर्क बनाना; और (ग) वनों के विकास के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विकास करना। चौथी योजना के दौरान परिव्यय लगभग 89 करोड़ रुपए रखा गया था। पांचवीं योजना के लिए अस्थायी तौर पर 220 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है।

वर्ष 1952 में घोषित राष्ट्रीय वन नीति में यह व्यवस्था की गई कि देश के एक तिहाई क्षेत्र में, पर्वतीय इलाकों में 20 प्रतिशत क्षेत्र में वन लगाए जाएंगे। केन्द्रीय सरकार के भूमि परि-वर्तन कार्यक्रम के अन्तर्गत 10 वर्षों की अवधि के दौरान 30 करोड़ वृक्ष लगाए जाने का उद्देश्य रखा गया है। राष्ट्रीय वन महोत्सव आन्दोलन को हमारे राष्ट्रीय उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बड़े स्तर पर वृक्ष लगाने का एक साधन माना गया है। वृक्ष लगाने के वार्षिक पर्व, वन-महत्व का 1950 में उद्‌घाटन किया गया था। यह केवल नाममात्र का दिखावा नहीं है बल्कि अपनी आकांक्षाओं को कार्यरूप देने का विस्तृत कार्यक्रम है। आम जनता में राष्ट्र की अर्थव्यवस्था में वृक्षों के महत्व के प्रति चेतना पैदा करनी होगी। हमें यह अनुभव करना चाहिए कि वृक्षों के प्रति उदासीनता बरतना एक उत्तरदायित्वहीनता का कार्य है और इससे राष्ट्र के आर्थिक कल्याण के प्रति निष्ठुरता प्रकट होती है। प्रत्येक युवक एक वृक्ष लगाएगा और उसकी देखभाल करेगा—युवकों द्वारा आज अपनाए गए इस कार्यक्रम से उस नए विश्व-दृष्टिकोण की झलक मिलती है जिसका आज युवा पीढ़ी में विकास किया जा रहा है। यह एक ऐसा दृष्टिकोण है जिसके माध्यम से मानव जाति के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए आव-श्यक साधन का संरक्षण किया जाता है और उसे स्थायी बनाया जाता है। वृक्षारोण आन्दोलन का महत्व इसी बात से स्पष्ट हो जाता है कि आज मानव जाति के सामने सबसे बड़ा खतरा दुषित पर्यावरण का है। इस खतरे को भूलने का अर्थ है अपनी सभ्यता के भविष्य के प्रति उदासीन होना।

वृक्ष लगाने का काम राष्ट्रव्यापी स्तर पर करना होगा। वृक्ष अकेले, समूहों में और पंक्तियों में पहाड़ी इलाकों और घाटियों में भी लगाए जाने चाहिएं। यह कार्यक्रम तब ही सफल हो सकता है जब कि सरकारी, गैरसरकारी संस्थाएं और युवक संगठन इसमें अपना योगदान दें। यदि कुछ निगमित संस्थाएं, संस्थान और औद्योगिक संस्थान ऐसे गांव में जहां बहुत बड़े क्षेत्रों में वृक्ष लगाए जाने हों, वृक्ष लगाने और बाद में उनकी देखभाल करने की जिम्मेदारी लें तो निश्चय ही एक बड़ा सराहनीय कदम होगा।

हमें नियोजित वृक्षारोपण की अपनी गतिविधियों में तेजी लानी होगी। हमें वनों की कटाई को रोकने के लिए प्रयत्न करने होंगे क्योंकि इनसे पर्यावरण पर बुरा असर पड़ता है। आज कई इलाकों में पेड़ पौधों का नामोनिशान नहीं है, वहीं कुछ समय पहले बहुत बड़ी संख्या में वृक्ष और वनस्पति उत्पाद विद्यमान थे। इसलिए वनरोपण की एक विस्तृत नीति को कार्यरूप देना होगा।

युवक संगठन, महिला संघ, स्वयंसेवी संगठन, सभी वृक्षारोपण के इस राष्ट्रीय महत्व के काम में अपना-अपना योगदान दे सकते हैं। वृक्ष क्लब व अन्य संस्थाएं तो इस काम में बड़े स्तर पर सहायता दे सकती हैं। इसके अलावा, वृक्ष 'रक्षक'

> हमें वृक्षों की आवश्कता है राष्ट्रीय भलाई के लिए, जिन्दगी के स्तर को ऊंचा करने के लिए, अपने आप में अधिक मानवता, अधिक स्वास्थ्य और अधिक जीवन लाने के लिए। इस लिए हम वृक्षारोपण को एक सदा बढ़ने वाले राष्ट्रीय आन्दोलन के रूप में फैलायें।
>
> **इन्दिरा गांधी**

नियुक्त किए जाने होंगे जो स्वैच्छिक रूप से इस कार्यक्रम में होने वाली प्रगति का ध्यान रखने का काम अपने हाथ में लेंगे। यदि हम प्रतिवर्ष कम से कम एक वृक्ष लगाने की शपथ लें तो मुझे पूरा विश्वास है कि हमारा जीवन भौतिक व सौंदर्य दोनों दृष्टियों के कहीं अधिक सम्पन्न होगा। इस सम्बन्ध में केरल में कुछ जातियों में प्रचलित प्रथा का स्मरण हो आता है। वहां प्रत्येक ग्रामीण पांच वर्ष लगाता है—दो वृक्ष अपने भोजन व आवास के लिए, दो अपनी संतानों के लिए और एक वृक्ष मृत्यु होने पर अपने शव को जलाने के लिए।

नियोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम में सरकार द्वारा लगाए गए वन का विवरण इस प्रकार हैं :—

योजनावधि	निवेश वन्य क्षेत्र	वनरोपण (लाख रुपयों में)	वन्य क्षेत्र के निवेश के प्रतिशत के रूप में वृक्षारोपण प्रतिशत	वृक्षारोपण के अन्तर्गत कुल क्षेत्रफल-हैक्टर
प्रथम योजना (1951-50)	850	130	15	50,053
दूसरी योजना (1956-61)	2120	690	32	217,397
तीसरी योजना)961-66)	4600	2060	45	324,860
वार्षिक योजनाएं (.966-69)	4210	2260	53	419,960
चौथी योजना (1969-74)	8900	4550	50	590,040
पांचवीं योजना का प्रारूप (1974-79) अनुमानित	22050	7900	35	(1700,000 लक्ष्य)

संगठित वृक्षारोपण कार्य में अधिक पूंजी लगती है। बीज प्राप्त करने, फुलवाड़ियां तैयार करने, पौध तैयार करने और उन्हें आग व अन्य प्राकृतिक आपदाओं से बचाने के लिए विशेष प्रयत्न करने पड़ते हैं। यह स्वाभाविक ही है कि पूंजी की कमी होने के कारण हम ऐसे वृक्ष लगाना अधिक पसन्द करेंगे जो थोड़े से समय में बढ़ जाएं। सागौन, गन्ध सफेदा, बांस क्रिप्टोमेरिया, विविध प्रकार की मिश्रित किस्मों, देवदार तथा इसी प्रकार के अन्य वृक्षों को लगाने पर होने वाले खर्च के बारे में कई अध्ययन किए गए हैं।

हमें एक ऐसी नीति अपनानी होगी जिसके परिणामस्वरूप हमें अपने निवेश से अधिकतम लाभ मिले और हम शीघ्र बढ़ने वाले और धीरे-धीरे बढ़ने वाले दोनों प्रकार के वृक्ष प्राप्त कर सकें। इस प्रकार की नीति से यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि वन्य क्षेत्रों पर किए गए निवेश पर होने वाली आय की दर राष्ट्रीय स्तर पर वांछित दर से कम नहीं होनी चाहिए। किस प्रकार और कौन से वृक्ष लगाए जाने चाहिएं, यह निर्णय जलवायु, मिट्टी और स्थानीय आर्थिक आवश्यकताओं के आधार पर किया जाना चाहिए। इस प्रकार के निर्णय करते समय जनता को भी साथ लेना होगा। यही वजह है कि सरकारी योजनाओं में व्यक्तिगत प्रयत्नों का शामिल किया जाना आवश्यक है।

केन्द्र और राज्य सरकारें वन क्षेत्र को आधुनिक बनाने के लिए प्रयत्नशील हैं। उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग किया जा रहा है। वृक्षों के तेज विकास को सुनिश्चित करने के लिए, उनमें बीमारियों का प्रतिरोध करने की शक्ति पैदा करने के लिए भी उपाए किए जा रहे हैं। यदि हम वन्य क्षेत्र को आधुनिक बनाने में सफल हो गए तो राष्ट्र को इस क्षेत्र में किए गए निवेश से कहीं अधिक आय मिलेगी।

उच्च उत्पादकता वाले क्षेत्रों का पता लगाया जाना आवश्यक है ताकि वन्य क्षेत्र के पूंजी—उत्पादन अनुपात में सुधार हो सके।

वन राष्ट्रीय आय में बढ़ोतरी का एक मुख्य साधन है। इससे भी बढ़कर ये मनुष्य के लिए आवश्यक स्वस्थ पर्यावरण प्रदान के लिए भी अनिवार्य हैं। वृक्षों के प्रति लगाव से राष्ट्र कल्याण व मानवजाति के दीर्घ अस्तित्व के प्रति हमारी उत्कंठा का पता लगता है। ★

"हमें अपने साथियों को यह समझाने के लिए दूने प्रयत्न करने होंगे कि अगर वे चाहते हैं कि उनके बच्चों का स्वास्थ्य अच्छा रहे, उत्तम शिक्षा मिले, बेहतर रहन-सहन हो तो यह सब छोटे परिवार से ही संभव है।

श्रीमती इन्दिरा गांधी

छात्र कल्याण कार्यक्रम

प्रधानमंत्री द्वारा बीस-सूत्री कार्यक्रम की घोषणा से छात्र समुदाय को बहुत राहत मिली है। कापी-किताबों की कीमतों में गिरावट आई है और छात्रावासों या मान्यता प्राप्त आवासों में रहने वाले विद्यार्थियों के भोजन व्यय में भी कमी हुई है। उनके लिए अपने शैक्षणिक अनुभव का लाभ उठाने के अवसर भी अब पहले से अधिक बढ़ गए हैं। केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा चलाई गई अप्रेंटिस प्रशिक्षण योजना को भी अब अधिक जोर-शोर से चलाया जा रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में प्रधानमन्त्री का कार्यक्रम बहुत ही सफलतापूर्वक लागू किया जा रहा है।

कालेजों तथा विश्वविद्यालयों के छात्रावासों के लिए आवश्यक वस्तुओं को नियमित मूल्य पर उपलब्ध करना इस कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य है। इसके दो पहलू हैं—पहला, सार्वजनिक वितरण व्यवस्था द्वारा अनाज की पूर्ति करना, दूसरा दाल, मसाले, वनस्पति इत्यादि उपभोक्ता वस्तुओं को उन संस्थाओं द्वारा नियन्त्रित या उचित मूल्य पर दिलवाना। इस क्षेत्र में सहकारी संस्थाएं अपनी भूमिका निभा रही हैं और विश्वविद्यालयों तथा कालेजों के छात्रावासों को आवश्यक वस्तुएं रियायती दरों पर बेच रही हैं।

इस कार्यक्रम की कुछ मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं :—

(क) छात्रावासों में रहने वाले प्रति विद्यार्थी को प्रतिवर्ष 80 किलोग्राम अनाज सार्वजनिक वितरण व्यवस्था द्वारा नियंत्रित मूल्य पर दिया जाएगा।

(ख) सहकारी संस्थाएं अपनी चीजें छात्रावासों को तीन से दस प्रतिशत तक की विशेष छूट देकर बेचेंगी।

(ग) सहकारी संस्थाओं द्वारा छात्रावासों की बेची जाने वाली आवश्यक उपभोक्ता वस्तुएं निम्नलिखित हैं :—

अनाज (जिस पर नियंत्रण नहीं है) दालें, मसाले, वनस्पति, खाने के तेल, साबुन, तेल, कपड़े धोने का साबुन, चीनी डबलरोटी, अंडे, मक्खन, नमक, कंट्रोल का कपड़ा, बुने हुए वस्त्र, साइकिलें तथा टायर-ट्यूब, कागज और कापियां, बैटरी के सेल इत्यादि।

(घ) जिन कालेजों या विश्वविद्यालयों में अपनी दुकानें नहीं है, वहां सहकारी संस्थाएं अपनी शाखाएं परिसर के अन्दर ही खोलेंगी ताकि विद्यार्थियों को इन चीजों को खरीदने के लिए कहीं दूर न जाना पड़े।

(ङ) राज्य सरकारों से कहा गया है कि इस योजना के कार्यान्वियन का निरीक्षण करने के लिए सहकारिता विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी की नियुक्ति करें।

इस योजना को शुरू में केवल 43 शहरों में ही लागू करना था परन्तु अब यह सभी राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों के छात्रावासों में लागू की जा रही हैं। राज्यों तथा केन्द्रशासित प्रदेशों से प्राप्त सूचनाओं से पता चलता है कि विश्वविद्यालयों तथा कालेजों के 3,396 छात्रावासों में रहने वाले लगभग 2,87,812 छात्रों को आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराने के लिए प्रबन्ध किया गया है।

मोटे अनुमान के अनुसार, देश के कालेजों और बिश्वविद्यालयों के छात्रावासों और मान्यता प्राप्त आवासों में रहने वाले छात्रों की संख्या पांच लाख है। इस प्रकार छात्रावासों में रहने वाले लगभग आधे विद्यार्थी एक साल के अन्दर ही इस योजना के अन्तर्गत लाए जा चुके हैं। नौ राज्यों और छः केन्द्रशासित प्रदेशों,—असम, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, मणिपुर, मेघालय नागालैंड, उड़ीसा, त्रिपुरा तथा अण्डमान निकोबार, अरुणाचल-प्रदेश, चण्डीगढ़, लक्षदीव, मिजोरम और पांडीचेरि में कालेजों और विश्वविद्यालयों के छात्रावासों तथा मान्यता प्राप्त आवासों में रहने वाले सभी छात्रों को इस योजना के अन्तर्गत लाया जा चुका है और इससे 4,509 छात्रों को लाभ पहुंचा है। दिल्ली में 93 प्रतिशत यानी 8,565 छात्रों को इस योजना का लाभ पहुंच रहा है। इसके बाद पश्चिम बंगाल का स्थान आता है जहां 90 प्रतिशत यानी 16,481 छात्रों को इस योजना के अन्तर्गत लाया

जा चुका है। बिहार में 80 प्रतिशत (27,141) गोवा में 5 प्रतिशत (53) और उत्तर प्रदेश में 5 प्रतिशत (21,054) छात्र इस योजना से लाभान्वित हो रहे हैं।

इन कदमों के परिणामस्वरूप छात्रों के भोजन-व्यय में भी कमी आई है। मेस के बिलों में आई कमी औसतन दस रु० प्रति व्यक्ति प्रति माह है। इस व्यय को और कम करने के प्रयास जारी हैं।

पुस्तकें और लेखन सामग्री

छात्रों को पुस्तकें और कागज-कापियां नियंत्रित मूल्य पर दिलाने तथा पुस्तक बैंकों की स्थापना के कार्यक्रम में भी काफी प्रगति हुई है।

पाठ्यपुस्तकों की कीमतों में कमी करके उन्हें 1973 के स्तर पर स्थिर कर दिया गया है। कीमतों में यह कमी छपाई के काम में आने वाले सफेद कागज को रियायती मूल्य पर उपलब्ध कराने के कारण संभव हो सकी है। शिक्षा क्षेत्र के लिए प्रतिवर्ष एक लाख बीस हजार टन छपाई का सफेद कागज दिया जाएगा। रियायती कागज के उचित वितरण के लिए एक दो-स्तरीय तरीका निकाला गया है। केन्द्रीय स्तर पर केन्द्रीय समन्वय समिति की स्थापना की गई है, जो समय-समय पर शिक्षा सम्बन्धी कार्य के लिए कागज बांटने के नियम तथा आधार तैयार करती है। राज्य स्तर पर कागज बांटने के लिए राज्यस्तरीय समितियां बनाई गई हैं। कुछ केन्द्रशासित प्रदेशों में भी ऐसी समितियों का गठन किया गया है। इन समितियों को विभिन्न प्रकार के उपभोक्ताओं जैसे राष्ट्रीयकृत पाठ्य पुस्तकों के बोर्ड, कापियों के निर्माता, प्रकाशक, विश्वविद्यालय तथा स्कूल परीक्षाओं के बोर्डों के लिए कागज बांटने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। भारत सरकार राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों के लिए विभिन्न शिक्षा कार्यों के लिए जून, 1974 से हर तीन महीने बाद लगातार रियायती कागज दे रही है। स्कूलों की पाठ्य पुस्तकें तथा कालेज और विश्वविद्यालयों की पुस्तकें तैयार करने के लिए पिछले दो साल में एक लाख सात हजार टन कागज दिया गया।

इस योजना का पाठ्य पुस्तकों की कीमतों पर काफी प्रभाव पड़ा है, विशेषतया नई पुस्तकों और दुबारा छपी हुई पुस्तकों पर, हालांकि उत्पादन लागत में वृद्धि हुई है। असम, बिहार, हिमाचल प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र, मणिपुर, उड़ीसा, राजस्थान और पश्चिम बंगाल तथा केन्द्रशासित प्रदेश मिजोरम में पाठ्य पुस्तकों की कीमतों में औसतन दस से बीस प्रतिशत तक कमी आई है। दिल्ली प्रशासन ने पाठ्य पुस्तकों, संदर्भ और दूसरी पुस्तकों के निजी क्षेत्र के प्रकाशकों से अनुरोध किया कि वे इन पुस्तकों पर छपी हुई कीमत में कम से कम दस प्रतिशत की कमी करें। इस अनुरोध का अच्छा प्रभाव हुआ और कुछ बड़े-बड़े प्रकाशकों ने अपनी पुस्तकों की कीमतें कम कर दी हैं।

आन्ध्र प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, पंजाब (विश्वविद्यालय स्तर की पुस्तकें), नागालैंड, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में छपाई की लागत में वृद्धि होने के बावजूद मूल्यों को 1973 के स्तर पर स्थिर कर दिया गया है। आशा है कि शेष राज्य भी ऐसा करेंगे।

कापियां

1974 में शिक्षा-सत्र के आरम्भ में विद्यार्थियों को कापियां आदि के मिलने में जो कठिनाई हुई थी, वह अब दूर हो गई है। अब सारे देश में विद्यार्थियों को निश्चित मूल्य पर कापियां आसानी से मिल रही हैं। इसका कारण यह है कि राज्यों तथा केन्द्रशासित प्रदेशों को कापियां आदि बनाने के लिए नियमित रूप से रियायती कागज मिल रहा है। अब तक इस काम के लिए एक लाख चौबीस हजार टन कागज दिया जा चुका है। स्टैंडर्ड साइज की कापियों का न्यूनतम मूल्य पच्चीस पैसे और अधिकतम मूल्य एक रुपया तीस पैसे निश्चित किया गया है। पच्चीस पैसे वाली कापी में कवर लगा होता है तथा उसमें 48 पृष्ठ होते हैं जबकि एक रुपए तीस पैसे वाली कापी में जिल्द लगी हुई होती है और उसमें दो सौ चालीस पृष्ठ होते हैं।

दूसरी किस्म की कापियों के मूल्य इस प्रकार निश्चित किए गए हैं—कवर लगी हुई 64 पृष्ठ की कापी का मूल्य 30 पैसे और 84 पृष्ठ की कापी का मूल्य 40 पैसे, मोटे कवर की एक सौ बीस पृष्ठ की कापी का मूल्य पैंसठ पैसे, जिल्द लगी हुई 96 पृष्ठ की कापी का मूल्य 65 पैसे 144 पृष्ठ की कापी का मूल्य 80 पैसे और 192 पृष्ठ की कापी का मूल्य एक रु० 15 पैसे। कापियों के निर्माताओं ने एक साथ अधिक कापियां खरीदने वालों को दस प्रतिशत की और छूट देना भी स्वीकार किया है।

कई राज्यों में नई कीमतें लागू कर दी गई हैं। उत्तर प्रदेश में कुछ किस्म की कापियों का मूल्य इससे भी कम नियत किया गया है।

लिखने-पढ़ने के काम आने वाली दूसरी चीजें जैसे पेंसिल, रबड़, ज्योमेट्री बाक्स नियंत्रित मूल्य पर दिलाने के लिए भी कदम उठाए गए हैं। दिल्ली में इन चीजों की कीमतें पांच प्रतिशत घटा दी गई हैं। हिमाचल प्रदेश, केरल, मेघालय, अण्डमान—निकोबार द्वीप-समूह और लक्षदीव में स्कूलों के सहकारी भंडारों द्वारा विद्यार्थियों को नियंत्रित मूल्य पर ये चीजें उपलब्ध कराई जा रही हैं। दस राज्यों—बिहार, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, मणिपुर, पंजाब, सिक्किम, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और केन्द्रशासित प्रदेश पांडिचेरी में विद्यार्थियों को ये चीजें उचित दामों पर मिल रही हैं।

पुस्तक बैंक

पुस्तक बैंकों की स्थापना विद्यार्थियों को उचित दामों पर पाठ्य-पुस्तकें दिलवाने के कार्यक्रम का अभिन्न अंग है। इस बैंकों का मुख्य उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों को लाभ पहुंचाना है। पुस्तक बैंक स्कूलों तथा कालेजों में खोले गए हैं। नए कार्यक्रम की घोषणा के बाद विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने पुस्तक बैंकों की स्थापना के लिए सहायता देने हेतु आवश्यक न्यूनतम संख्या सम्बन्धी

नियम में ढील दे दी है। अब कोई भी कालेज जिसमें डिग्री कक्षाओं में कम से कम सौ छात्र हैं, पुस्तक बैंक की स्थापना के लिए आयोग की सहायता का अधिकारी है। इस निर्णय से पिछड़े क्षेत्रों में स्थित कालेजों को पुस्तक बैंक खोलने में सहायता मिलेगी। देश में कुल 2,389 कालेज पुस्तक बैंक सम्बन्धी सहायता के पात्र हैं। इनमें से लगभग दो हजार कालेजों में पुस्तक बैंक खोले जा चुके हैं।

स्कूलों में पुस्तक बैंक खोलना एक नया कदम है जिसे नए आर्थिक कार्यक्रम की घोषणा के बाद शुरू किया गया है। उद्देश्य गरीब तथा आर्थिक रूप से पिछड़े हुए वर्गों के बच्चों को पुस्तकें उपलब्ध करना है। अब तक प्राप्त सूचनाओं के अनुसार आन्ध्र प्रदेश, असम, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा तथा दिल्ली, मिजोरम और पांडिचेरी के केन्द्रशासित क्षेत्रों के स्कूलों में 89,973 पुस्तक बैंक खोले जा चुके हैं। यहां पर यह बताना असंगत न होगा कि अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह, अरुणाचल प्रदेश (कक्षा 6 तक) दादरा और नगर हवेली और लक्षद्वीप के केन्द्रशासित क्षेत्रों में सभी जरूरतमन्द छात्रों को पाठ्यपुस्तकें मुफ्त दी जाती हैं। पश्चिम बंगाल में कक्षा 4 तक सभी विद्यार्थियों को पाठ्यपुस्तकें मुफ्त दी जाती हैं। सिक्किम में कक्षा 6 तक किताबें आधी कीमत पर दी जाती हैं।

प्रशिक्षण

अप्रेन्टिसों के प्रशिक्षण का कार्यक्रम केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय के तकनीकी शिक्षा विभाग की देख-रेख में पहले से ही चल रहा है। लेकिन बीस-सूत्री आर्थिक कार्यक्रम की घोषणा के बाद इसको विशेष महत्व दिया जा रहा है।

केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय विद्यार्थियों को उनकी पढ़ाई पूरी होने के बाद अप्रेन्टिस बनवाने के लिए श्रम तथा रोजगार मंत्रालय से तालमेल रखता है। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य इन्जीनियरिंग स्नातकों और डिपलोमाधारियों को उद्योगों की व्यावहारिक शिक्षा देना है ताकि वे शिक्षण संस्थानों में प्राप्त ज्ञान के साथ-साथ व्यावहारिक ज्ञान भी प्राप्त कर सकें। ऐसा प्रशिक्षण उन्हें लाभप्रद रोजगार के योग्य बनाता है। इस प्रशिक्षण का संचालन शिक्षा मंत्रालय अपने चार-क्षेत्रीय अप्रेन्टिसशिप बोर्डों द्वारा करता है। यह बोर्ड दक्षिणी, उत्तरी, पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्रों के लिए क्रमशः मद्रास, कानपुर, कलकत्ता और बम्बई में स्थापित किए गए हैं। अप्रेन्टिसशिप (संशोधन) कानून 1973 के अन्तर्गत, इंजीनियरिंग और टेक्नालोजी के 57 क्षेत्रों में यह प्रशिक्षण जाता है। आमतौर पर इस प्रशिक्षण की अवधि एक साल होती है। इसके दौरान स्नातक इन्जीनियरों को प्रतिमाह 280 रुपए और डिप्लोमा धारियों को 180 रुपया वजीफा दिया जाता है।

अब तक प्राप्त सूचनाओं के अनुसार 19,611 अप्रेन्टिस, (10,216 स्नातक) और 9,395 डिप्लोमाधारी) प्रशिक्षण ले रहे हैं। इनमें से 263 अप्रेन्टिस अनुसूचित जातियों के, 44 अनुसूचित जनजातियों के तथा 752 अल्पसंख्यकों के हैं। इन अप्रेन्टिसों में 5,377 लड़के मैनेजमेण्ट की शिक्षा ले रहे हैं। अपना प्रशिक्षण सफलतापूर्वक समाप्त करते ही इन्हें प्रशिक्षण संस्थानों में ही नौकरी मिल जाएगी।

राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की विशेषताएं

विवाह की आयु बढ़ाकर लड़कों के लिए 21 और लड़कियों के लिए 18 वर्ष की जा रही है।

30 साल तक लोकसभा और राज्य विधान सभाओं में प्रतिनिधित्व 1971 की जनगणना के स्तर पर ही रहेगा।

राज्यों की योजनाओं में केन्द्रीय सहायता का 8 प्रतिशत भाग विशेष रूप से परिवार नियोजन कार्यों के लिए रखा जाएगा।

परिवार नियोजन आपरेशन कराने के लिए पुरुष और महिलाओं को दी जाने वाली रकम में बढ़ोतरी की जाएगी।

फिलहाल अनिवार्य नसबंदी के प्रश्न पर कोई केन्द्रीय कानून नहीं बन रहा है।

पंचायतों, अध्यापकों और श्रमिकों के लिए सामूहिक योजना शुरू की जाएगी।

परिवार नियोजन को जन आंदोलन बनाने के उद्देश्य से इसमें स्वयंसेवी संगठनों को सम्मिलित किए जाने की योजना का विस्तार किया जाएगा।

महिला शिक्षा के स्तर को उठाने के लिए विशेष उपाय किए जाएंगे।

बाल पोषक आहार कार्यक्रम को उच्च प्राथमिकता दी जायेगी जिससे कि बाल मृत्यु के मामलों में काफी कमी हो सके।

शिक्षा प्रणाली में जनसंख्या समस्या को शामिल किया जाएगा।

केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की सेवा और आचरण नियमों में परिवर्तन किए जा रहे हैं जिससे कि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे छोटे परिवार के सिद्धांतों पर चलें।

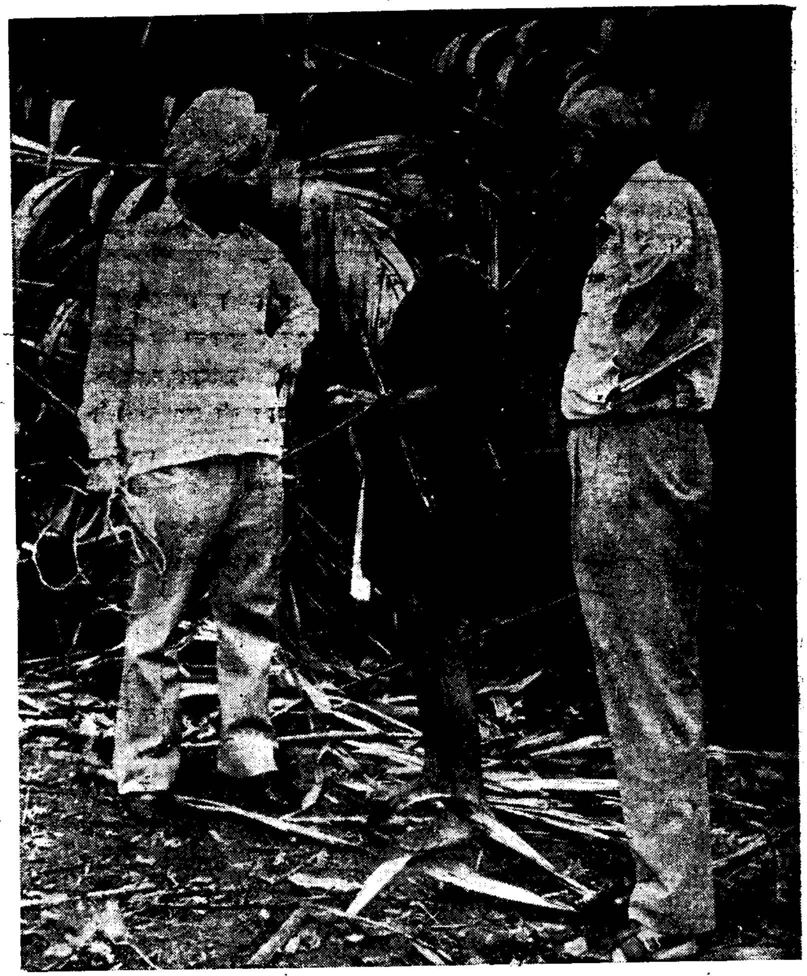

सिआंग की घाटी में विकास के चरण

यहां का किसान साहसी, परिश्रमी और संतोषी है। यही कारण है कि वह एक या दो फसलों से ही संतुष्ट होकर बैठ जाता है, क्योंकि आवश्यकता से अधिक की उसे चाह नहीं होती। विकास के युग में यह दुर्गुण माना जा सकता है किन्तु अरुणाचल वासियों का यह स्वभाव उन्हें विकासशील क्षेत्रों की अनेक बुराइयों से बचाए हुए है। यहां आप चोरी नाम मात्र को भी नहीं पायेंगे। ग्रामसेवक प्रशिक्षण केन्द्र के प्रिंसिपल श्री के० बी० चक्रवर्ती के इन शब्दों पर सहसा विश्वास नहीं हुआ। किंतु लगभग एक सप्ताह के प्रवास में जो देखा उससे न केवल श्री चक्रवर्ती के शब्दों को अक्षरश: सत्य पाया बल्कि अरुणाचल के किसान के प्रति श्रद्धा भी जाग्रत हुई।

कुछ दिन पहले तक नेफा के नाम से प्रसिद्ध यह प्रदेश अब अरुणाचल के नाम से बोला जाता है। बाल सूर्य की किरणें हिमाचल की पूर्वी गोद से मचलती हुई उतरती हैं सिआंग नदी के जल से किलोल करने, किन्तु घाटी की गहराइयों तक पहुंचते-पहुंचते प्रखर हो जाती हैं। बालारुण की इस क्रीड़ास्थली का नाम अरुणाचल प्रदेश उचित ही रखा गया है।

आज का अरुणाचल प्रदेश भारत के अन्य राज्यों की तरह अलग राज्य है। कुछ अरसे पहले तक यह असम का ही एक भाग था।

प्रगति की राह पर

प्रकृति ने अरुणाचल को दोनों हाथों से संवारा है। सभी मौसमों में यहां की छटा देखते ही बनती है। चारों ओर पहाड़ ही पहाड़ नजर आते हैं और उन पर बसे घने जंगलों के बीच कलकल रव करते झरने किसी भी सैलानी को उदास नहीं छोड़ सकते। प्राकृतिक संपदा से भरपूर इस इलाके के लोग निश्छल रूप से निस्संकोच प्रकृति का स्वागत करने को तत्पर रहते हैं। आंकड़े बताते हैं कि इन बेहद शान्त और संतोषी व्यक्तियों ने स्वतन्त्रता के बाद गजब की प्रगति की है।

भारत की आजादी से पहले जिस इलाके को जंगली और पिछड़ा हुआ मान कर छोड़ रखा था उस इलाके का विकास गत पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत दिन दूना रात चौगुना हुआ है। जरा सोचिए, दो दशक पहले किसान हर दो तीन साल बाद खेत बदल देते थे और किसी एक स्थान पर जम कर खेती नहीं करते थे। इस तरीके को झूम खेती के नाम से पुकारा जाता है। इस प्रथा का सबसे ज्यादा बुरा प्रभाव जंगलों पर पड़ता है। लाखों करोड़ों रुपए की वन संपदा हर वर्ष नष्ट होती चली जा रही थी।

भगवत प्रसाद चतुर्वेदी

हालांकि झूम खेती बिल्कुल बन्द तो नहीं हुई है फिर भी अब अधिकांश किसान स्थायी खेती करते हैं। करीब 25 हजार हैक्टर जमीन में अब स्थायी रूप से खेती होती है। और अधिकांश किसान खेती में उन्नत तरीके अपनाते हैं। ये प्रगतिशील किसान रातोंरात प्रगतिशील नहीं बन गए। उन्होंने नये तरीके अपनाने से पहले प्रदर्शन वाले खेतों को देखा, परखा और आपस में बैठ कर सोच विचार किया। जब उन्नत खेती को लाभकर पाया तो खुले हाथों अपनाया और फायदा उठाया।

लोकतंत्रीय परंपरा

"आपको हर किसान को समझाने में दिक्कतें तो जरूर पेश आयी होंगी ?"

"बिलकुल नहीं," मेरी जिज्ञासा शान्त करते हुए पासीघाट के कृषक प्रशिक्षण अधिकारी श्री साइमन ने

बताया, 'इन लोगों की जीवन पद्धति अनादि काल से लोकतंत्रीय सांचे में ढली है। इनके गांव का मुखिया, जिसे यह गांव का बूढ़ा कहते हैं, अपने कुछ सहयोगियों के साथ पहले परीक्षण करता है। बाद में सफल परीक्षण पंचायत के अन्य सदस्यों को बताता है और फिर पंचायत गांव वालों से निःसंकोच नये तरीके अपनाने की सिफारिश करती है। इस तरह सरकारी अधिकारियों का काम आसान हो जाता है।"

आमतौर पर प्रत्येक गांव में एक ही कबीले के लोग रहते हैं। इनका मुख्य धंधा खेती ही है। जमीन किसी को खरीदनी नहीं पड़ती, क्योंकि आबादी के अनुपात से जमीन अधिक है। इसलिए जो जितनी जमीन में खेती कर सकता है करे। यही कारण है कि यहां गरीब अमीर का खास भेदभाव नहीं है। सारे अरुणाचल में आपको न चोर मिलेगा न भिखमंगा। लोग हंसमुख, मेहनती और ईमानदार मिलेंगे।

कृषि विकास

झूम खेती करने वालों ने जब स्थायी रूप से खेती करना शुरू किया तब उन्होंने जमीन को तो खेती योग्य बनाया ही साथ ही खेती को रोग और कीड़ों से बचाने, सिंचाई करने तथा पैदावार बढ़ाने के साधनों की ओर भी ध्यान दिया। चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक करीब 20 हजार हैक्टर जमीन में पौध संरक्षण के तरीके अपनाये गए और 11 हजार हैक्टर जमीन में छोटी सिंचाई की सुविधायें उपलब्ध कराई गयीं।

यहां के अधिकांश किसान पहले एक फसल ही लेते थे। अब आमतौर पर दो और कहीं तीन और चार फसलें तक लेते हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि आज अरुणाचल खाद्य उत्पादन में पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर है और कई इलाकों में तो अनाज जरूरत से ज्यादा पैदा होता है।

फिर क्या कारण है कि किसान बड़े पैमाने पर पैदावार लेकर मुनाफा कमाने की क्यों नहीं सोचते ?

"जनाब, मार्केटिंग यानी विपणन की सुविधा न होने से किसान अधिक पैदावार लेने में हिचकिचाता है, जवाब दिया श्री मसीह ने जो पासीघाट में प्रशिक्षण अधिकारी हैं।

संचार सुविधाएं

युवा अधिकारी मसीह उन इने गिने अधिकारियों में हैं जो अपना दायित्व मिशनरी भावना से निभाते हैं। उन्होंने बताया कि उपयुक्त सड़कें न होने से यातायात की असुविधा थी। किंतु पिछले कुछ वर्षों में सड़कों का निर्माण हुआ है जिसके कारण यात्रियों के साथ ही माल का आवागमन भी बढ़ा है। फिर भी यह सुविधा अरुणाचल के शहरों के आसपास ज्यादा है, खासकर सड़क के आसपास वाले गांवों ने खूब लाभ उठाया है।

पासीघाट के करीब 30 किलोमीटर दूर बसे सिकोंग गांव के सबसे प्रगतिशील किसान ताबिर ताबोह से जब मैंने पूछा कि सड़क के किनारे गांव से वह अपनी पैदावार क्यों नहीं बढ़ाते तो उन्होंने सरल स्वभाव से उत्तर दिया, "हम तीन फसल लेता है और एक राइस मिल भी चलाता है।"

ताबिर ताबोह धान, गेहूं और सोयाबीन की फसलें लेते हैं। गांव बूढ़ा तातैर यादुंग ने बताया कि ताबिर ताबोह आलू भी बोता था किंतु उस साल आलू की बोआई से पहले उसके पिता की मृत्यु हो गई जिससे उसने आलू नहीं बोया। ये लोग अपनी परम्पराओं और रीति रिवाजों का पूरी तरह पालन करते हैं।

रेडियो संपर्क अधिकारी श्री डोले के अनुसार कृषि विकास केवल खेती बाड़ी तक सीमित नहीं है। पशुपालन और मछली पालन की दिशा में भी काफी प्रगति हुई है। अरुणाचल के ग्राम जीवन में गाय एक अनिवार्य अंग है। वहां प्रत्येक परिवार के पास थोड़ी बहुत गायें जरूर होंगी। बैलों से वे खेती का काम लेते हैं और गायों से परिवार को दूध मिलता है।

पासीघाट के निकट बेरुंग गांव में सरकारी फार्म पर पूसा जाइन्ट, नेपियर घास चारे के लिए उगाई जाती है। आसपास के किसान यहां से चारा ले जाते हैं और अपनी गायों को संरक्षण के लिए लाते हैं।

वेटिरिनरी सर्जन डा० एम० के० चौधरी ने बताया कि उन्नत नस्ल के सरकारी सांडों से मेल कराने के लिए आठ केन्द्र खोले गए हैं। इन केन्द्रों पर किसानों को अपनी गायों के लिए चारा भी मिलता है। उन्होंने बताया कि इन केन्द्रों से काफी किसान लाभ उठा रहे हैं।

इसी तरह बागवानी के क्षेत्र में भी प्रगति के चिन्ह स्पष्ट दिखाई देते हैं। अभी तक अरुणाचल में व्यापारिक दृष्टि से बगीचे नहीं लगाए जाते थे। यही कारण था कि वहां ज्यादातर जंगली फल होते थे। आज अरुणाचल मे घुसते ही किसी भी पर्यटक की निगाह पहाड़ों पर लगे अनन्नास, केले, संतरे, नीबू आदि के बगीचों पर पड़े बिना नहीं रह सकती।

कुल मिलाकर देखा जाए तो अरुणाचल में कृषि विकास के काम ने वहां के किसानों को एक नई दिशा दी है। इस का बहुत कुछ श्रेय सिआंग (जो आगे चलकर ब्रह्मपुत्र कहलाती है) की विस्तीर्ण घाटी में बसे अरुणाचल के किसानों को ही दिया जा सकता है।

संपादक (हिन्दी)
विस्तार निदेशालय
249 शास्त्री भवन
नई दिल्ली

★

भारत पहले कभी भी इतना शक्तिशाली नहीं था, जितना आज है। कोई भी देश अपनी उन्नति, विकास और प्रगति से शक्तिशाली बनता है। हमें अपने देश को हर क्षेत्र में ऊंचा उठाना है और देश का मतलब है उसकी कोटि-कोटि जनता।

इन्दिरा गांधी

आर्थिक विकास में सहकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका

कृषि हमारी अर्थव्यवस्था का प्रमुख क्षेत्र होने के कारण, सहकारिता को ग्रामीण भारत के लिए सर्वोत्तम आशा माना गया है। 1904 में सहकारी ऋण समिति अधिनियम लागू होने से भारत में सहकारिता आन्दोलन का प्रादुर्भाव हुआ।

हालांकि कृषि ऋण, विपणन, कृषि उत्पादन तैयार करने तथा बीज, खाद आदि की सप्लाई के क्षेत्रों में सहकारियों के विकास के लिए सुव्यवस्थित और समुचित कार्यक्रम दूसरी, तीसरी और चौथी पंचवर्षीय योजनाओं में बनाए गए। चौथी योजना के दौरान सम्पूर्ण भारत में सहकारियों के विकास तथा विभिन्न सहकारी संगठनों के समन्वित और सुगठित विकास को प्रोत्साहन देने का लक्ष्य सामने रखा गया। पांचवीं पंचवर्षीय योजना में कृषि सहकारियों को मजबूत बनाने, उपभोक्ता सहकारियों को और अधिक सक्षम बनाने, तथा छोटे सीमांत किसानों और जनता के कमजोर वर्गों पर सहकारियों द्वारा अधिकाधिक ध्यान केन्द्रित करने का दृष्टिकोण रखा गया है।

सहकारी आंदोलन अब ऋण, विपणन, माल तैयार करने, कृषि के लिए सप्लाई और भंडारण, छोटे और मझोले उद्योगों के लिए माल तैयार करने और सप्लाई, ग्रामीण विद्युतीकरण, आवास, परिवहन, मछली पालन, मुर्गी पालन, डेयरी और खाद्यान्नों के सार्वजनिक वितरण, कंट्रोल का कपड़ा तथा सहकारी भंडारों के माध्यम से चुनी आवश्यक वस्तुओं की बिक्री आदि जैसी गतिविधियों के विभिन्न क्षेत्रों से फैल चुका है। पिछले दस वर्षों के दौरान सहकारियों ने चीनी और उर्वरक जैसे नए क्षेत्रों में भी अपनी गतिविधियां बढ़ा ली हैं।

जनता के कमजोर वर्गों को आवश्यक वस्तुओं का वितरण और उत्पादन सुनिश्चित करने के लिए, सहकारियों को इस नीति के कार्यान्वयन में एक उल्लेखनीय भूमिका सौंपी गई है। विपणन प्रणाली में उपभोक्ता का भी सहयोग होगा। आवश्यक वस्तुओं की 17 श्रेणियों के वितरण को प्राथमिकता दी गई है। इनमें शामिल हैं—खाद्यान्न (गेहूं और चावल तथा जहां कहीं आवश्यक हो मोटा अनाज), चीनी, वनस्पति और खाद्य तेल, स्टैंडर्ड कपड़ा, मिट्टी का तेल और साफ्ट कोक, गैस, घरेलू ईंधन, सीमेंट, छात्रों के लिए कागज, दियासलाइयां, कृषि प्रयोजनाओं के लिए डीजल तेल, आवश्यक दवाएं, कपड़े धोने का साबुन, सोडाराख, बेबी-फूड, नमक, आम जूते चप्पल तथा टायर और ट्यूब। सहकारियों को वाणिज्यिक प्रणालियों तथा सुधरे हुए व्यावसायिक प्रबंध के क्षेत्र में सक्षम बनाया जा रहा है।

किसानों को ऋण उपलब्ध कराने के लिए सहकारियां अब प्रमुख संस्थागत एजेंसी बन गई हैं। ये उर्वरक, बीज आदि के लिए अल्पावधि ऋण तथा जमीन पर स्थायी सुधार लाने के लिए मध्यावधि और दीर्घावधि ऋण प्रदान करती हैं। इन सहकारियों ने 1974-75 में 1100 करोड़ रुपए का कुल ऋण बांटा जबकि 1965-66 में इनके द्वारा लगभग 400 करोड़ रुपए का ऋण बांटा गया था। ग्रामीण परिवारों को प्राप्त कुल ऋण राशियों में सहकारियों का भाग 1950-51 में 3 प्रतिशत था जो 1961-62 और 1967-68 में बढ़कर क्रमशः 17 तथा 33 प्रतिशत हो गया। आशा है कि 1978-79 तक सहकारियां अल्पावधि ऋण की 40 प्रतिशत मांग को पूरा करने लगेंगी। अनुमान है कि सहकारियां 1973-74 से 1978-79 की अवधि के दौरान लगभग 1825 करोड़ रुपए के सावधिक ऋण बांटेंगी।

इस समय सारे देश में उपभोक्ता सहकारियों का जाल बिछा हुआ है। ये सहकारियां आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं के उचित और समान वितरण में सहायता करती हैं तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली में कारगर भाग लेती हैं।

उपभोक्ता वस्तुओं के वितरण के लिए सहकारियों के विकास की ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इस समय सहकारियां शहरी इलाकों में लगभग 16,000 तथा ग्रामीण इलाकों में लगभग 47,000 खुदरा दुकानें चला रही हैं। जून, 1975 को समाप्त सहकारी वर्ष के दौरान अनुमान है कि इन सहकारियों ने 750 करोड़ रुपए मूल्य की उपभोक्ता वस्तुओं का कारोबार किया। ये सहकारियां कंट्रोल के कपड़े के क्षेत्र में प्रमुख भूमिका अदा करती हैं। ऐसा कपड़ा सूती वस्त्र उद्योग द्वारा आम जनता के लिए कम लागत पर बनाया जाता है। सहकारियां अपनी लगभग 33,000 खुदरा दुकानों के माध्यम से ऐसा कपड़ा वितरित कर रही हैं। इन दुकानों में से लगभग 80 प्रतिशत दुकानें ग्रामीण इलाकों में हैं।

सहकारियों की गतिविधि में इन्हें विश्वविद्यालय और डिग्री कालेजों के छात्रावासों में छात्रों को आवश्यक वस्तुयें सप्लाई करने के काम को सौंपे जाने के फलस्वरूप एक नया मोड़ आया है। ये सहकारियां 4,000 से अधिक छात्रावासों में जिनमें लगभग तीन लाख 70 हजार छात्र रहते हैं, रियायती दरों पर आवश्यक वस्तुएं सप्लाई कर रही हैं।

सहकारियों ने उर्वरकों के वितरण के लिए 4¹,000 से अधिक खुदरा दुकानें खोली हैं। 1974-75 के दौरान इन सहकारियों ने 620 करोड़ रुपए मूल्य के उर्वरकों का कारोबार किया जबकि 1965-66 में केवल 80 करोड़ रुपए मूल्य के उर्वरकों का वितरण हो सका था। अनुमान है कि 1978-79 तक ये सहकारियां 850 करोड़ रुपए मूल्य के उर्वरकों का करोबार करेंगी; ये सहकारियां 75 करोड़ रुपए मूल्य के बीज

और कीटनाशक दवाएं प्रतिवर्ष बांटती हैं।

ये सहकारियां समाज के विभिन्न वर्गों जैसे छोटे और सीमांत किसान, मछुआ आदि को रोजगार के बढ़ते हुए अवसर उपलब्ध कराती हैं।

डेयरी, मछली पालन, सहकारी खेती आदि के बारे में विभिन्न कार्यक्रम चला कर ये सहकारियां समाज के कमजोर वर्गों की सेवा में लगी हुई हैं।

सहकारी प्रशिक्षण और शिक्षा कार्यक्रम के दो पहलू हैं। (एक) सहकारी शिक्षा सहकारी संस्थाओं के सदस्यों और पदाधिकारियों के लिए है और (दो) सहकारी प्रशिक्षण सहकारी विभागों और संस्थाओं के कर्मचारियों के लिए हैं। ये दोनों राष्ट्रीय सहकारी संस्था तथा राज्य सहकारी संस्थाओं द्वारा देखे जा रहे हैं।

सामाजिक न्याय के साथ प्रगति हमारी आर्थिक नीति का मुख्य विषय है। सहकारियों की स्थापना कृषि विकास, ग्रामीण औद्योगीकरण तथा ग्राम उपभोग की आवश्यक वस्तुओं के लिए उपभोक्तोन्मुख वितरण प्रणाली की स्थापना की बहुमुखी दीर्घावधि नीति का एक अभिन्न भाग है। सामाजिक दृष्टिकोणों के अनुरूप सहकारियों की नीतियों और प्रणालियों को लगाकर ऐसा बनाया जा रहा है जिससे छोटे किसान, मजदूर, दस्तकार और उपभोक्ता को लाभ पहुंचाया जा सके।

केन्द्रीय और राज्य सरकारें, रिजर्व बैंक आफ इण्डिया, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम तथा अन्य सार्वजनिक क्षेत्र वित्त संस्थाएं सहकारियों को उल्लेखनीय सहायता उपलब्ध करा रही हैं। सार्वजनिक क्षेत्र संगठनों जैसे-खाद्य निगम, पटसन निगम, आदि, के साथ इन सहकारियों के कारगर समन्वय का प्रयास किया जा रहा है ताकि इन दोनों क्षेत्रों की समन्वित गतिविधियों के फलस्वरूप दोनों क्षेत्रों को एक दूसरे से फायदा पहुंच सके।

पिछले दशक में एक और उल्लेखनीय घटना ऋण, विपणन, चीनी तैयार करना, कताई आदि जैसी विभिन्न गतिविधियों के लिए बहुत से राष्ट्रीय सहकारी संघों की स्थापना है। चूंकि सहकारियों को आर्थिक गतिविधियों के बड़े पैमाने पर विस्तार के लिए केन्द्रीय मार्ग निदेश, समन्वय और सहायता की जरूरत होती है, अतः सहकारियों की विभिन्न गतिविधियों के लिए आवश्यक मार्ग-निदेश और कारोबारी सहायता उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तर के इन संघों पर काफी सीमा तक भरोसा किया जाता है।

आपात कालीन घोषणा से बहुमुखी विकास ★ देव कान्त बरुआ

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष श्री देवकान्त बरुआ ने कहा कि आपातकालीन घोषणा का देश पर जादुई प्रभाव हुआ है। सारा वातावरण बदल गया। सारे देशभर में लोकतन्त्र को सफल बनाने और आर्थिक विकास के लाभों को आम आदमी तक पहुंचाने के लिए अनुशासन की आवश्यकता अनुभव की गई।

उन्होंने कहा कि एक वर्ष पूर्व इसी दिन भारत के इतिहास में एक नया मोड़ आया था। देश में उथल-पुथल पैदा करने के लिए तैयार किए जाने वाले षड्यन्त्र को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रपति ने आपात् स्थिति की घोषणा की। हर कोई यह जानता है कि कुछ विशेष वर्ग, दल और व्यक्ति, जिन्हें लोकतांत्रिक माध्यम से सत्ता प्राप्त करने में सफलता नहीं मिली थी, कानूनी रूप से गठित सरकार को गिराने के लिए गैर संवैधानिक तरीके अपनाने पर उतारू हो गए थे। लोकतांत्रिक विचार-विमर्श और कानून के स्थान पर हिंसा, दबाव और डराने धमकाने जैसे तरीकों से अपना उद्देश्य प्राप्त करने की कोशिश की गई।

आपात काल के बाद अर्थव्यवस्था के विकास और जनता के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए आवश्यक कानूनी उपाय किए गए। एक वर्ष में सौ से अधिक कानून बनाए गए।

राष्ट्रपति को देश में प्रतिक्रियावादियों की गतिविधियों को रोकने की सलाह देकर प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने अपनी बुद्धिमत्ता का उदाहरण दिया और देश को अराजकता से बचा लिया। इसके बाद जो कुछ भी हुआ उससे सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की उपादेयता सिद्ध हुई और भारत की सारी जनता आज इस कार्य के लिए आभार प्रकट कर रही है।

आपातकाल के एक वर्ष के दौरान देश ने सभी क्षेत्रों में प्रगति की। शिक्षा संस्थाओं में सामान्य रूप से काम होने लगा और व्यवस्था पद्धति को वर्तमान राष्ट्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने के लिए काफी काम किया गया। उद्योग को हड़तालों से छुटकारा मिला और इस प्रकार अधिक उत्पादन के लिए रास्ता साफ हो गया। मुद्रा स्फीति की बढ़ती हुई गति पर काबू पा लिया गया, मृत्यु वृद्धि की दर कम हुई और मजदूरों की क्रय शक्ति में वृद्धि हुई। साम्प्रदायिक फासिस्ट संगठनों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही किए जाने के परिणामस्वरूप विभिन्न सम्प्रदायों में तनाव समाप्त हो गया।

हमारी प्रधानमन्त्री केवल षड्यन्त्र को विफल कर देने भर से ही सन्तुष्ट होने वाली नहीं हैं। उनके मन में देश के निर्धन और दरिद्रों के लिए एक चिन्ता है। देश के इतिहास में पहली बार ग्रामीण क्षेत्र के निधन लोगों की तरफ इतना अधिक ध्यान दिया गया। भूमि सुधार का कार्य जो अभी तक बहुत धीमे चल रहा था अब इसमें एक नया जोश और तेजी आई। भूमिहीनों को आवास स्थलों का आबंटन करने, बधुआ मजदूरी की प्रथा को समाप्त करने और ग्रामीण ऋणग्रस्तता को खत्म करने जैसे कार्य किए गए

आपात स्थिति लोक-तांत्रिक प्रणाली की प्रतिकूल स्थितियों से रक्षा करने के लिए आवश्यक साधन बन गई है।

चूहों से अनाज की क्षति

मोती लाल वोरा

विश्व स्वास्थ्य संगठन के एक अनुमान के अनुसार कुल पैदावार का चौथाई भाग खेतों में व बाकी बचे हुए का एक चौथाई भाग गोदामों में चूहों को समर्पित हो जाता है। ये कुल मिला कर 24 लाख टन होता है जिसकी लागत 1800 करोड़ रुपए है। इतनी ही नहीं बचे हुए अनाज को चूहे, कूड़ा करकट, मैला व अपने बाल गिराकर विषैला कर देते हैं। चूहे के बारे में कहा जाता है कि वह बहुत ही तेज, होशियार व शक्की जानवर है। यदि किसी स्थान पर खाने का पदार्थ रख दिया जाए तो उसे एक या दो चूहे बड़ी मुश्किल से खाएंगे, और यदि वे मर गए तो बाकी चूहे कुछ अर्से तक, उस खाद्य पदार्थ को किसी हालत में नहीं खाएंगे।

केन्द्रीय कृषि तथा सिंचाई मन्त्री श्री जगजीवन राम ने चूहों के खतरों को रोकने के लिए संगठित प्रयास करने की वकालत की है। चूहा नियन्त्रण बोर्ड की दिल्ली में सम्पन्न हुई बैठक में इस प्रश्न पर काफी गम्भीरता पूर्वक विचार कर चूहों के खतरे को रोकने के लिए निश्चित कार्यक्रम का निर्धारण किया है। चीन, हंगरी, फिलीपाइन जैसे देशों ने चूहा समस्या पर काबू पाने में सफलता प्राप्त की है। केन्द्रीय चूहा नियन्त्रण बोर्ड ने इस समस्या की गम्भीरता को समझा है और राज्यों को इसके महत्व और इस राष्ट्रीय समस्या को हल करने के लिए जो भूमिका उन्हें अदा करनी है, उसके लिए सचेत किया है।

चूहों को मानव समुदाय का शत्रु नम्बर एक कहा गया है। चूहों का उन्मूलन सामुदायिक प्रयासों से मानव शक्ति को जुटा कर ही किया जा सकता है। देश में उत्पन्न होने वाले अनाज का एक बहुत बड़ा भाग खेतों में तथा गोदामों में चूहों के द्वारा नष्ट किया जाता है और यदि हम भावनाओं में बहकर दयालुता का परिचय देते रहे तो वह बड़ी भारी भूल होगी क्योंकि मानव जीवन इनकी तुलना में अत्यन्त महत्व का है। चूहों के प्रकोप में लाखों लोगों का जीवन कष्टमय हो गया है, जिसकी रोकथाम से लोगों को भोजन दिया जा सकता है और उनके स्वास्थ्य की रक्षा की जा सकती है। चूहों का उन्मूलन कर 'अनाज बचाओ' अभियान, को सफल बनाया जा सकता है अन्यथा यदि हमने दया भाव प्रदर्शित किया तो मानवता को भारी संकट में डाल छोड़ेंगे।

भारत में चूहों के द्वारा की जाने वाली खाद्यान्न की क्षति भी काफी बड़ी है। बम्बई में अकेले गोदामों में अनाज का जो नुकसान आंका गया है उसकी रोकथाम से प्रतिमाह 9 लाख व्यक्तियों को भोजन उपलब्ध कराया जा सकता है। सम्पूर्ण देश में अनाज का चूहों से होने वाला नुकसान अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों के अनुमार 600 करोड़ रुपयों से अधिक का आंका गया है और यह नुकसान कोई दस बीस वर्षों का जोड़ नहीं बल्कि सालाना होने वाले नुकसान का चौंका देने वाला आंकड़ा है।

महाराष्ट्र विधान सभा में राज्य कृषि मन्त्री की यह जानकारी कि एक लाख 61 हजार 36 हेक्टेयर में बोया गया अनाज सन् 1974 में चूहों के द्वारा पूरी तरह नष्ट कर दिया गया। इतना ही नहीं, चूहों का इतना जबरदस्त प्रकोप उस वर्ष महाराष्ट्र के अनेक गांवों में रहा कि गांव के गांव वीरान हो गए और अन्ततः महाराष्ट्र सरकार को चूहों के उन्मूलन के लिए क्रैश प्रोग्राम हाथ में लेना पड़ा। गांव-गांव में चूहा उन्मूलन अभियान को व्यवस्थित तरीके से चलाने के लिए लोगों का सहयोग एवं अन्य साधनों का उपयोग किया गया।

चूहे प्लेग, हैजा जैसी बीमारियां तो फैलाते ही हैं, इसके अलावा, कपड़ों, फलों एवं तरकारियों को भी काफी नुकसान पहुंचाते हैं। चूहे जितना खाते हैं, उससे 20 गुना नष्ट करते हैं। पंजाब कृषि विश्वविद्यालय के प्राणिशास्त्र के दो प्रोफेसरों डा० एम० एस० सूद तथा डा० एम० एस० गुराया के अनुसार चूहे जितना खाद्यान्न खाते हैं, उससे 20 गुना अधिक वे अपने मूत्र, लेंडी तथा बालों की वजह से नष्ट करते हैं। चूहों के नियन्त्रण के सन्दर्भ में लिखे गए एक पेपर में दोनों प्रोफेसरों ने कहा कि औसतन एक चूहा दिन में 15 से 150 तक लेंडी हंगता हैं और 15 से लेकर 25 एम० एल० तक पेशाब करता है। पेपर में चूहों के बारे में कुछ विशेष बातें बताई गई है जैसे चहों को रंगों की पहचान नहीं होती और उसकी नेत्र दृष्टि बहुत कमजोर होती है। हर तरह का खाद्यान्न चूहे खाते हैं मगर सब्जियां फल मछली तथा गर्म चीजें वे नहीं खाते। चूहे अपनी फौज बढ़ाने में अत्यन्त माहिर हैं। एक चूहा एक साल में 1270 चूहे पैदा करता है। उनकी आयु लम्बी होती है और पांच वरस तक वे जिन्दा रह सकते हैं। भारत में एक अनुमान के अनुसार 2 अरब 40 करोड़ से लेकर 4 अरब 80 करोड़ चूहे हैं।

केन्द्रीय कृषि एवं सिंचाई मन्त्री श्री जगजीवन राम ने कहा है कि चूहों से खाद्यान्न की होने वाली क्षति का एक भाग भी बचा लेते हैं तो हम काफी अनाज बचा सकते है। इतनी बड़ी समस्या का सामना संगठित प्रयत्न के बिना कठिन है।

कृषि अनुसन्धान परिषद् ने चूहा नियन्त्रण के लिए एक राष्ट्रीय योजना बनाई है। इस योजना की मुख्य विशेषताओं में चूहा नियन्त्रण के क्षेत्र में राज्य कृषि निदेशालयों कीड़ामार दवाओं के निर्माताओं, पंचायतों, महिला-समाज, भारत कृषक समाज, केन्द्रीय एवं राज्य कल्याण मंडलों, युवक संगठनों, विश्वविद्यालयों एवं स्वैच्छिक एजेंसियों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी।

इस योजना को तीन चरणों में बांटा

गया है, चूहा नियन्त्रण कर्मचारियों का प्रशिक्षण, चूहा नियन्त्रण तकनीकी के बारे में ग्रामीण एवं शहरी जनता की जानकारी उपलब्ध कराना तथा चूहा नियन्त्रण कार्यक्रम शामिल करना।

भोपाल में 28 मई 1976 को चूहा नियन्त्रण के लिए एक सेमीनार का आयोजन किया गया था। सेमीनार में पढ़े गए पेपर में कहा गया कि अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान ने भारत में चूहों से होने वाले नुकसान का अनुमान लगाया है। बम्बई के गोदामों में चूहों के द्वारा खाद्यान्न का नुकसान इतना अधिक है कि यदि उस पर रोक लगाई जा सकी तो प्रतिमाह लगभग 9 लाख भूखे व्यक्तियों के मुंह में भोजन आसानी से पहुंच सकता है। प्लेग की बीमारी के भूतकालीन अनुभव तथा चूहा काटने से 20 से 25 हजार व्यक्तियों की अस्पताल में सालाना भर्ती के बावजूद बम्बई में इस कष्ट से छुटकारा पाने एवं लोक स्वास्थ्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अब तक समुचित ध्यान देना शेष है। बहुत से मामलों में चूहा काटने को अत्यन्त सहज रूप में लिया जाता रहा है। अधिकांश विकसित देशों में लाजिमी तौर पर चूहों पर नियंत्रण करने के लिए कानून बनाए गए हैं। चूहों के प्रकोप से अनेक बीमारियां हमारे देश में होती हैं जिनमें रेट बाइट फीवर, लेपटोस सिरोसिस, सालमेनोसिस, ट्रिचीनोसिस, म्यूराइन टाइफस फीवर, प्लेग और रिकेटिसियाल पाक्स प्रमुख रूप से हैं।

खाद्य एवं स्वास्थ्य की समस्या के लिए चूहों का विनाश महत्वपूर्ण मान लिया गया है। केन्द्रीय खाद्य मन्त्रालय के संचालक श्री कृष्णमूर्ति के सर्वेक्षण के अनुसार हापुड़ (उत्तर प्रदेश) के आसपास के गांवों के मकानों में 1057 चूहे पाए गए। और चूहों के द्वारा खाद्यान्न का वार्षिक नुकसान 2·34 टन आंका गया, चूहों के प्रकोप को रोकने के लिए ग्रामीणों द्वारा बिल्लियों तथा पिंजड़े मकानों में रखे गए हैं। कुछ प्रगतिशील किसान चूहा मारने के जहर का भी उपयोग करने लगे हैं। यह अनुभव किया गया कि इन तरीकों से चूहों पर कब्जा पाना कठिन है जबकि वारफेन नामक चूहा मार दवाई के उपयोग से आशातीत सफलता मिली और जो बहुत महंगी भी नहीं पड़ती।

रायपुर शहर की मंडी में आने वाले अनाज में से प्रतिदिन 15 हजार रुपयों की कीमत का अनाज चूहे खा जाते हैं। पत्रकारों के एक दल ने मंडी का कुछ समय पूर्व निरीक्षण किया था। जहां पाया गया कि चूहों ने जमीन को बुरी तरह से कुरेद दिया तथा अनाज यत्र-तत्र बिखरा पड़ा है।

प्रदेश की अधिकांश कृषि मंडियों का कमोबेश यही हाल है वर्षों से अनाज के गोदामों की मरम्मत नहीं हुई और प्रतिमाह बड़ी मंडियों मे लाखों रुपयों का अनाज बरबाद हो जाता है।

चूहों की रोकथाम के लिए पेस्ट कंट्रोल (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड द्वारा रोडे फरिन नामक दवा अत्यन्त ही कारगर सिद्ध हुई है। भारत सरकार के कृषि एवं सहकारी मंत्रालय ने रोडफरिन का सार्वजनिक इस्तेमाल के लिए स्वीकृत किया है। भारत के इतिहास में पहली बार एक गांव पटना चूहों से मुक्त किया गया है। महाराष्ट्र सरकार, राजस्थान त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश और गुजरात की सरकार ने चूहों के मारने के लिए रोडे फरिन उपयोग में ला रही है।

"परिवार नियोजन कार्यक्रम देश में कल्याण कार्यों के विस्तार की सम्पूर्ण नीति का एक आवश्यक अंग है। असल में परिवार नियोजन का उद्देश्य व्यापक कल्याण है। हम परिवार नियोजन चाहते हैं, इसलिए नहीं कि हमें ज्यादा बच्चे नापसन्द हैं बल्कि इसलिए कि हम चाहते हैं कि हर बच्चे को अपने जीवन में हर संभव सुविधा मिले। हम चाहते हैं कि जैसा जीवन हम जी रहे हैं हमारी संतान उससे और अच्छी तरह रहे। हर मां—बाप की यह कामना है और यही नियोजित विकास का लक्ष्य है।"

श्रीमती इन्दिरा गांधी

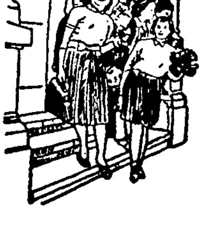

गांवों का कायाकल्प : सामाजिक न्याय की ओर

देसराज गोयल

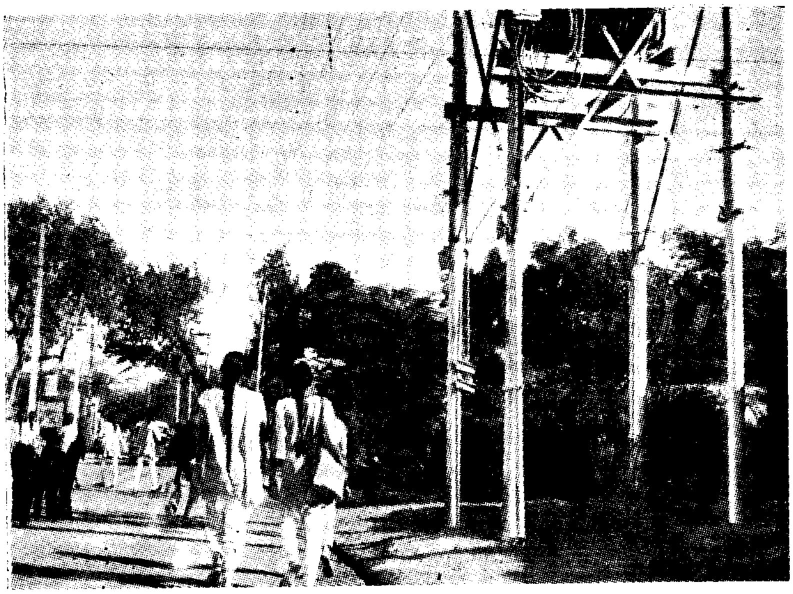

गांवों के लिए आधुनिक सुविधाएं

ग्रामीण क्षेत्रों में परिवर्तन लाने का जो महत्व है उसके बारे में कभी किसी को सन्देह नहीं रहा। यह एक सत्य है कि भारत की 80 प्रतिशत जनता गांवों में बसती है और इससे गांधी जी के उस कथन की महत्ता की पुष्टि होती है कि अगर भारत की आत्मा की खोज करनी है तो उसे देश के 60 लाख गांवों में झांक कर देखो।

जवाहर लाल नेहरू ने भी वास्तविकता को समझा। उनके मन में प्रतापगढ़ के किसानों की निराशायुक्त आंखों में प्रसन्नता की चमक पैदा करने के लिए सेवा की झलक जागी। अगर अपने आदर्श की पूर्ति के लिए देश के निर्धन किसानों से उन्हें आशाएं और आकांक्षाएं थीं तो यह कोरी भावुकता ही नहीं थी, यह तो उस सच्चाई को पा लेना था कि ग्रामीणों की विकराल विपन्नता के बावजूद इस देश के कायापलट के एकमात्र उपाय समाज के विकास की भूमिका बन चुकी है।

स्वाधीनता के बाद बड़े-बड़े भूस्वामियों के हितों और लोकप्रिय जनता के नेतृत्व की आकांक्षाओं के बीच एक लम्बा संघर्ष छिड़ा रहा जो गरीब ग्रामीणों को न्याय दिलाना चाहते थे। जमींदारी प्रथा को उखाड़ फेंकना, मुजारों के अधिकारों के संरक्षण और जोत की अधिकतम सीमा निर्धारित करने के लिए कई कानून पास किए गए लेकिन कानूनों और मुकदमेबाजी का जंजाल फैलाकर कुछ लोगों ने उसका परिपालन रुकवा दिया और कानून की भावनाओं का गला घोंट डाला।

ग्रामीण लोगों की असन्तुष्ट आकांक्षाएं और आशाएं ऐसी चिनगारी थीं जो अगर सुलग उठतीं तो देश के आधुनिक निर्माताओं द्वारा स्थापित लोकतंत्र को जला कर राख कर देतीं।

धीरे-धीरे और विलम्ब से गांवों में परिवर्तन के जो प्रयास हो रहे थे उन्हें आपात् स्थिति की घोषणा के बाद 20-सूत्री कार्यक्रम के द्वारा नई प्रेरणा मिली।

आज देश के शहरों में रहने वाले कुछ नकचढ़े लोगों और विदेशों में आंख मूंदकर भारत की आलोचना के ठेकेदारों को आंखों की चर्बी हटा कर देखना चाहिए कि देश किस तरह करवट बदल रहा है। उन्हें इस बात का तो अहसास होगा कि पिछले साल पहली जुलाई को प्रधानमंत्री के रेडियो प्रसारण में कितनी व्यावहारिकता और सच्चाई थी जब उन्होंने घोषित किया :-

"हमारे देश का एक बहुत बड़ा भाग गांवों में बसता है। हमें अब दूने उत्साह से भूमि सीमा कानून लागू करने हैं और भूमिहीनों को फालतू भूमि देनी है। हम जमीन के खाते तैयार कराने में स्थानीय लोगों की सहायता चाहते हैं"।

आपात स्थिति के दौरान इस कार्यक्रम का परिपालन बहुत ही उत्साहवर्धक रहा है। आरंभ में इसकी गति मंथर थी किन्तु धीरे-धीरे इसमें संतोषप्रद तेजी आ गई। कृषि मंत्रालय के भूमि सुधार सलाहकार श्री एस० एन० द्विवेदी के अनुसार भूमि सीमा कानून लागू किए जाने के बाद कुल अतिरिक्त भूमि का क्षेत्रफल 38 लाख एकड़ है।

समस्या की विकटता को देखते हुए यह भूमि नगण्य है। किन्तु जब हम इसी क्षेत्रफल की पहले घोषित क्षेत्रफल से तुलना करते हैं तो असलियत का पता चलता है। अप्रैल के मध्य तक सिर्फ 11 लाख और पिछले साल अगस्त तक अतिरिक्त घोषित जमीन 5.46 लाख एकड़ थी।

आपात स्थिति घोषित किए जाने के समय यह आंकड़े 3.46 लाख एकड़ थे। सरकार द्वारा अतिरिक्त जमीन क हस्तगत करने और उसका किसानों में वितरण करने के बारे में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई। इसका ज्वलंत उदाहरण यह है कि निर्धारित तिथि तक वितरण का अधिकांश कार्य पूरा हो गया।

भूमि सुधार के क्षेत्र में राजनीतिक उदासीनता धीमी गति का मुख्य कारण थी। योजना आयोग में कृषि संबंधों के बारे में अध्ययन करने के लिए एक दल गठित गया किया। मार्च, 1975 में अपनी रिपोर्ट में इस दल ने विचार व्यक्त किया कि देश के ग्रामीण क्षेत्रों की सामाजिक आर्थिक स्थिति को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि जब तक वास्तविक राजनैतिक रुचि नहीं होगी तब तक भूमि सुधार के मामले में कोई प्रगति होना संभव नहीं है। यह एक कटु सत्य है कि इस महत्वपूर्ण वातावरण का अभाव क्या हुआ है।

हमारे जनजीवन में कथनी और करनी के अन्तर की विशालता कहीं भी इतनी नहीं है जितनी भूमि सुधार के मामले में रही है।

कुछ ही महीनों के दौरान यह दुखद स्थिति सुखद वातावरण में बदल गई है। प्रधानमंत्री के 20-सूत्री कार्यक्रम की घोषणा के एक महीने के अन्दर ही कांग्रेस अध्यक्ष ने भूमि सुधार कार्यक्रमों में तेजी लाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन बुलाया। इन मुख्य मंत्रियों ने एक वर्ष के अन्दर इस काम को पूरा करने का प्रण लिया।

इसके बाद केन्द्र सरकार ने निर्देश जारी किए जिसकी सत्यता इस कथन से झलकती है 'इसे तुरन्त पूरा करना है अगर जरूरी हो तो अध्यादेश भी जारी किए जाएं। केन्द्र ने कृषि की अधिकतम सीमा के बारे में भी दिशा-निर्देशन किया ताकि जोत और भूमि सुधारों में राष्ट्रीय दृष्टि से एकरूपता रहे।

राज्यों ने तो कानून पास कर दिए लेकिन बहुत सी जगहों पर कानूनी रोड़े अटका दिए गए जिसकी वजह से योजना आयोग का एक दल बनाया गया जिससे कि चालबाज भूपतियों और अड़गेबाज वकीलों की मिली भगत को असफल बनाया जा सके। देश में कानूनी गोरख धंधे की आड़ में यह मिली भगत अपनी तिकड़म भिड़ाती रही जिससे कि कानूनी दाव पेंचों का बाजार गर्म रहा और इससे भूमि सुधार कानूनों का परिपालन टलता रहा। कभी कभी तो ठप्प भी कर दिया गया। आपात स्थिति के दौरान भी ये लोग बाज न आए।

इस बीमारी से राज्य सरकारों को छुटकारा दिलाने के उद्देश्य से संविधान में 42 वां संशोधन विधेयक लाया गया। इससे भूमि सुधार और 20-सूत्री कार्यक्रम से सम्बद्ध ऐसे ही दूसरे कानूनों को अदालती झंझटों से बरी कर दिया गया। इस तरह मुख्य बाधा दूर हो गई। अब सरलता तथा तेजी से कार्यक्रम पूरा किया जा सकता है।

इन कानूनों को लागू कराने के लिए नौकरशाही को सही रास्तों पर लाने में भी राजनैतिक दिलचस्पी उत्साहवर्धक नहीं रही। इस कार्यक्रम के बारे में एक और पक्ष ने ध्यान आकर्षित किया है। उसमें तो एक दर्दनाक और मर्मस्पर्शी घटना सुनने को मिली और यह बताने लायक है।

कामरुप जिले में कोरकुली नाम का एक गांव है। वहां सोमेश्वर नामक एक गरीब खेतिहर किसान था और सरकार के भूमि सुधार कानून के अनुसार वह साढ़े तीन बीघा जमीन का मालिक बन गया। लेकिन भूपति को भला यह कैसे बर्दास्त होता। उसने बंदोबस्त अधिकारी के यहां अपील कर दी। उसने सोमेश्वर के नाम तीन बार लगातार तिथियों के सम्मन जारी किए।

करामात यह हुई कि बेचारे को एक भी सम्मन नहीं मिला। बंदोबस्त अधिकारी महोदय ने एकतरफा फैसला सुना दिया और वे जमीनें भूपति को लौटा दी। अब सोमेश्वर पर चोरी के आरोप में मुकदमा चला दिया गया क्योंकि जमीन से अपना खेती का सामान घर ले गया।

पुलिस ने उसकी खूब गत बनाई और मुकदमे के बोझ ने उसकी कमर तोड़ डाली। ऊपर से अदालत ने उसे और उसके चार साथियों को चोर भी घोषित कर दिया। उन पर पांच-पांच सौ रु० जुर्माना कर दिया गया। हताश और पीड़ित सोमेश्वर ने भगवान की अदालत में अपील के लिए आत्महत्या कर डाली।

इस दुखद घटना के बारे में एक पखवाड़े बाद ही मुख्य मंत्री श्री शा० च० सिन्हा को पता लगा। वह उस गांव में गए और उसकी विधवा तथा बच्चों से मिले। तुरन्त आवश्यकताएं पूरी करने के लिए तत्काल 500 रु० दिए गए और विधवा को यह वचन दिया गया कि उसे तब तक एक सौ रु० महीने की सहायता दी जाएगी जब तक उसका इकलौता बेटा कमाने लायक नहीं हो जाता। इस तरह आम आदमी की तरफ सरकार का ध्यान गया।

अप्रैल में मंत्रियों, संसद् सदस्यों, विधायकों को व्यापक पद यात्रा और दूसरी राजनीतिक गतिविधियों के दौरान कार्यक्रम की बहुत सी खामियों का पता चला जिनको मुस्तैदा से दूर किया जा रहा है।

इन पद यात्राओं के दौरान ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री शंकर राव चव्हाण को पता चला कि एक विधवा को जमीन में उसका हिस्सा नहीं दिया जा रहा है। श्री चव्हाण ने न सिर्फ उनकी कठिनाई तुरन्त दूर करने के लिए कदम उठाया बल्कि स्थानीय अधिकारियों और राजनीतिक कार्यकर्त्ताओं को गरीबों की तरफ से आंखें

बन्द रखने के लिए सरे ग्राम लताड़ा।

जिस तरह से और ढंग से भूमि सुधारों को लागू किया जा रहा है उसका अन्दाजा बिहार के मुख्यमंत्री डाक्टर जगन्नाथ मिश्र की सलाह को देखते हुए लगाया जा सकता है जो उन्होंने पटना जिले के एक गांव में भूमि का उपहार पाने वालों को दी।

जब वे मिल्कियत के पट्टे दे रहे थे तो उन्होंने ग्रामवासियों से कहा कि वे नए मालिकों से जमीन छीनने वाले उन लोगों के प्रयत्नों को विफल करने के लिए संगठित हो जाएं जो इस जमीन पर गैर-कानूनी ढंग से जमे हुए थे। डा० मिश्र ने कहा 'वैसे सरकार इस मामले में मदद करेगी लेकिन फिर भी जोर-जबर्दस्ती के विरुद्ध उन्हें एक जुट होना पड़ेगा।

गांवों से गरीबी का नामोनिशान मिटाने की दिशा में एक और प्रमुख काम हुआ है कर्जदारों की समाप्ति। अब भारतीय किसान के बारे में यह नहीं कहा जा सकता कि वह कर्ज का पाप लेकर पैदा होता है, कर्ज में डुबा रहता है और मरते दम तक कर्ज का भार उतार नहीं पाता।

किसी को सामान गिरवी रखने पर प्रतिबंध और ग्रामीण क्षेत्रों में कर्ज की वसूली पर रोक लगा दी गई है और गरीब वर्ग को सूदखोरी के सिकंजे से छुटकारा दिलाने के लिए वैकल्पिक ऋण बितरण व्यवस्था की जा रही है।

हर जिले में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का जाल बिछाया जा रहा है। इन बैंकों से पुष्ट होने वाली कम से कम 20 किसान सेवा समितियों और 20 बहूद्देशीय सहकारी समितियां बनाने का फैसला किया गया है।

इस प्रणाली के भली प्रकार संचालन और किसानों की सहायता करने वाली विभिन्न वित्तीय संस्थाओं के बीच प्रभावशाली समन्वय स्थापित रखने के उद्देश्य से सरकार ने राज्य स्तर पर भी वित्तीय संस्थाओं के प्रतिनिधि समन्वय ससितियों में शामिल किए हैं।

इसी तरह जिला स्तर पर भी समन्वय समितियां बनाई गई हैं जिनमें राज्य सरकारों के विकास विभाग, व्यावसायिक बैंकों और ग्रामीण सहकारी बैंकों के प्रतिनिधि शामिल हैं।

राष्ट्रीय कृषि आयोग की सिफारिशों के आधार पर कृषि मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय आधार पर परीक्षण के तौर पर किसान सेवा समितियों की योजना को साकार बनाया गया।

ये समितियां किसानों को बहुद्देश्यीय ऋण देगी, उर्वरक, कीट नाशक बीज आदि मुहैया करेंगी और किसानों को उपज के विपणन की व्यवस्था करेगी।

हालांकि इन समितियों के क्षेत्र में रहने वाला कोई भी किसान इनका सदस्य बन सकता है लेकिन इनकी प्रबंध व्यवस्था निर्धन वर्ग के हाथों में ही रहेगी और समितियों के प्रबंध मंडल में उनकी संख्या दो-तिहाई होगी।

ये किसान सेवा समितियां किसानों की हर जरूरत के लिए कर्ज देंगी और उर्वरक सहित अन्य सामग्री उपलब्ध कराएगी और अगर संभव होगा तो उपज विधायन और विपणन में भी सहायता देंगी। इसके अतिरिक्त, ये समितियां सभी सम्बद्ध कार्य स्वयं करेंगी या अन्य संगठनों के सहयोग से किसानों की सेवा करेंगी।

यह भी व्यवस्था है कि जिन क्षेत्रों में सहकारी ऋण व्यवस्था या तो निष्प्रभावी है या है हो नहीं, वहां कम से कम 10,000 आबादी का क्षेत्र या पूरे सामुदायिक विकास खण्ड छांट लिए जाएंगे जहां ऐसी किसान समितियां बनाई जाएंगी।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने भी जमानत के आधार पर कर्ज देने की नीति में ढील देकर उद्देश्यपूर्ण, उत्पादकता और विकासमूलक पद्धति अपनाई है। अगर किसी किसान की आर्थिक स्थिति कमजोर है पर उसकी खुशहाली की गुंजाइश है तो बैंकों ने इसके लिए जमानत की शर्तें ढीली कर दी हैं और आवेदन-पत्र आदि भी सरल बना दिए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों के अनुसार उन्होंने ऋण वितरण प्रणाली को भी सरल कर दिया है।

इसके साथ ही सामूहिक छोटे किसानों की सहायता के लिए सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने प्रस्ताव किया है। किसानों के समूह को वित्तीय सहायता के लिए और हिस्सेदारों के हितों की रक्षा के लिए सामूहिक गारण्टी की व्यवस्था की जाएगी।

फिर भी ग्रामीण कृषि क्षेत्र को ऋण देने के बारे में एक ऐसे पक्ष पर विचार किया जा रहा है जो मानव जीवन का आवश्यक अंग है। इसे कह सकते हैं 'उपभोग ऋण' 'शादियों' शिक्षा और चिकित्सा आदि के लिए इसकी आवश्यकता पड़ती है। इस समस्या पर सरकार सक्रियता से विचार कर रही है और जल्दी ही इसे दूर करने के लिए जल्दी ही कोई योजना शुरू की जाएगी।

भारत में पूरे ग्रामीण जगत् में परिवर्तन की एक लहर चल रही है। पुराने आंकड़े चाहे कितने ही आकर्षक क्यों न हों, आज की नई तस्वीर पेश नहीं कर सकते। इनसे उस नई भावना का पता नहीं चलता जो इस समय भूमिहीनों और विशेषतः अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लोगों के मन में हिलोरें ले रही है। महात्मा गांधी ने उन्हें समाज का समान अंग बनाने की बात कही थी। जब यह स्वप्न साकार हो जाएगा, आशाएं मूर्तिमान हो जाएंगी तो देश में विकास की कितनी सुखद, कितनी सुहावनी और कितनी आकर्षक हवाएं बहेंगी इसकी कल्पना कीजिए।

अनुशासन वर्ष में सजता संवरता जनपद : सहारनपुर ★ भूपेन्द्रकुमार जैन

बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत नई आर्थिक नीति प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी द्वारा घोषित की गई। देश में नए युग का आरम्भ हुआ। उ० प्र० शासन बीस सूत्री कार्यक्रम को पूरी तरह व समय के अन्दर लागू करने के लिए कृतसंकल्प है। सहारनपुर जनपद प्रदेश में आर्थिक कार्यक्रम क्रियान्वयन में अग्रिम पंक्ति में रहा। रचनात्मक निर्माण की दृष्टि से दृढ़ता एवं निश्चय के साथ उठाए गए कदमों के परिणाम स्वरूप पुराने सब कीर्तिमान धूमिल पड़ गए और भूमिहीनों व समाज के अन्य कमजोर वर्गों के परिवारों पर शताब्दियों से घिरा कोहाला छट गया तथा उनकी जिन्दगी में सुख के पल आए तथा उनमें नया विश्वास जगा।

सहारनपुर जनपद के अनुभवी एवं कर्मठ जिला अधिकारी श्री राजेन्द्रकुमार के कुशल नेतृत्व में जनपद की 4 तहसील देवबन्द, नकुड, सहारनपुर, रुड़की के 16 विकास खंडों में समस्त कार्य का संचालन किया गया कि जन साधारण को उसका अधिकतम लाभ पहुंच सके।

पुरस्कृत अधिकारी

20 जौलाई, 1976 को उत्तर प्रदेश शासन ने सहारनपूर जनपद के कर्मठ जिला अधिकारी श्री राजेन्द्र कुमार एवं सहारनपुर सदर तहसील के तहसीलदार श्री युधिष्ठिर शर्मा को उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए राजकीय पुरस्कार से सम्मानित किया। प्रदेश की राजधानी लखनऊ में उक्त अधिकारियों को प्रदेश के मुख्यमन्त्री श्री नारायण दत्त तिवारी ने 1,000 रु० की धनराशि एवं सम्मानपत्र प्रत्येक को देकर सम्मानित किया।

अल्प बचत योजना, परिवार नियोजन, राजकीय गेहूं की योजना, अल्प सिंचाई योजना, सीलिंग व राजकीय गेहूं की योजना, अल्प सिंचाई योजना, सीलिंग व राजकीय देयों की वसूली में जनपद सहारनपुर मेरठ मंडल में प्रथम रहा।

मूल्यों में गिरावट

दैनिक उपयोग की वस्तुओं में मूल्यों मे गिरावट लाने के लिए किए गए प्रयासों के परिणामस्वरूप जनपद में आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में 40 से 45 प्रतिशत तक कीमतों में गिरावट आई तथा मूल्यों में स्थिरता रखने के प्रयास निरंतर किए जा रहे हैं।

जदपद में मारे गए 132 छापों में 33 व्यक्ति डी० आई० आर० तथा 51 व्यक्ति अन्य आवश्यक वस्तुओं के अन्तर्गत गिरफ्तार किए गए। लगभग 32,775 रु० की आवश्यक वस्तुएं जब्त की गई। 59 दुकानें, 114 चीनी लेवी की दुकानें तथा 18 सरकारी गल्ले की दुकानें निरस्त की गई तथा 21 चीनी लेवी की दुकानें निलम्बित की गई। लगभग 27,016 अवांछित यूनिट भी निरस्त किए गए।

सतर्कता समितियों का गठन सरकारी तथा लेवी चीनी विक्रेताओं की दुकानों की चैकिंग हेतु ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में किया गया। वर्ष 1975-76 में गेहूं और चावल की खरीद क्रमशः 25 हजार टन तथा 33 हजार क्विटल से अधिक की गई।

अधिकतम जोत सीमा

अधिकतम जोत सीमा आरोपण एवं भूमि आबंटन की दिशा में 1523-41 एकड़ भूमि पर कब्जा कर 1091-25 एकड़ भूमि का आबंटन किया जा चुका है।

जीवन यापन के लिए कृषि योग्य भूमि का आबंटन किया गया तथा हल, बैल, बीज, खाद आदि के लिए ऋण उपलब्ध कराए गए। 35,995 परिवारों को 30,393 एकड़ भूमि का आबंटन कर उन्हें उनका कब्जा दिला दिया गया है। 41,667 व्यक्तियों को शीत और ताप से बचाने हेतु मकान बनाने हेतु भूमि आबंटित की गई, 33,732 परिवारों को उनकी भूमि का कब्जा दिला दिया गया तथा 2397 आवास स्थलों का उत्थान कर मकान बनाये गये।

ग्रामीण-ऋण

राष्ट्रीयकृत बैंकों के माध्यम से निर्बल वर्ग के व्यक्तियों को विभिन्न उद्योगों, व्यवसाय की स्थापना एवं विस्तार हेतु 634 व्यक्तियों को 8,30,432 रु० का ऋण दिया गया।

खेतिहर मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी की पुरीक्षित दर 23-10-75 से प्रभावी है। इस सम्बन्ध में 161 निरीक्षण किये गए और 16 मामले क्षेत्रीय उप श्रमायुक्त, मेरठ के न्यायालय में धारा 20 के अन्तर्गत दायर किए गए।

सिंचाई

13 नए नलकूपों का छिद्रीकरण किया गया, जिनमें से एक का विद्युतीकरण पूरा हो चुका है। दस मील लम्बी गूल का निर्माण किया गया। अल्प सिंचाई योजनाओं के लक्ष्यों की उपलब्धियों का प्रतिशत 120 रहा। धान नर्सरीज को पानी देने की व्यवस्था का उचित प्रबन्ध किया गया। चोरी गए ट्रांसफार्मरों को तुरन्त लगाने की व्यवस्था की गई। कृषि हेतु पूरे 24 घंटे तथा व्यवसायिक कार्य हेतु 21.30 घंटे विद्युत दी गई।

हथकरघा उद्योग

जनपद में 5 सिल्क और 35 सूती वस्त्र की सहकारी समितियां गठित हैं, जिन्हें आवश्यक वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई। अब तक उपभोक्ता योजना के अंतर्गत 77,580 रु० का कंट्रोल का कपड़ा तथा 68,390 रु० का बिना कंट्रोल का कपड़ा उपभोक्ताओं में वितरित किया जा चुका है।

छात्रों को सुविधाएं

58 छात्रावासों में रहने वाले 9742 विद्यार्थियों को आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराई जा रही है तथा एक सहकारी

उपभोक्ता भण्डार रुड़की विश्वविद्यालय के परिसर में कार्यरत है तथा अन्य कालेजों की सीमा के भीतर उपभोक्ता भण्डारों के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

11 मान्यता प्राप्त डिग्री कालिजों में से 10 में बुक बैंकों की स्थापना की जा चुकी है तथा प्रत्येक बुक बैंक में विद्यार्थियों की तुलना में पुस्तकें पर्याप्त संख्या में उपलब्ध कराने का पूरा प्रयास किया जा रहा है।

नियंत्रित मूल्य पर पुस्तकें एवं कापियां उपलब्ध कराई जा रही हैं। 110 माध्यमिक तथा 20 पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में जिनमें छात्र संख्या 76,954 है, में से 55 माध्यमिक तथा 4 पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में बुक बैंकों की स्थापना की गई, जिससे लगभग 11,000 छात्रों को पुस्तकें दी गई।

प्रशिक्षण

जनपद में उन सभी संस्थानों पर शिक्षण योजना लागू कर दी गई है, जिनका औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान द्वारा सर्वेक्षण हो चुका है और जहां डेजिगनेटेड ट्रेडर्स उपलब्ध हैं। जिले में हरिद्वार को छोड़कर कुल 48 संस्थान है, जिनमें 400 शिशिक्षु, प्रशिक्षण के स्थान उपलब्ध है, जिनमें से 310 स्थान भरे जा चुके हैं। शेष को भरने का प्रयत्न जारी है।

अन्य चार सूत्रों, जिनमें वृक्षारोपण, परिवार नियोजन, दहेज विरोधी अभियान एवं साक्षरता की दिशा में विशेष प्रयत्न किए जा रहे हैं।

जनपद के वरिष्ठ एवं कुशल प्रशासक श्री राजेन्द्रकुमार जिला अधिकारी के नेतृत्व में जनपद ने सर्वांगीण विकास किया है तथा अनुशासन वर्ष की उपलब्धि में पुराने सब कीर्तिमान तोड़ दिए हैं।

176, पुरानी तहसील,
रुड़की (उ० प्र०)

★

महुआ की मस्जिद ★ शकुन्तला महावल

गोधूलि के समय हमारी गाड़ी ने महुआ गांव की सीमा में प्रवेश किया तो गांव के बच्चों की टोली पीछे हो ली। थोड़ी दूर जाने पर प्राइमरी स्कूल के पास गांव के सरपंच श्री शहाबुदीन हम लोगों की प्रतीक्षा में खड़े दिखाई दिए। उनको साथ लेकर हम लोग चल पड़े। उनसे पूछा कि प्रोग्राम के लिए कौन सा स्थान ठीक रहेगा तो वह दिशा निर्देश करते हुए हमें गांव की मस्जिद के पास ले गए और बोले यहां से बिजली भी उपलब्ध हो सकेगी और गांव वालों के बैठने के लिए चबूतरा और काफी बड़ा चौक भी है। हमको भी पसंद आया और फिल्में, प्रोजेक्टर व अन्य सामान गाड़ी से उतारा गया। राजस्थान के अलवर जिले में स्थित महुआ गांव में अधिकतर मुस्लिम धर्म को मानने वाले मेव लोग रहते हैं। परिवार नियोजन हो या खेती के उन्नत तरीके, यह गांव विकास के लिए कटिबद्ध है। परिवार नियोजन के क्षेत्र में तो अभी हाल में यह गांव अलवर जिले में प्रथम आया है और कलेक्टर से 300 रु० का पुरस्कार प्राप्त किया है।

अभी प्रोग्राम शुरू करने में थोड़ा समय था तो श्री शहाबुदीन बोले कि क्यों ना थोड़ी देर बैठा जावे। हम लोग पास के घर के बाहर ही आंगन में ही चारपाई तथा छोटे मुड्ढों पर बैठ गए। इस बीच गांव के बड़े-बूढ़े और लड़के लोग भी इकट्ठे हो गए। इधर-उधर देखा तो औरतें भी घरों की छतों और खिड़कियों से दुपट्टों में मुंह छुपाये झांकती नजर आई। सरपंच ने बताया कि इस गांव में पर्दे की रस्म अभी भी काफी है और बहुत कम ही बच्चियां स्कूल जाती है। मैंने कहा कि अगली बार हम आए तो ऐसा नहीं रहना चाहिए तो सरपंच ने हंसकर कहा कि जब आप इस गांव में आई हैं तो अब हम मिशाल दे सकेंगे कि पढ़ने से बच्चियां बिगड़ती नहीं बल्कि बहुत अच्छे और ऊंचे काम करती हैं। इसी बीच एक सज्जन ने लाकर हम लोगों को चाय के कप थमा दिए और बुजुर्ग लोग अपना हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। एक बहुत ही वृद्ध महाशय बता रहे थे कि उन्होंने अपनी जिन्दगी में कभी कोई फिल्म नहीं देखी, क्योंकि उनके ख्याल से फिल्में लोगों को बिगाड़ती हैं। उन्होंने बड़े रोव से बताया कि उनका बेटा अलवर में बी० ए० में पढ़ रहा है पर उसे भी उन्होंने फिल्में देखने से मना किया हुआ है और अभी तक उनके बेटे ने भी एक भी फिल्म नहीं देखी है। उन वृद्ध महाशय का सीधासरल स्वाभाव व सहज ही विश्वास कर लेने की प्रवति दिल को छू लेने वाली थी। जब मैंने उनको बताया कि उनका ख्याल ठीक नहीं है और फिल्मों से तो कई बातें सीखी जा सकती हैं तो वह तुरन्त फिल्म देखने को राजी हो गए। शाम ढल गई थी और थोड़ा-थोड़ा अंधेरा छाने लगा था अतः फिल्म शो शुरू किया गया।

गांव की महिलाओं, पुरुषों और बच्चों की काफी भीड़ फिल्म देखने के लिए उमड़ पड़ी थी। एक फिल्म में जब हमारी प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी का चित्र आया और दर्शकों को इसके बारे में बताया गया तो वे बहुत खुश हुए (धन्य भाग हमारे कि हमने आज इन्दिरा जी के दर्शन कर लिए।) दर्शकगण फिल्मों के दृश्यों पर अपनी टीका टिप्पणी कर रहे थे "वाह इस किसान को देखो ट्रैक्टर लाया है और अब इसके खेत में कितनी अच्छी फसल हुई है। देखो इसे, अब कितना अकड़ कर चल रहा है।" इतने में ही लोगों का नमाज का वक्त हो गया। वयोवृद्ध लोग जिनमें सरपंच शहाबुदीन भी शामिल थे चुपचाप शान्तिपूर्वक उठकर मस्जिद के अन्दर चले गए। उधर से 'अल्लाह हो अकबर' की आवाज आने लगी और इधर प्रगति के दस वर्ष 'फिल्म चल रही थी' "इन दस वर्षों में हमारा देश कितना आगे बढ़ गया है" दोनों ही आवाजें घुलमिल कर कानों में मधुर संगीत घोल रही थी।

प्रादेशिक अधिकारी (राजस्थान)
क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय

शीघ्र डाक सेवा

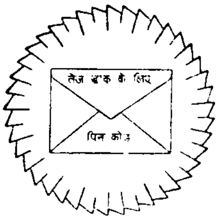

अब देश के 45 नगरों के लिए शीघ्र डाक सेवा (क्विक मेल सर्विस) उपलब्ध है। डाक की आखिरी निकासी का समय और डिलिवरी के दिन के बारे में नीचे चार्ट में सूचना दी गई है। याद रखिए शीघ्र डाक सेवा (क्यू.एम.एस.) डाक पेटियों में छोड़े गए केवल उन्हीं पत्रों को शीघ्र डाक सेवा (क्यू.एम.एस.) योजना के अधीन जल्दी बांटा जाता है, जिन पर पिन कोड नम्बर लिखा होता है। देश भर में सभी प्रमुख डाक-घरों पर पिन कोड डाइरेक्टरी की बिक्री की जा रही है।

डाक की आखिरी निकासी का समय	नगर		अगरतला	अहमदाबाद	ऐजल	अमृतसर	औरंगाबाद	बंगलौर	बेलगांव	भोपाल	भुवनेश्वर	बम्बई	कलकत्ता	चंडीगढ़	कोचीन	कोयम्बतूर	दिल्ली	दिसपुर	गंगटोक	ग्वालियर	हैदराबाद	इम्फाल	इंदौर	ईटानगर	जयपुर	जम्मू	कानपुर	कोहिमा	लखनऊ	मद्रास	मदुरै	मंगलौर	पणजी	पटना	पांडिचेरी	रांची	शिलांग	सिलचर	सिलिगुड़ी	सिलवस्सा	शिमला	श्रीनगर	तिरुचिरापल्ली	त्रिवेंद्रम	उदयपुर	बड़ोदरा	विशाखापट्टनम
1500	अगरतला	※		3	4	2	2	3	3	2	2	3	2	2	3	3	2	2	4	2	3	2	2	3	2	2	2	3	2	2	3	3	4	2	3	2	3	2	3	3	3	2	3	2	2	3	3
2030	अहमदाबाद	※	3		4	3	3	3	3	3	3	2	3	3	2	3	2	3	3	3	3	3	2	4	2	3	3	4	3	2	3	3	2	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	2	2	2	3
1630	ऐजल	※	4	4		4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	5	4	4	3	4	4	4	4	4	5	4	4	4	5	5	4	4	4	5	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4
1830	अमृतसर		3	2	5		2	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4	2	2	3	2	4	2	2	2	4	2	2	3	3	3	2	3	2	3	3	2	3	2	2	2	2	2	2	2
1900	औरंगाबाद		3	3	5	2		3	3	2	4	2	3	3	3	3	2	3	5	3	2	4	2	5	2	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3	3	4	3	3	3	4	2	3	3	4	3	2
1900	बंगलौर	※	2	2	4	2	2		[illegible]	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4	2	2	2	2	3	2	2	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	3	2	3	2	3	2	2	2	2	2	2
1500	बेलगांव		2	2	4	2	2	2		2	2	2	2	2	2	3	2	2	3	2	2	2	2	3	2	2	2	3	2	2	3	3	2	2	3	2	2	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2
1115	भोपाल	※	2	2	4	2	2	2	3		2	2	2	2	3	2	2	2	3	2	2	3	2	3	2	2	2	3	2	2	2	3	3	2	3	2	3	2	3	3	3	2	3	2	2	2	3
1000	भुवनेश्वर	※	2	2	4	2	3	2	3	2		3	2	2	3	3	2	2	4	2	2	2	2	3	2	2	2	3	2	2	3	3	3	2	3	2	2	2	2	3	3	2	3	3	2	2	2
2030	बम्बई	※	2	2	4	2	2	2	2	2	3		2	2	2	2	2	2	4	2	2	3	2	4	2	2	2	3	2	2	2	3	2	2	2	2	3	2	2	2	3	2	2	2	3	2	2
2000	कलकत्ता	※	2	2	3	2	3	3	3	2	2	2		2	2	3	2	2	3	2	2	2	3	3	2	3	3	3	2	3	2	3	3	2	3	2	2	2	2	3	2	2	3	2	3	3	2
1900	चंडीगढ़	※	3	2	4	2	2	2	3	2	2	2	2		3	3	2	2	4	2	2	4	2	3	2	2	2	4	2	3	3	3	2	2	3	2	2	3	2	3	3	2	3	3	2	3	2
1900	कोचीन		4	2	4	2	2	2	3	3	3	2	3	2		2	2	4	4	3	2	4	3	4	2	2	3	4	3	3	2	2	2	3	2	3	4	3	4	3	3	2	2	2	2	2	2
1900	कोयम्बतूर		3	3	6	3	3	2	3	3	3	2	3	3	2		3	3	4	3	3	3	3	4	3	3	3	4	3	2	2	2	3	3	2	3	4	3	3	3	3	3	2	2	3	3	3
1900	दिल्ली	※	3	2	5	2	2	2	3	2	2	2	2	2	2	2		2	4	2	2	3	2	4	2	2	2	4	2	2	2	2	2	2	3	2	3	2	2	3	2	2	2	2	2	2	2
1900	दिसपुर	※	3	3	5	3	3	3	4	3	3	3	2	3	3	3	3		3	3	2	3	3	3	3	3	2	3	3	4	3	4	3	3	3	2	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3
1745	गंगटोक	※	3	3	4	4	4	3	3	3	3	4	2	3	4	4	4	3		3	3	3	4	3	3	4	4	3	3	4	4	5	4	3	3	4	3	3	3	4	3	3	5	3	4	4	4
1255	ग्वालियर		2	2	4	2	2	2	3	2	2	2	2	2	3	2	2	2	3		2	3	2	3	2	2	2	3	2	2	2	3	3	2	3	2	3	2	3	3	3	2	3	2	2	2	3
2020	हैदराबाद	※	3	2	4	2	2	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4	2		3	2	4	2	2	2	4	2	2	2	3	3	2	2	3	3	3	3	2	3	2	3	2	2	2	2
1630	इम्फाल	※	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	2	3	3	3	3	2	5	3	3		3	4	3	3	3	2	3	3	3	4	4	3	3	3	3	2	4	3	3	3	3	3	3	3	3
0945	इंदौर		2	2	4	2	2	2	3	2	2	2	2	2	3	2	2	2	3	2	2	3		3	2	2	2	3	2	2	2	3	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	2	2	3
1630	ईटानगर	※	3	4	4	3	3	3	4	3	3	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3	3		3	3	3	4	3	3	4	4	5	3	4	3	3	4	3	4	4	3	4	3	3	4	3
1900	जयपुर	※	3	2	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	2	2	4	2	2	3	2	4		2	2	3	2	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	2	3	2	2	3	2
1900	जम्मू	※	3	3	5	2	3	3	4	3	3	3	3	2	3	3	2	3	4	3	3	3	3	4	3		3	4	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	3	3	3	3	3
1900	कानपुर		3	2	4	2	3	2	3	2	2	2	2	3	3	3	2	3	4	2	2	3	3	4	3	3		4	2	3	3	3	3	2	3	2	3	3	3	3	3	2	4	3	3	3	2
1630	कोहिमा	※	3	3	5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	2	4	3	3	3	4	4	3	3	3		3	3	4	3	3	3	4	3	3	4	3	3	4	3	4	3	3	3	4
1900	लखनऊ	※	3	2	6	2	3	3	3	2	3	2	2	3	3	3	2	3	5	2	3	3	3	4	3	3	2	4		3	3	4	3	2	4	2	3	3	3	3	3	2	4	3	3	3	3
2100	मद्रास	※	3	3	4	2	3	2	3	3	3	2	3	3	3	2	3	3	4	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3		2	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	2	2	2	3	3	2
2000	मदुरै		3	3	5	3	3	2	3	3	3	3	3	3	2	2	3	3	5	3	3	3	3	4	3	3	3	4	3	2		3	3	3	3	3	4	3	3	3	4	3	2	2	3	3	4
1400	मंगलौर		2	2	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4	2	2	2	2	3	2	2	2	3	2	2	3		2	2	3	2	3	2	2	2	3	2	2	3	2	2	2
1430	पणजी	※	2	2	4	2	2	2	2	3	2	2	2	2	2	3	2	2	3	2	2	3	2	4	3	2	2	3	2	2	3	3		2	3	2	2	2	2	2	3	2	3	2	2	2	2
2000	पटना	※	3	3	5	3	3	3	3	3	2	3	2	3	3	3	2	3	4	3	3	3	3	3	3	3	2	3	2	3	3	3	3		3	2	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	2
1730	पांडिचेरी	※	3	3	5	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	[illegible]	3	3	5	3	3	3	3	4	3	3	3	4	3	2	2	3	3	3		3	3	3	3	3	4	3	2	2	3	3	3
2000	रांची		3	3	5	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	2	3	5	3	3	3	3	4	3	3	3	4	2	3	3	4	3	2	3		3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3
2000	शिलांग	※	3	3	5	3	3	3	4	3	3	3	2	3	3	3	3	2	3	3	3	2	3	4	3	3	3	2	3	3	4	3	4	3	3	3		3	2	3	3	3	3	3	3	3	3
1745	सिलचर		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	4	3	3	2	3	3	3	3	3	4	3	3	3	4	4	3	3	3	3		3	3	3	3	3	3	3	3	3
1700	सिलिगुड़ी		3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	2	2	2		3	3	3	4	3	3	3	3
1610	सिलवस्सा	※	3	2	4	3	3	3	3	3	3	2	3	3	2	3	2	3	3	3	3	3	2	4	2	3	3	4	3	2	3	3	2	3	3	3	3	3	3		3	3	3	3	2	3	3
1500	शिमला	※	3	2	5	2	2	2	3	2	2	2	2	2	3	3	2	3	4	2	2	3	2	4	2	2	2	3	2	2	3	3	2	2	3	2	2	2	2	3		2	3	2	2	3	2
1200	श्रीनगर	※	2	2	4	2	2	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	2	2	3	2	3	2	2	2	3	2	2	2	3	2	2	3	2	2	2	2	2	2		3	2	2	2	2
1830	तिरुचिरापल्ली		3	3	5	3	3	2	3	3	3	3	3	3	2	2	3	3	5	3	3	3	3	4	3	3	3	4	3	2	2	3	3	3	2	3	4	3	3	3	4	3		2	3	3	3
1430	त्रिवेंद्रम	※	3	3	5	3	3	3	3	4	4	3	3	3	2	2	3	3	4	3	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	2	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4		3	3	3
1600	उदयपुर		3	2	4	2	2	2	3	2	2	2	2	2	2	3	2	2	4	2	2	3	2	4	2	2	2	3	2	2	3	3	2	2	3	3	3	3	3	2	3	2	3	3		2	2
2000	बड़ोदरा		3	2	4	3	3	3	3	2	3	2	3	3	2	3	2	3	3	3	3	3	2	4	2	3	3	4	3	2	3	3	2	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	2		3
1700	विशाखापट्टनम		2	2	4	2	2	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2	3	2	2	2	3	2	2	2	3	2	2	2	2	3	2	3	2	3	2	2	2	2	2	

टिप्पणी: 1 मानक में डाक में छोड़ने और डिलिवरी के दिन शामिल हैं।

2 इन स्थानों पर क्यू.एम.एस. सुविधा के अलावा क्यू.एम.एस. में सुबह 10.30 बजे तक और कुछ मामलों में 11.30 बजे तक छोड़े गए स्थानीय पत्र उसी दिन दोपहर में बांट दिए जाते हैं।

— भविष्य में उपयोग के लिए इसे काट लीजिए और रखिए —

कहानी

कुएं की आवाज ★ श्री राम शर्मा 'राम'

जीवन की गरम और ठण्डी सांसें भरते हुए एक लम्बा सफर तय कर लिया था, उस साईंदास ने। कितने उतार, कितने चढ़ाव और बीहड़ पथ दिखाई दिए उसके जीवन में। स्पष्ट था कि साईंदास ने एक दिन भी इस रहस्य को नहीं समझा कि जीवन क्यों है! किस लिए है। उसके मन में कसक थी कि उत्पीड़ा और मानसिक अशांति का आभास उसे जिस प्रकार मिलता है, वैसा सबको नहीं। उसके समान सभी को आत्म-वेदना का ज्ञान नहीं। कदाचित इसी से, वह कल्पना करता कि इस धरती पर ऐसे भी लोग हैं जो मौज लेते हैं। मधुर प्रेरणा का केन्द्र बनाते हैं, इस जीवन को। जिसमें सौंदर्य है, सुगन्ध है और सुरा-सी मादकता है। किन्तु साईंदास यह देखकर सुकड़ जाता, उसका मन ऐंठ जाता कि विधाता ने उसके भाग्य में यही लिखा कि बैल की तरह यावत् जीवेत् जुतते रहो। दूसरों की बेगार करते रहो। फलस्वरूप, वह सुबह से लेकर रात का आधा प्रहर बीतने के बाद तक दो रोटियों के लिए परिश्रम करता। तब कहीं जाकर बीबी-बच्चों का गुजारा कर पाता। फिर भी अवस्था यह थी कि वह न रो सकता और न ही किसी को अपनी स्थिति का वास्तविक दिग्दर्शन करा सकता था।

उस दिन देर हो गई कि साईंदास की पत्नी रमिया भरी दोपहरी में पानी लेने गई तो लौटी नहीं। वह सिर पर घड़ा रखे, नंगे पैर और फटे हाल किसी प्रकार अपनी नग्नता छिपाए, घर से चलकर पनघट पर पहुंची थी। दो दिन से साईंदास बुखार में पड़ा था। प्यास के कारण उसके होंठ सूखे थे और वह रह-रह कर कराह उठता था। उसे यह देखकर भी बेचैनी थी कि इतनी देर रमिया को घर से गए हुई, तो अभी तक नहीं लौटी, अतएव, वह छटपटा रहा था। उसकी बड़ी दयनीय स्थिति थी कि बुखार के कारण शरीर जल रहा था, तो प्यास के कारण उसकी जबान सूखी जा रही थी। होंठों पर पपड़ी जमी थी। फलस्वरूप, यह भी लगता कि उसके प्राण ऐंठे जा रहे थे। निकले जा रहे थे।

यों, घर में पड़े हुए साईंदास के मन की तड़प धीरे-धीरे अपरिमित और विषम होती गई। वह यह देखकर दुखी था कि उसके समान घर भी खाली है। उसकी पत्नी रमिया भी मूर्ख है। उसके जीवन में भी रस नहीं। घरवाली बनी है, लेकिन उसके घड़े में एक बूंद पानी नहीं······शरीर पर तेज नहीं, मन में उच्छ्वास नहीं···उमंग नहीं। विपत्ति के थपेड़ों ने वह भी जर्जर बना दी है।

लेकिन रमिया पति को बता नहीं सकी थी कि वह एक बार कुएं तक जाकर वापिस लौट आई थी। वह पति से नहीं कह सकी कि किसी ने भी उसे पानी नहीं दिया। उसका घड़ा नहीं भरा पानी के अटूट भण्डार कुएं पर न तो किसी ने उसे चढ़ने दिया, न पानी लेने दिया। गांव का समाज उस पर क्या नहीं कर सका। यद्यपि उसने गुहार की, लोगों को बताया कि उसका आदमी बीमार है। परन्तु जहां दया नहीं, ममता नहीं, व्यक्ति के प्रति अनुराग नहीं, वहां कौन उसकी बात पर ध्यान देता। सभी ने उसकी कातर वाणी सुनी और खिलखिला कर हंस दिया। उस समय लोगों ने इस बेशर्मी से दांत निपोरे कि स्वयं रमिया सहम गई। वह भूल गई कि उन आदमियों के प्राणों में भी दया है और भगवान का स्थान है। उसे सभी-के-सब निर्लज्ज और पत्थर के समान लगे थे।

फलस्वरूप, जब साईंदास प्यास से बहुत तड़पा, चिल्लाया, मौत की कड़वी और कसैली पीड़ा का अनुभव करने लगा, तो तब, रमिया का मन भी असहाय की तरह बन गया। उसे लगा कि कोई उसे अभी लील जाएगा। अतएव, वह फिर पानी लाने के लिए सन्नद्ध हुई। उसने घड़ा उठा लिया। डोरी भी ली। उसे भरोसा था कि अब कुएं पर कोई नहीं होगा। वह स्वयं पानी भर लाएगी।

उस समय दोपहरी थी। सूर्य पूरब से पश्चिम की ओर जा रहा था। कांपते, डरते और पैरों के तलवों की जलन से पीड़ित बनी रमिया कुएं पर पहुंची। वह देखने लगी कि कोई आए, तो उससे पानी के लिए कहे। उसके मन में दया हो, तो वह उसका घड़ा भर दे। उसकी विवशता थी कि वह समाज और धर्म की दृष्टि से हीन थी, जाति की चमारिन; अतएव स्वयं कुएं पर चढ़कर उसे पानी भरने का अधिकार नहीं था। चिर पुरातन से उसका यह स्वत्व छिना था।

किन्तु जब देर तक भी कोई नहीं आया और कुएं के पास खड़े-खड़े उसका बदन भी अंगारा बन गया, तो तब से रमियां स्वयं कुए पर चढ़ गई। उस समय उसका रोम-रोम झंकृत हो उठा कि यह कुआं सभी का है। धरती से निकला पानी प्राणी मात्रका है। अतएव, उसने अपने जन्मगत संस्कारों को एका-एक भुला दिया। पुराने विचारों को घृण्य तुच्छ मानकर जैसे ही उसने कुएं से घड़ा भरा, तो सचमुच उसे लगा कि कुएं की गहराई की तरह इस समाज का पाप भी गहरा है। उसके तल-अतल में इतनी कीचड़ है, गन्दगी है कि उसकी ओर देखते भी प्राण घुटता है।

रमिया ने पानी भर लिया। घड़ा उसे सन्तोष था कि आज उसने अपनी आत्मा का स्वर सुना। यदि वह ऐसा न करती तो उसका आदमी प्यासा ही तड़पता। इस पानी के बगैर उसका प्राण क्या देर तक ठहरता। कहा नहीं जा सकता कि उस गंवार रमिया के मानस में यह बात कैसे आयी कि जिस प्रकार

यह कुआं दयामय है, उदार है, लोगों को ठण्डा जल प्रदान करता है, तो इसी तरह आदमी क्यों नहीं बनता। दया धर्म और न्याय की बात तो आदमी करता है, परन्तु उसके कर्म इतने घृणित और तुच्छ हैं कि जीवन में एक बार भी लजाने का नाम नहीं लेता।

रमिया कुएं से उतर रही थी, सिर पर घड़ा उठाकर चलने वाली थी कि सहसा गांव के पण्डित उस ओर आए। वह रमिया को कुएं पर चढ़ी देख, एकाएक ही आसमान से पृथ्वी पर गिरने के समान चीख उठे—"अरे, साईंदास की औरत, तू कुएं पर चढ़ गई। चमार के घर में पैदा होकर इस कुएं को भ्रष्ट करने आ गयी।"

बलात्, सहमी हुई रमिया गिड़गिड़ाई—"महाराज, मेरा आदमी बीमार है। प्यास से तड़प रहा है।" उसकी दीन और याचक दृष्टि पण्डित के मुंह पर फैल गई। किन्तु पण्डित गरज पड़े"—चुप, हराम की बच्ची! राम-राम! अब ऐसा अधर्म आ गया, इस धरती पर! तू अपने साथ सभी को भ्रष्ट करने पर उतारू हो गई।"

तब भी रमिया ने अपना पल्ला पण्डित जी के सामने पसारा—"दया करो, महाराज! जीवन-दान दो, मेरे आदमी को!

लेकिन पण्डित जी तो रोष में थे। उनकी दृष्टि में रमिया चमारिन थी, अतएव उसका अपराध क्षम्य नहीं था। कुएं का पानी पवित्र था। उसमें भगवान का स्थान था। उस कुएं के पास ऐसी अनुभूति थी कि जिसे पाकर प्राणी-मात्र निहाल होता था। अतएव, उस कुएं के पानी को पाने का अधिकार पण्डित जी को अथवा अन्य विशिष्ट जाति के लोगों को हो सकता था, उस रमिया चमारिन को नहीं। कदाचित् यही कारण था कि पण्डित गंगाराम की दृष्टि में रमिया ने अत्यन्त घिनौनी धृष्टता की थी। वह समाज की परम्परा तोड़कर कुएं पर पानी लेने का दुस्साहस कर रही थी। कुएं का पानी गन्दा करने पर तुली थी। वह पानी अब बिना शुद्ध किए व्यवहार में नहीं लाया जा सकता था। उसमें गंगाजल डालना आवश्यक था। इसलिए रोष से भर कर पण्डित ने कहा—"कम्बख्त, इससे तो तेरा आदमी मर जाता। आज तू इतनी मगरूर बनी कि समझ बैठी कि समूचा गांव मर गया।" और यह कहते ही पण्डित ने हाथ में पकड़ी लाठी ऊपर उठाई और घड़े में मार दी। घड़ा फूटा और समूचा पानी धरती पर फैल गया। तभी उससे कहा गया—" अब पिलाना पानी अपने खसम को। उसे जीवन देना। चुड़ैल की बच्ची! समझा होगा, गांव में कोई ऐसा नहीं रहा कि जो धर्म को मानता हो। जाति की ऊंच-नीच पहचानता हो।" "और जोर से तड़पे—" अब क्यों खड़ी है। मुझे घूरती है। जैसे खाना चाहती है। चली जा यहां से, नहीं तो तेरी ये बिल्ली सरीखी आंखें भी फोड़ दूंगा। तेरा सिर तोड़ दूंगा।" और कहा—" आज तूने धर्म पर आघात किया है। ऐसा अपराधी क्षमा नहीं किया जा सकता। ऐसे तो धर्म भी नहीं रह सकता। यह सब हो तो इस इन्सानी समाज का कोई कर्म नहीं रहेगा।"

किन्तु उस समय रमिया के मन की अवस्था अत्यन्त विषम और दयनीय थी। उसकी आंखों के समक्ष ही घड़ा फूट गया, पानी भी फैलकर धरती के पेट में चला गया। प्यास उसे भी लगी थी। सोचा था, घर जाकर पानी पीएगी। लेकिन मिट्टी के घड़े के टुकड़े देखकर उसका मानस चीख उठा। उसके मन में तो आया कि आगे बढ़ें और अपने तेज दांतों से उस पण्डित को फाड़ खाए। उसकी छाती में ऐसा मुंह मारे कि तुरन्त उसके प्राण निकल जाएं। जिस छाती के नीचे उसका कठोर दिल है, तो उस मांस के लोथड़े को पलभर में बाहर निकाल दे। वह पण्डित की तड़प और मौत देखे। किन्तु हाय, असहाय रमिया इतना नहीं कर सकी। वह जिस प्रकार खड़ी थी, उसी प्रकार खड़ी रह कर बोली—पंडित जी, तुम्हारे मन में दया नहीं। इन्सान के लिए ममता नहीं। थू है तुम्हारे धर्म पर। तुम्हारे ईमान पर। लम्बा-चौड़ा चन्दन तो लगा लिया है माथे पर, परन्तु तुम्हारे दिल में भगवान के लिए कोई स्थान नहीं।" यह कहते उसके मन का द्रवित भाव ऊपर तैर आया और आंखों के द्वारा प्रवाहित होने लगा। रमिया फूट-फूटकर रो पड़ी।

परन्तु पंडित ने उपेक्षा भाव से मुंह बनाया—"जा, जा, बड़ी आई उपदेश देने वाली। खबरदार, जो अब कुएं पर चढ़ी। आज तो घड़ा फोड़ा है, कल सिर फट जाएगा। जमींदार बाबू ने यह बात सुनी, तो तुझे और तेरे आदमी को गांव से भी निकाल दिया जाएगा।" यह कहते ही, वह पंडित लम्बे-लम्बे डग भरता हुआ उस स्थान से दूर हो गया। वह उसी प्रकार रमिया को रोती छोड़ गया।

सहमी और विक्षुब्ध बनी हुई रमिया जब घर लौटी, तो उसका मन कांप रहा था। उसे भय था कि घर जाकर जब उसका आदमी पानी मांगेगा, तो वह क्या देगी। मुंह से क्या कहेगी। उसे यह भी विश्वास था कि उसका साईंदास उस कड़वे घूंट को नहीं पी सकेगा। वह मर जाएगा। अतएव, निराश, उदास और खाली हाथ जब रमिया घर की ड्योढ़ी पर चढ़ी तो वह देखकर चकित रह गई कि पड़ौस के बाबू रामलाल उसके आदमी के पास बैठे हैं। चारपाई के पास लोटा रखा है तो जरूर वह अपने घर से पानी भी लाए हैं। देखते ही, नितान्त दीन और कातर बनकर रमिया उस बाबू के पैरों में झुक गई—"बाबूजी, तुमने बचा लिया, मेरा आदमी। इस गांव ने तो मार दिया था।"

बाबू रामलाल कुछ समय पूर्व ही नगर से लौटे थे। वह वृद्ध थे। सरकार की नौकरी से पेन्शन पाकर अपने पैतृक मकान में आ बैठे थे। रमिया को उस करुण अवस्था में देखा, तो वह सहसा स्वयं द्रवित बन गए। बोले—"मैंने सब सुन लिया है, रमिया! इस इन्सान का पाप बढ़ा है। विष फैल गया है, इस धरती पर! लेकिन सन्तोष कर, इस रोग का भी अब इलाज हो रहा है। वे कुएं और मन्दिर तुम्हारे भी हैं, अब तुम्हें सौंप दिए जाने वाले हैं। सभी के समान तुम्हारे अधिकार भी सुरक्षित हैं।

"उन्होंने कहा—" अब साईंदास का बुखार कम है। मैंने दवा दी है।" यह कहते हुए उस बाबू ने जेब से पांच रुपए निकाले और रमिया की ओर बढ़ाकर कहा—"इन्हें ले। इन्कार न करना। हम सब एक ही भगवान के बन्दे हैं। यह धरती सभी की मां है, कुएं का पानी तुम्हारा है। उस पर तुम्हारा मौलिक अधिकार है।

रमिया तब और अधिक करुण बन गई। उसकी आंखें गालों पर निकल आई। सचमुच ही, वह फुफक पड़ी।

साईंदास बोला—"मैं उस पंडित को बताऊंगा। उसका सिर न फोड़ दिया, तो अपना नाम साईंदास बदल दूंगा।

बाबू ने कहा—"देख, साईंदास, सुना नहीं तूने, गरम लोहे को ठण्डा लोहा काटता है। तू भी ठण्डा बन। उदार बन। तेरे शरीर में बल है ना, तो उस का सही उपयोग कर। किसी निर्बल की मदद कर।" और वह बोले—"तुम दोनों ही सुन लो, मनुष्य सभी एक हैं। जाति एक, वर्ग एक। यह तो स्वार्थियों का खेल है, भैया। यह कहते ही बाबू के माथे में बल पड़ गए। उन्होंने दूर नीले आकाश की ओर देखा। उसी अवस्था में फिर कहा—'देखते हो साईं-दास, वह सूरज आसमान में खड़ा है। सभी को उसका प्रकाश मिलता है। ऐसे चांदनी का उपयोग प्राणिमात्र को करने का अधिकार हैं। यह आदमी अब अन्ध-कार से प्रकाश में आ रहा है। मानव का अधिकार उसे सौंपा जा रहा है। उसे पाओ। उसे सहेजकर रखो, मेरे भाई।"

एकाएक हर्षित बनकर साईंदास ने पूछा—"वह क्या···हां, क्या बाबूजी।"

बाबूजी बोले—"अब तुम अछूत नहीं। तुम मनुष्य हो। देवता हो। पुण्यमय हो। लेकिन शर्त यह है, वैसे कर्म भी करो। तुम महान देश के महान सपूत बनो, साईंदास!

अब साईंदास बीमार नहीं था। वह अपने काम पर जाता। जो कुछ उपार्जित करता, उससे अपने परिवार का पोषण करने में सफल होता। छोटा परिवार। उसकी छोटी आय, तो बड़ी महत्वाकांक्षा का भी वहां कोई ठौर-ठिकाना नहीं था। सभी जानते थे कि साईंदास नितान्त अल्हड़ और सुखी व्यक्ति था। वह शरीर से भी बलिष्ट और पुष्ट था।

एक दिन जब संध्या के समय साईं-दास चारपाई पर पड़ा अपनी गुड़गुड़ी बजा रहा था, तो तभी किसी ने आकर उसे सुनाया, आज गंगाराम पंडित का घर तबाह हो गया। उसके लड़के को सांप ने काट लिया।

बात सुनी, तो साईंदास उपेक्षा भाव से बोला—"गंगाराम पापी है। बाप का पाप बेटे को भी भोगना पड़ेगा।"

संयोग की बात कि उसी समय रमिया वहां आ गई। पण्डित का नाम सुनकर वह बोली—"क्या हुआ! पण्डित से कौन सा पाप हुआ।"

साईंदास ने रमिया की ओर देखा—"भूल गई, उसी ने तेरा घड़ा फोड़ा था। तेरे मन से उस समय जैसी बद्दुआ निकली, उसे क्या पण्डित भूल सकेगा। यह हरखू कहता है कि गंगाराम के लड़के को सांप ने काट लिया।"

सुनते ही, रमिया तड़प उठी—"सांप ने काट लिया—"हे राम! बुरा हुआ। बेचारे का एक ही लड़का है। अभी-अभी तो उसका विवाह हुआ।"

साईंदास बोला—"रमिया, यहां सभी बेचारे हैं। जब मुसीबत पड़ती है, तो दांत गिड़गिड़ाते हैं। नहीं तो आंख दिखाना, इन्सानियत का गला घोंटना भला कौन नहीं जानता। कुएं की मेंड पर खड़ी होकर जैसी आवाज दोगी, वैसा ही बोल तुम्हारे कानों में पड़ेगा। समझ लो, कुआं नहीं बोलता, आदमी बोलता है।"

रमिया ने पति की बात पर ध्यान नहीं दिया। वह चिन्तित, उद्विग्न और पीड़ा से भरी तुरन्त घर में गई। उसने कोठरी में जाकर एक पुटलिया खोली और उसमें बंधी एक घास बाहर निकाल ली। उस पुटलिया को फिर खूंटी पर टांग कर जब वह घर से बाहर निकली और कहीं जाने लगी, तो तभी साईंदास ने उसे टोका—"अरी रमिया, कहां चली?

मुड़कर रमिया ने कहा—"मैं गंगा-राम पण्डित के घर जा रही हूं। अभी आती हूं।"

साईंदास ने कहा—"तो क्या वह घास लिए जाती हैं।" वह सख्त बनकर बोला—"नहीं रमिया! वह बड़ी कीमती घास है। दूर से आई है। अब क्या तुझे मिल सकती है।"

रमिया झल्ला पड़ी—"तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। कोई मरे, तो क्या तुम्हें अच्छा लगता है। वह पण्डित का लड़का···"

साईंदास बोला—"रमिया, वह पण्डित आदमी नहीं, जानवर है।"

रमिया ने कहा—"जानवर पर भी दया की जाती है। भगवान के सभी जीव हैं। और वह लम्बे डग रखती हुई तुरन्त ही वहां से तिरोहित हो गई।

लेकिन साईंदास भी नहीं माना। उसने लाठी उठाई और पण्डित के घर की ओर चल पड़ा। जाकर देखा, तो सचमुच, उस घर पर हा-हाकार उठा था। सभी रो रहे थे, सिर धुन रहे थे। उसी समय रमिया द्वारा दी गई घास पीसकर लड़के को पिला दी गई। कुछ लेप कर दी गई। जब वह लौटने लगी तो तभी, पण्डित गंगाराम एकाएक दीन बन गया। वह कातर वाणी में रमिया से बोला—"तूने मुझे जीवित कर दिया, रमिया।"

रमिया ने कहा—"पण्डित जी, जाने किस तरह तुम धर्म के पोथे पढ़ते हो। भगवान की पूजा करते समय भी क्या सोचते हो। मैं कहती हूं आदमी तो सच अन्धा है, अंधेरे में खड़ा है। उसकी बांह पकड़कर प्रकाश देने वाला भगवान है। वह सब कुछ देखता है। भरोसा रखो, इस घास से सांप का जहर बढ़ेगा नहीं, घटेगा। सुबह तक लड़का भला-चंगा हो जाएगा।" यह कहते ही, उसने खड़े साईं-दास को देखा और सहज भाव से मुस्करा दिया।

और जब दोनों पति-पत्नी घर की ओर लौटे, तो पीछे ही कोई आदमी गंगाराम से कह रहा था—"पण्डित जी, तुमने तो सब पढ़ा-लिखा खो दिया। परन्तु इस रमिया ने कुछ न पढ़कर भी, तुम्हें आज जिंदगी का सबसे बड़ा सबक दे दिया।"

उत्तर में पण्डित ने क्या कहा, यह उन दोनों ने नहीं सुन पाया। उधर मुंह भी नहीं किया। ★

रूपक

सुबह का भूला ★ ब्रजलाल उनियाल

गीता :— एक सामान्य गृहस्थ नारी, तीन पुत्रियों की मां

सुभाष शर्मा :— गीता का पति

प्रीति, दीप्ति, नीतिः— गीता की तीन पुत्रियां

कमल :— सुभाष के पड़ोसी जैन का लड़का

पहला दृश्य

सुभाष : (पलंग पर रखे कपड़ों को फेंकते हुए और थोड़े ऊंचे स्वर में) ए ! प्रीति, दीप्ति, नीति कोई है ?

प्रीति : हां, पापा कहिए, मैं आई।

सुभाष : क्या बताऊं। (कपड़ों की तरफ इशारा करते हुए) तुम्हें मालूम है कि इस कूड़े की जगह या तो ट्रंक है या गुसलखाना, पलंग नहीं। तुम्हें मालूम होना चाहिए 'डस्ट इज ए मेटर मिसप्लेस्ड'—अगर कोई चीज अपने स्थान पर नहीं रखी है तो वह कूड़ा है। तुम सिर में तेल डालती हो अगर नाक पर लगा लो तो ? लगेगा अच्छा ?

प्रीति : ठीक है पापा। आप निश्चित रहें, कपड़े अभी धुले जाते हैं। आखिर, घर में कितना काम होता है। आप अन्दाजा तो लगाइए।

(कपड़े ले जाती है)

सुभाष : सुनती हो गीता। (आई—गीता की आवाज)' गीता का प्रवेश (दबी सी जुबान में) गीता : कहिए क्या बात है ?

सुभाष : (अपनी बुशर्ट दिखाता हुआ) ये देखो एक छोटा—सा रोशनदान बन गया है—पेंट की मोरियों में झालर लटक रहे हैं। तुमसे इतना भी नहीं होता कि कपड़े ही रफू कर दे। बाहर कहने को तो सेक्शन आफिसर हूं पर हूं एल० डी० सी० प्रकाश से भी बदतर।

गीता : (चिड़चिड़े स्वर में) रफू तो कर दूंगी पर छुट्टी के दिन कहो कब टाइम मिलता है। सवेरे से चाय की केतली चढ़ी हुई है। सात बार तो ये चाय की ड्यूटी बजाई रही बात आपके सेक्शन आफिसर होने की। आपका वेतन पांच लोगों मे बंटता है और प्रकाश का केवल दो में ही। फर्क तो होगा ही।

सुभाष : ओहो हर सवाल का जवाब तुम्हारे रेडीरेकनर में एक ही है—बड़ा परिवार।

गीता : मैं सच तो कहती हूं। इन दस-बारह सालों में मुझे इन बच्चों की परवरिश, आए दिन ही बीमारी, खर्चे की तंगी ने नोच-नोच कर खा डाला है। आप अपनी लिए फिरते हैं कि आप का खून चूस डाला पर आपकी वे चिट्ठियां मौजूद हैं जिसमें मेरे विशेषण उर्वशी और रंभा लिखे हैं और आज इस ढांचे का शोषण करके भी चैन नहीं लेते।

(प्रीति का प्रवेश) (गीता चली जाती है।)

प्रीति : (हंसते हुए, ऊंचे स्वर में)
मम्मी, ये मम्मी ये देखो क्लिपिंग पेपर की। मुझे तो पता ही नहीं था। इस पेपर में मेरे प्रथम आने का समाचार और संक्षिप्त परिचय भी छपा है। मैंने तो अभी देखा। परीक्षाफल तो सवेरे ही आ गया था। वजीफा मिलेगा 100 रुपए माहवार।

सुभाष : बाहरी बिटिया, तू जरूर रोशन करेगी हमारा नाम।

(पड़ोस में जैन साहब के गरजने की आवाज)

प्रीति : पापा, शायद जैन साहब अपने लड़के को पीट रहे हैं, जरा सुनूं तो ?

सुभाष : खबरदार, जो कहीं गई। तुम्हें क्या, चोर की मां को चांडाल ले जाएं। यों पड़ौस में हंगामा बुरा लगता है।

(गीता का प्रवेश)

गीता : अरे बिटिया, प्रीति, तू वहां क्यों जा रही है ? मैं बताए देती हूं। मैं तो सुन रही थी। रसोई से साफ साफ आवाज आ रही थी। जैन साहब लड़के को पीट रहे थे। (शर्मा जी की ओर मुखातिब होकर)···सुना आपने, इन महाशय का तर्क।

सुभाष : अरे भाई, तुम दूसरों के पचड़े में क्यों पड़ती हो ? खैर सुनाओ, बात क्या है ?

गीता : बात तो बड़ी मजेदार है—जैन साहब कह रहे थे—सूअर कहीं का, सौ सौ रुपए का ट्यूशन लगाया, फिर भी फेल—कमबख्त अगर पहले से बता भी देता तो मैं तो कह सुनकर पास भी करवा देता। गधा कहीं का, हमेशा धोखा देता रहा, पास हो जाऊंगा।

सुभाष : अच्छा, तो उन्हें दुःख इस बात का है कि पहले से उन्हें सिफारिश करने का मौका न मिला, लड़के की नालायकी का गम नहीं। (हंसकर) और सुनो, गीता जी, आजकल एमरजेन्सी मे ये मियां कर भी क्या लेते ? खैर चलो।

(दूसरा दृश्य)

सुभाष : सच कहता हूं, गीता, क्या लड़कियों से कभी किसी का भला हुआ है ? तीन लड़कियां ही लड़कियां। एक लड़का हो जाता तो कुल तर जाता, मुझे एक सहारा मिल जाता।

गीता : लड़के लड़कियों में फर्क क्या है ? हां, मेरे पिताजी प्रायः मेरे एक ही भाई के बारे में कहा करते थे "एकः चन्द्रो तमो हन्ति न च तारागणै रपि"—अकेला चांद ही अन्धेरा दूर करता है न कि सैकड़ों तारे मिलकर।

सुभाष : गीता असलियत और उसूलों के बीच बहुत बड़ी खाई है। इस खाई को पाटने में सैकड़ों साल लगेंगे।

(दीप्ति का प्रवेश)

दीप्ति : मां, मां सुनती हो। गजब हो गया।

गीता : क्या हुआ बेटी ?

दीप्ति : मां हमारे पड़ोसी हैं न जैन साहब ? उनके लड़के कमल ने अपने प्रिन्सिपल को पीट डाला, उन्हें गहरी चोट लगी बताते हैं और लड़का हिरासत में है। बेहद परेशान हैं। क्या करें पांच लड़कों का कच्चा कुनबा है। सब छोटे-छोटे हैं। बड़े पर ही सारा भरोसा था।

गीता : शर्मा जी, हाथ कंगन को आरसी क्या, देख लिया न लड़कों का सुख ? सुखी होना होगा तो सैकड़ों तरीके हैं, नहीं होना होगा तो लाख टक्करें मारो जहां के तहां रहोगे। बच्चों को अच्छी शिक्षा देने से बढ़िया इन्वेस्टमेंट कोई नहीं है। पर जैन साहब खुद तो विद्वान और ऊंचे पद पर हैं, बड़ा लड़का नालायक, उसके छोटे वाले की सीतला में आंखें जाती रही, बाकी तो छोटी रेजगारी हैं। क्या करेंगे वे अपनी कौरवी सेना का ?

सुभाष : पर गीता, क्या तुमने नहीं सोचा कि लड़का जरूरी है ?

गीता : मर्दों को प्रगतिशील और औरतों को दकियानूसी कहा जाता है पर बीसवीं सदी में उल्टी गंगा बह रही मालूम होती है।

सुभाष : (हंसते हुए) सचमुच उल्टी गंगा बह रही है। पर एक बार छाती पर हाथ रख कर बता दो कि क्या लड़का जरूरी नहीं है। क्या किसी लड़की ने भी मां-बाप को सुख पहुंचाया है ? दिल से बताना, उपदेश मत दो।

गीता : हां, पहुंचाया है। (सामने बाप-बेटी की तस्वीर और गांधी जी के रेखाचित्र की तरफ इशारा करते हुए) गांधी जी की औलाद में कोई गांधी जी के चरणों की धूल तक भी न पहुंच सकी पर जवाहरलाल की अकेली लड़की आज अपने पिता के पद पर पहुंच गई है। पिता तो तब 58 साल के थे, लड़की तो 50 की भी नहीं पहुंची कि प्रधानमंत्री बन गई। इन्होंने इतिहास बनाया, बंगलादेश बनवाकर, ऊंची कीमतों को कैद कर और भ्रष्टाचार को मरोड़कर तुम्हारी प्रीति क्या किसी से कम है, अभी से वजीफा मार रही है। साथ ही सुन्दर और सुशील है। गार्गी, लीलावती, दुर्गाबाई रजिया, झांसी की रानी क्या वे सब औरतें नहीं थीं ?

सुभाष : अच्छा भई, हमने हथियार डाल दिए। लड़कियां किसी तरह घटकर नहीं हैं। फैसला बदल दिया हमने। अब इन तीन लड़कियों से आगे जिम्मेवारी बढ़ाना पाप है।

गीता : पाप तो है ही, साथ ही मुफ्त में परेशानियों और बीमारियों को दावत देना है। काश, आप को और मुझे यह ज्ञान प्रीति और दीप्ति के बाद हुआ होता।

सुभाष : देवी जी, अब बीमारियों का डेरा यहां से हमेशा के लिए उठ गया। इस घर में गरीबी के कदम अब नहीं पड़ेंगे। खैर कुछ भी हो अब इसी हफ्ते में तुम्हारी सलाह मानकर, नहीं नहीं, देश की जरूरत को ध्यान में रखकर, यह छोटा सा यज्ञ पूरा करता हूं। देश की बढ़ती आबादी पर रोक लगाना दरअसल एक यज्ञ है। इसे आपरेशन कहना भूल है, यह तो है हितेष्टि यज्ञ है जैसे कभी पुत्रेष्टि यज्ञ की महिमा थी—उससे अधिक महिमा इसकी है। अच्छा, अब तो उर्वशी कहूं न ?

गीता : खैर, उर में बसी कहां रह गई। पर शुक्र है तुम राह पर आ गए। अगर सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते।

ब्रजलाल उनियाल
सह सम्पादक (खेती व हिन्दी प्रकाशन)
मा०कृ०म०प०. 317 कृषि भवन नई दिल्ली

साहित्य समीक्षा

आधुनिक भारत के निर्माता लालबहादुर शास्त्री—लेखक : डी० आर० मनकेकर; अनुवादक [: अखिलेश मिश्र; प्रकाशक : निदेशक, प्रकाशन विभाग; सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, पटियाला हाऊस, नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित; पृष्ठ 216; मूल्त 7 रुपये।

आधुनिक भारत के निर्माताओं में श्री त्यागमूर्ति, शान्ति के पुजारी, युद्ध के विजेता, राष्ट्र पुरुष लालबहादुर शास्त्री जी का स्थान बहुत बड़ा है। वे एक देश के जाने-माने राजनीतिज्ञ थे। उनका सम्पूर्ण जीवन ही राष्ट्र के लिए समर्पित जीवन था। वे राष्ट्र के लिए जीए और राष्ट्र के लिए मरे। देश सेवा के मार्ग पर चलते हुए वैयक्तिक जीवन को कुछ भी महत्व नहीं दिया। कष्ट की सीमाएं वे हमेशा ही पार करते रहे। परिवार के लोग भी उनके साथ सदा कष्ट झेलते रहे। त्याग, तपस्या, साहस, दृढ़ता और संयम से ओतप्रोत भरा जीवन भारत के भावी पीढ़ियों के लिए देश सेवा का मार्ग आलोकित करता रहेगा।

यह पुस्तक लालबहादुर शास्त्री जी की जीवन-गाथा है। यह जीवनी सन् 1974 में प्रकाशित हुई। यह पुस्तक लेखक के जीवंत व्यक्तित्व का परिणाम है। यह पुस्तक कई दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण है।

पुस्तक की छपाई सुन्दर है। भाषा रोचक है। पुस्तक पढ़ने पर हृदय द्रवित हो जाता है। इस पुस्तक को जीवन गाथा के रूप में देखा जाए तो पुस्तक सफल जीवनी के रूप में उतरी है। इसमें एक शास्त्री जी का छाया-चित्र भी है। पुस्तक पठनीय और संग्रहणीय भी है। आशा है इसे सर्वत्र आदर प्राप्त होगा। पुस्तक का मूल्य भी कोई अधिक नहीं है।

कि० गो० वानखडे गुरुजी

समाज-कल्याण : (मेघालय विशेषांक), जून-जुलाई 1976, केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड, सम्पादक राकेश जैन।

समाज कल्याण पत्रिका का 'मेघालय विशेषांक' अनेकानेक महत्वपूर्ण अनुभवों से भरा पड़ा है। 'बरखा बहार काछर मेघालय' हो या 'संतरगी धरती के सीधे-सादे लोग—सब कुछ हमें उस अछूते सौन्दर्य सम्पन्न प्रदेश की याद दिलाने लगते हैं। झीलें-झरने और मीलों तक फैली हुई छोटी-छोटी घाटियां तथा हरे-भरे चाय बागान निश्चित रूप से किसी का मन मोह सकते हैं।

वह मेरी मां—शादीलाल चोपड़ा का संस्मरण वहां के लोगों की सादगी और कल्याणकारी प्रवृत्ति को प्रकट करता है। महिलाओं और उनकी प्रमुख समस्याओं को लेकर डा० नलिनी नटराजन और श्रीमती सरोजिनी वरदप्पन के लेख विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं। इनमें दहेज, शिक्षा और दायित्व को भी नई दृष्टि से देखा गया है।

सम्पादक की तरफ से 'पहाड़ी धरती के ये खिलते फूल'—वहां के बच्चों की दृढ़ मनोवृत्ति, उत्तम स्वास्थ्य और उदार-ज्ञान की महत्ता को स्पष्ट करता है। कुल मिलाकर अनेक लेखों, सुन्दर कविताओं तथा कहानियों से भरा हुआ यह अंक प्रधानमंत्री के इस कथन को सार्थक करता है—'मेघालय शब्द में संगीत की धुन है, मेघों से आच्छादित उच्च पर्वत शृंखलाएं हैं, मनोहर प्रतिध्वनियां हैं······इससे प्रकट होता है कि शुभेच्छा, समझदारी तथा सहनशीलता से जटिल से जटिल समस्याओं का समाधान प्यार के वातावरण में बड़ी सरलता के साथ किया जा सकता है।'

जितेन्द्र सेठी

इन्दिरा यशस्तिलकम्—**(संस्कृत-काव्य)**—लेखक : रमेशचन्द्र शुक्ल; प्रकाशक : शारदा-सदन, मुजफ्फर नगर, वितरक : सुधा-कमल ग्रन्थालय, मुजफ्फर नगर; मूल्य : दस रुपया।

आचार्य रमेशचन्द्र शुक्ल की इस नवीनतम संस्कृत काव्य-कृति में श्रीमती इन्दिरा गांधी के अभिनव कार्यों का संक्षिप्त काव्यात्मक वर्णन है।

116 पद्यों के इस काव्य में भी कवि का राष्ट्र चिन्तन झलकता है, जैसा कि प्रस्तावना लेखक डा० कृष्णकांत शुक्ल का मत है—"राष्ट्रीय—चरित्र—गायकेन महाकविनानेन वर्तमान युगस्य महनीयव्यक्तित्वस्यास्य विषये स्वेच्छया यन्निबद्धम तदत्रभवतः सततराष्ट्र चिन्तनाय परिचायकम्—"

समीक्षा काव्य में एक व्यक्ति मात्र की प्रशंसा नहीं की गई है बल्कि प्रतीक की प्रशस्ति है, वास्तव में इसमें व्यक्ति के स्थान पर गुणों की चर्चा है, संस्कृत, संस्कृति, समाजदर्शन, काव्य, राष्ट्रीयता, परम्परा, प्रयोग आस्था, विचार आदर्श तथा यथार्थ सभी कुछ हैं।

ग्रंथ लेखक आचार्य शुक्ल ने श्रीमती इन्दिरा गांधी की अतिरंजित प्रशस्ति न गाकर यथार्थ की भाव-भूमि पर उनके गुणों की चर्चा की है। इस प्रकार यह काव्य अतिशयोक्ति का काव्य न होकर स्वाभाविकता पर आधारित एक महत्वपूर्ण काव्य है।

लेखक ने श्रीमती इन्दिरा गांधी द्वारा शासन की बागडोर सम्भालने, पाक-युद्ध, शिमला-समझौता, बंगला देश निर्माण में उनकी भूमिका, बीस सूत्री आर्थिक कार्यक्रम की घोषणा आदि का काव्योचित शैली में उल्लेख किया है, कवि ने श्रीमती गांधी की इस भावना को खूब उभारा है कि—"भारत सर्वथा सुखी रहे और जनतन्त्र का प्रतीक बना रहे—"

कवि की रचना में स्वाभाविक अलंकारों तथा शिल्पगत अन्य विशेषताओं का निवेश हुआ है। छपाई सुन्दर है। साथ ही आर्ट पेपर पर कवर सज्जा के अतिरिक्त प्रूफ शुद्धि बड़े ध्यान से की गई है।

राधेश्याम शर्मा
एफ 7/21 कृष्णनगर दिल्ली-110051

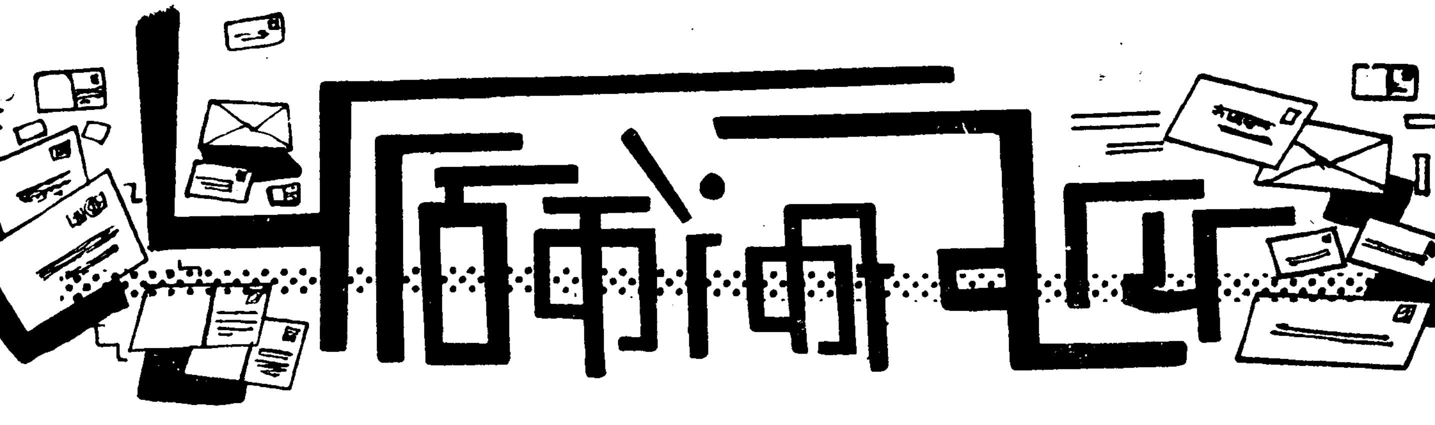

दहेज से मुक्ति कैसे ? ★ शीला भाटिया

सरकार ने दहेज प्रथा को समाप्त करने के लिए 1961 में कानून बनाया था। परन्तु इस कानून पर अमल बहुत कम हुआ है। कोई भी कानून उस समय तक पूर्ण रूप से सफल नहीं हो सकता, जब तक जनता सरकार को अपना सहयोग न दे। जनता यदि जागरुक हो जाए तो यह प्रथा शीघ्र ही समाप्त हो सकती है।

पुरुष व स्त्री मिलकर परिवार रूपी गाड़ी चलाते हैं, एक के बिना दूसरा अधूरा है। यह बात ध्यान में रख कर प्रत्येक युवक व युवती को सोचना चाहिए कि दहेज लेना कहां तक उचित है? लड़के वालों को यह नहीं सोचना चाहिए कि बिना दहेज लिए यदि वह अपने पुत्र का विवाह करते हैं तो उनका सम्मान कम हो जाता है। आज यदि बिना दहेज लिए कोई शादी करता है तो उस का समाज में काफी आदर होता है। क्योंकि वह औरों के लिए एक पथ-प्रदर्शित करता है।

दहेज न मिलने के कारण बहुओं को तंग करने की घटनाओं और बहुओं की आत्महत्याओं के समाचार आप पढ़ते ही रहते हैं। घर में बहू बन कर आने वाली लड़की भी तो किसी की बेटी ही है। यदि स्वयं उनकी बेटी के साथ ऐसा ही व्यवहार हो तो उन्हें कैसा लगेगा।

पिछले कुछ दिनों से परिस्थितियों में परिवर्तन आया है। आपातकालीन स्थिति के दौरान कई राज्यों ने दहेज के लेन-देन को दण्डनीय अपराध घोषित कर दिया है। शिक्षण संस्थाएं भी बराबर इसमें रुचि ले रही हैं। युवकों ने दहेज न लेने की प्रतिज्ञा की है। पिछले दिनों हमारी प्रधानमंत्री ने दिल्ली विश्वविद्यालय और लेडी हार्डिंग मैडिकल कालेज के करीब 200 छात्रों को संबोधित करते हुए कहा था कि 'दहेज प्रथा हमारे समाज पर एक कलंक है और वह समाज को कमजोर बनाती है' इन सभी छात्रों ने प्रधानमन्त्री के सामने दहेज न लेने-देने की शपथ भी ली।

प्रत्येक कार्यों को करने के लिए कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, परन्तु उनसे घबराना नहीं चाहिए। स्वयं दुख झेल कर जो दूसरों के लिए मार्ग प्रशस्त करता है वह एक महान कार्य करता है। आज हमारे समाज में ऐसे तथाकथित सुधारकों की कमी नहीं जो मुख से दहेज प्रथा का विरोध करते हैं परन्तु जब स्वयं उनकी बारी, आती है तो सब धरा का धरा रह जाता है। चुपके से अपना उल्लू सीधा कर लेते हैं। ऐसे सुधारकों और भाषणकर्ताओं का समाज में बहिष्कार होना चाहिए। शिक्षित युवक व युवतियों को इस दिशा में अधिक सक्रिय होना चाहिए। शिक्षित लड़की स्वयं भी आगे बढ़ कर अपने आप अपने जीवन साथी का चुनाव कर सकती हैं। उसमें संकोच की जरूरत नहीं। इससे उनमें विवेक शक्ति भी बढ़ेगी और आत्मविश्वास भी। हमारे युवक नेता संजय गांधी ने भी अपने चार सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत युवकों में काफी हद तक दहेज न लेने की भावना उत्पन्न की है।

जाति बन्धन से मुक्ति—शिक्षा के साथ-साथ हमें जाति बन्धन को भी तोड़ना चाहिए ताकि लड़के-लड़कियों की संख्या का दायरा बढ़ जाए। लड़के-लड़कियों को स्वयं जीवन-साथी चुनने की भी स्वतन्त्रता होनी चाहिए। जब स्वयं चुनाव करेंगी तो दहेज की चर्चा ही न चलेगी। हमारे समाज में छूतछात की बीमारी सदियों से लगी हुई है। इससे हमारे समाज को बड़ा नुकसान पहुंचा है। छूतछात और भेद-भाव की वजह से ही हमें विदेशी आक्रमणकारियों से मात खानी पड़ी और हम गुलाम हुए। अब हमें इस बीमारी को मार भगाना चाहिए।

इसके साथ-साथ आत्मानुशासन, भी जरूरी है। यदि हम स्वयं को अनुशासित कर लेंगे तो हम दहेज प्रथा की बुराई भी शीघ्र खत्म कर सकते हैं। आज कन्या व वर पक्ष वालों को चाहिए कि राष्ट्रहित को सामने रख कर कार्य करें और दहेज के धन से समृद्धि की कामना न करें।

एफ-125, नौरोजी नगर
नई दिल्ली-110023,

Regd. No. D-(D)/98

सहकारी ऋण सोसाइटी

अट्टीली ग्राम पंचायत ★ राबूला सूर्यनारायण मूर्ति

आन्ध्र प्रदेश के पश्चिम गोदावरी जिले में अट्टीली ग्राम पंचायत को 1974-75 से राष्ट्रीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत माना गया है।

पंचायतों के ग्रामों में लोगों को अब पाठशालाएं मनोरंजन स्थल, अस्पताल, सड़कें आदि सुविधाएं उपलब्ध हैं और वे अब नए विचारों को ग्रहण करने लगे हैं। अधिक उत्पादन के लिए लोगों में अब बेहतर सुविधाओं, तकनीकी जानकारी तथा आवश्यक आदानों की मांग बढ़ रही है।

पंचायत जो कुछ करना चाहती है उसके लिए उसे पर्याप्त धन उपलब्ध नहीं है और वह ग्रामविकास के लिए अपने संसाधन बढ़ाना चाहती है। ग्रामीण रोजगार के लिए 'कैश स्कीम' भारत सरकार द्वारा अप्रैल 1971 में चालू की गई थी और यह अट्टीली पंचायत के लिए वरदान सिद्ध हुई।

'केसी सागर' के नाम से एक उत्पादन योजना, समुद्रपुगाथू में लगभग 1.65 लाख रु० से लागू की गई थी। इसके अन्तर्गत मछली पालन के लिए एक टैंक को अच्छी अवस्था में लाकर 4 सुन्दर टैंकों में परिवर्तन किया गया। इसके किनारे नारियल के वृक्ष और अच्छी किस्म की सब्जियों के बाग लगाए गए। ग्राम पंचायत ने इस योजना में 15,000 रुपये लगाए। इस योजना से अब एक लाख रु० की आय होने लगी है। जिसमें तीसरा और पांचवा हिस्सा ग्राम पंचायत

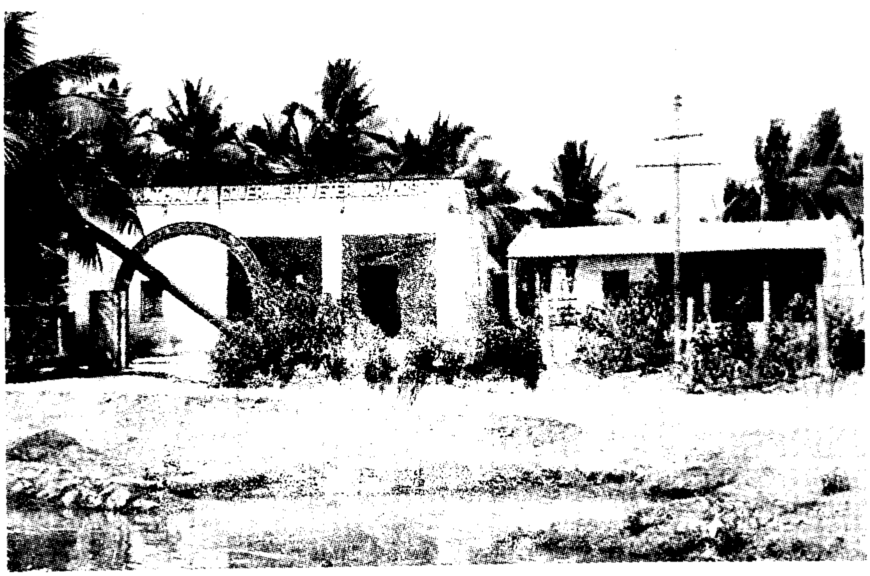

ले रही है। ग्राम पंचायत इससे अल्प समय में ही अपनी आय में वृद्धि कर सकेगी। 'केसी सागर' शीघ्र ही मनोरंजन स्थल बनने जा रहा है।

एक महत्वपूर्ण बात यह है कि ग्राम पंचायत ने पिछले पन्द्रह वर्षों में शत प्रतिशत कर वसूल किया है और 1971-72 में इसकी आय 1,38,500 रु० थी जो बढ़कर 1975-76 में 2,56,500 रु० हो गई। अट्टीली में सामाजिक परिवर्तन ने सबको सामान अवसर और आर्थिक उत्पादन की प्रक्रिया को तेज करने में भारी सहायता दी है।

कृषि के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं और प्रकृति भी इस क्षेत्र के प्रति बहुत उदार रही है। इस क्षेत्र के लिए प्रकृति का सबसे बड़ा वरदान जल है। गोदावरी लगभग 3,500 एकड़ उपजाऊ भूमि को अपने जल से सिंचित करती है जिससे लोगों को पर्याप्त उपज मिलती है।

अच्छी किस्म के धान उगाने को लोकप्रिय बनाया गया है और इसमें काफी सफलता भी मिली है। यहां की सहकारी समिति के पास 1.40 लाख रु० की पूंजी है और इसने 560 सदस्यों को ऋण और आदानों की व्यवस्था करने में भारी योग दिया है।

जल-पूर्ति के परम्परागत स्रोतों की रक्षा के लिए उपाय किए गए और तीन टैंक और 22 सार्वजनिक कुएं बनाए गए। 4.7 लाख रु० से संरक्षित जल-पूर्ति योजना का भी प्रस्ताव है।

अनुवादिका—सुषमा
आर-54 ग्रेटर-कैलाश
नई दिल्ली

निदेशक, प्रकाशन विभाग, पटियाला हाउस, नई दिल्ली-1 द्वारा प्रकाशित और
[illegible] दिल्ली 110006 में मुद्रित।